The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023,The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 and The Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023

HON. CHAIRPERSON: Further discussion on Item Nos. 29 to 31, Dr. Dubey ji.

डॉ**.** निशिकांत दुबे **(**गोड्डा**):** सभापति महोदय, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है । ये बड़े बिल्स हैं । इस देश के 130 करोड़ लोगों को इन बिल्स से राहत मिलने वाली है । ये बिल्स गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चे, सभी को राहत पहुंचाने वाले हैं । इन बिल्स को सदन में लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभारी हैं । उन्होंने 163 सालों बाद इन कानूनों को बदलने का फैसला किया है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो पाएंगे कि वहां एक बड़ा अच्छा वाक्य है ? ?यतो धर्म: ततो जय:? । जहां धर्म है, वहीं विजय है । यह पार्लियामेंट, हमेशा जो सुदूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम सभी माननीय सांसद यहां चर्चा करने के लिए आते हैं ।?(व्यवधान) इसके लिए वर्ष 2014 से, जब से मोदी जी, प्रधान मंत्री बने हैं, उनका एक मात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, इनके ऊपर कल काफी चर्चा हुई थी । अंग्रेजों ने इस देश को दो चीजें दीं । यह बड़ा विद्वान सदन है । इसके सभी माननीय सदस्य जानकार हैं । जहां से रविशंकर प्रसाद जी ने समाप्त किया, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं । इस देश को मैकाले ने दो चीजें दी । मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी, जिसमें हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे वे अंग्रेजों की गुलामी के लिए अक्षर, लिखा-पढ़ी कर सकते हैं ।

एक वह शिक्षा पद्धति थी और एक यह 1860 का इंडियन पीनल कोड, जिसको हमने अभी भारतीय न्याय संहिता नाम दिया है ।? (व्यवधान) इसके ऊपर खूब चर्चा हुई । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस लोक सभा में दो बड़े काम किए । वर्ष 2019 से 2024 तक में एक बड़ा काम यह हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो दो निशानियां थीं? मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसे खत्म करके नई शिक्षा पद्धति दी और वर्ष 1860 का जो इंडियन पीनल कोड था, उसको खत्म करने का फैसला किया ।? (व्यवधान) लेकिन मुझे दु:ख होता है कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा यह होती है कि यह इंडियन पीनल कोड था, यह सीआरपीसी था, आप इसको बदले लें ।? (व्यवधान) मुझे यह नहीं लगता कि जो भारत की सभ्यता, संस्कृति समझते हैं, उनको अपने ऊपर घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है । यहां पर जो सीआरपीसी, आईपीसी की बात चल रही है, इस देश में दो चीजें चलीं, जिनके आधार पर दंड मिलता था, न्याय मिलता था ।? (व्यवधान) वह याज्ञवल्क्य स्मृति थी, जिनको वेद में, अपने हिन्दू होने में, भारतीय होने में घमंड हो, याज्ञवल्क्य स्मृति ऐसी थी, जिसमें दंड निर्धारित था । दूसरा, चाणक्य की अर्थ नीति थी, जिसमें दंड निर्धारित था ।? (व्यवधान) आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वे चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे हैं ।

सभापति महोदय, चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, क्योंकि आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे हैं । चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दीया और बाती अलग होती थी और यदि सरकारी मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दीया और बाती अलग थी । इस तरह की भावना थी । माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे ।? (व्यवधान) उसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर जो मिताक्षरा लॉ यहां लागू था, वह किस तरह का था? वह यह कहता था कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा? जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा? जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा? जो बीमार लोग हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा? हमने क्या किया कि जो गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता ने हमारी सोच को कम्पलीट बदल दिया । कम्पलीट इसलिए बदल दिया कि हम अंग्रेजों की तो बात करते हैं कि वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत आए । अंग्रेजों का यह कानून है, अंग्रेजों वापस जाओ । लेकिन वर्ष 1526 में जो मुगल आए, उसके बारे में कभी याद करते हैं? छठी शताब्दी के बाद जो गुलाम वंश का हमारे ऊपर शासन हुआ, छठी शताब्दी के पहले यहां कोई मुस्लिम था ही नहीं । क्या छठी शताब्दी के पहले इस देश में कोई नियम, कानून लागू नहीं था? क्या इस शिक्षा पद्धति ने हमको अकबर, बाबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तो हम अकबर, बाबर, मैकाले, लॉर्ड हार्डिंग्स ही पढ़ते रहे । ? (व्यवधान) क्या हमने कभी पढ़ने की कोशिश की है कि किस तरह से याज्ञवल्क्य ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? चाणक्य की क्या थ्योरी थी? अशोका द ग्रेट हुआ तो उसने क्या किया? उसी तरह से उसके जो नियम, कानून थे, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है?

मैं आपको यह बता रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने 158 मीटिंग्स के अलावा हमारी ही सरकार, जिनको यह लगता है कि हमारी सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, बुल्डोज करती है, अपोजिशन को सामने नहीं देती ।? (व्यवधान) मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार में ही इतना दम था कि जिस बिल को हमने यहां इंट्रोड्यूस किया और लगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद इसमें और भी चेंजेज की आवश्कयता है । स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उन्होंने जब कहा कि इस बिल को और बदलने की आवश्यकता है तो उस बिल को हमारी सरकार ने वापस लिया तथा एक नए बिल के साथ हम आए, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी रिकमंडेशंस थे, उनको हमने इनक्लूड किया ।? (व्यवधान)

सर, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में गया तो 3 पुलिस अफसर ? बृजलाल जी इस कमेटी के सभापति थे, कल आपने सत्यपाल जी और वीडी राम इन दो लोगों के भाषण को सुना कि इस एक्ट में क्या-क्या चेंज हुआ है और क्या-क्या अच्छी बात है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं । ये तीन लोग डीजीपी रहे हैं, बड़े अपराइट अफसर रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की । कल इनके भाषण को भी सुना और जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में था तो उनको सुना था ।

ये लोग यह कह रहे हैं कि पुलिस को अधिकार देना चाहिए । पुलिस के सामने जो एडमिशन लेते हैं, आप जो अपनी बात कहते हैं, उसको सेक्शन 164 का स्टेटमेंट माना जाए । लेकिन हमारी सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इतनी कमिटेड है कि उसका कहना है कि यह आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, हम पुलिस राज नहीं लागू कर सकते हैं । ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे ये बातें अपने पुलिस के नज़रिए से बोलते हैं और मैं अपने व्यक्तिगत नज़रिए से बोलता हूँ ।

मैं चुनाव में गया, यह बात सभी एमपीज को जानने वाली बात है । जब मैं वर्ष 2009 में चुनाव में गया, तो मेरे ऊपर या मेरे किसी भी परिवार के ऊपर, न नाना की तरफ से, न दादा की तरफ से, मेरे सात पुस्तों में एक भी केस नहीं था । लेकिन जब मैंने वर्ष 2009 में नॉमिनेशन फाइल किया, तो उस समय मैं कहता था कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, जिसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है । मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर मर्डर, ट्रीजन,

लूट-मार, हत्या, चोरी, डकैती आदि के केस हैं । जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, यहाँ पर श्री वी.डी. राम साहब बैठे हुए हैं, ये तत्कालीन डीजीपी थे, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था । ये बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं । इनके ऊपर एक फिल्म- गंगाजल बन चुकी है । ये वर्ष 1980 में मेरे जिले के एस.पी. थे । जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, उस दिन मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर धारा 307 का केस लगाया गया । मेरे ऊपर जो पहला केस आया, वह अटेम्प्ट टू मर्डर का आया । उल्टा मेरी ही गाड़ी जलाई गई, मेरी गाड़ी को आग लगा दिया गया, वहाँ पर एस.पी. खड़ा था । इसके बाद भी मैं धारा 307 का एक्युज्ड हूँ । सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एमपीज और एमएलएज के लिए अलग कोर्ट है, वर्ष 2009 में, मेरे एक कार्यकर्ता को कहा गया कि यह बम बना रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया । उसके ऊपर रोड जाम करने का केस है, वर्ष 2009 से लेकर आज वर्ष 2023 हो गया, मैं पिछले 14 साल से पुलिस से लड़ रहा हूँ ।

देवघर में एक एससी, एसटी का केस है । जिस मैं अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड में मौजूद था, आप यह समझें कि उसके बाद भी यह कहा गया कि मैंने जाकर किसी को गाली दे दी । क्या इस तरह के चेंजेज नहीं होने चाहिए? क्या ज़ीरो एफआईआर नहीं होना चाहिए, क्या ई-एफआईआर नहीं होना चाहिए? पुलिस के उस अधिकार से आम लोगों को बचाने के लिए यदि इस एक्ट में, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने आमूल-चूल परिवर्तन किया है, तो क्या आम जनता को राहत देने के लिए नहीं किया है? जिस पुलिसिया राज में सांसद तक सुरक्षित नहीं है, जिस पुलिसिया राज में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर तक सुरक्षित नहीं है, क्या उसमें हम ऐसा पुलिस राज बना देंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे किसी दबाव में न आएं और पुलिसिया राज से मुक्त करने का बिल लेकर आएं ।

?जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है ।?

यह विरोध क्यों है? पूरा अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से दो वीक तक संसद चलाता रहा । आज अपोजिशन के लोगों ने खुद ही यह निर्णय लिया कि मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी से निकालो । अभी भी ये जो तीन-चार लोग हैं, जिस तरह से ये लोग कागज़ फेंक रहे हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि कांग्रेस और उनके समर्थित पार्टियों का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि इनको कुछ नहीं करना है क्योंकि इनको पता है कि मोदी है, तो मुमकिन है और मोदी इस तरह का काम करके चला जाएगा कि फिर इन लोगों के पास वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं होगा ।

कल ... जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया । आज समझिए कि केवल लिप सर्विस किस तरह से कांग्रेस करती है और किस तरह का माहौल पैदा करती है । जिस कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को हराया, योगेन्द्र मंडल जी को बांग्लादेश-पाकिस्तान भगा दिया, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया । आज उसके लिए ...* नज़र आते हैं । उनको यह लगता है कि यदि यह बिल आ जाएगा, तो शिड्युल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स को फायदा हो जाएगा । उनको यह लगता है कि कालेलकर कमेटी के बाद भी हमने ओबीसी रिज़र्वेशन नहीं दिया, मंडल कमीशन के बाद भी ओबीसी रिज़र्वेशन नहीं दिया । ओबीसी के अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी को बेइज्ज़त करके कांग्रेस से निकाल दिया, फिर भी ओबीसी जातिगत जनगणना की बात करेंगे, तो ये ओबीसी मूर्ख हैं । उनको लगता है कि जो बिल आ रहा है, इसमें ओबीसी को फायदा होगा, इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं ।

मैं पार्लियामेंट की बात कहता हूँ । इनको सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय एविडेंस एक्ट में जो समस्या नज़र आ रही है कि इससे 130 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी ।

मैं सारे लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं । चूंकि अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है, इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की जो उस दिन की घटना है, वह 27 वीं घटना है । माननीय अध्यक्ष जी ने 17 घटनाओं का जिक्र किया है, दस घटनाओं का जिक्र मैं कर देता हूं । 1960 का सवाल हो, 1962 का सवाल हो, 1964 का सवाल हो, 1966 का सवाल हो, 1971 का सवाल हो, वहां से लेकर लगातार कांग्रेस के लोग ? करते रहे और कांग्रेस के लोग यहां ?* आते रहे, ?* आते रहे ।

पार्लियामेंट में कभी भी, किसी भी अपोजीशन पार्टी हो, चाहे वह जनसंघ हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या उस वक्त की जनता दल हो, कभी किसी ने पार्लियामेंट रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि संसद का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको मैनेज करने का अधिकार केवल और केवल लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा सेक्रेटेरिएट को है । लोक सभा अध्यक्ष और लोक सभा सेक्रेटेरिएट पर इस सदन में कभी चर्चा नहीं हुई । लेकिन पहली बार ऐसा है, क्योंकि यह बिल आ रहा था और यह बिल आम गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित के सम्मान के लिए आ रहा था, इसलिए इस बिल को किसी तरह से नहीं पास करें, इसलिए यह विरोध की राजनीति कांग्रेस कर रही है और जो मुद्दा नहीं है, उसे वह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है । यह इसका कारण है ।

सर, मैंने नोट ऑफ डिसेंट देखा, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा हुई । आप मानसिकता समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उसके अपोजीशन की क्या मानसिकता है? उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है । नोट ऑफ डिसेंट उन्होंने तीन-चार विषयों पर दिया है, इस बिल पर, जिससे आपको लगेगा कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक नोट ऑफ डिसेंट दिया कि यह जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य बिल है, यह हिंदी में है । नॉर्थ और साउथ का डिवाइड, मतलब देश को बांटने के लिए, पाकिस्तान और भारत को बांटने के बाद भी आज उनको खुशी नहीं है कि भारत यूनाइटिड है, भारत मजबूत है और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है । यह उनको मंजूर नहीं है । उन्होंने कहा कि यह हिंदी में है ।

सर, आप यह समझें कि जो पुराना पार्लियामेंट है, जहां से अभी हम लोग नए पार्लियामेंट में आए हैं । जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो साउथ ब्लॉक है, सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात की कि ?यतो धर्मस्ततो जय:? या जो राष्ट्रपति भवन है, ये सारी बिल्डिंग्स अंग्रेजों ने बनाईं, हमने नहीं बनाईं । आज हम भले ही नई बिल्डिंग में आ गए हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह नई बिल्डिंग दी है । मैं कांग्रेस के सारे मित्रों को चैलेंज करता हूं कि आप जाकर एक बार दोबारा पढ़िए । आप 70 सालों तक वहां गए होंगे, तो केवल पैसा कमाने के लिए गए होंगे, आपने देखा नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है? सभी बिल्डिंग्स में केवल और केवल संस्कृत के श्लोक हैं । एक भी अंग्रेजी का कोई वाक्य नहीं है, एक भी बाइबल का कोई वाक्य नहीं है, एक भी कुरान का कोई वाक्य नहीं है । क्या आप उस बिल्डिंग में जाकर नहीं बैठे?

हिंदी कौन सी मानसिकता है? आज आप समझिए कि जब पूजा होती है, यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, तो कोई भी पंडित हो, चाहे वह तमिल बोलने वाला हो, तेलुगु बोलने वाला हो, मलयालम बोलने वाला है, भोजपुरी या कन्नड़ बोलने वाला हो, वे सभी संस्कृत में ही पूजा कराते हैं । यही मानसिकता है । उनको गुलामी की मानसिकता है, भूलने की मानसिकता है, जिसके ऊपर मैं कह रहा था कि यह देश मुगल काल से नहीं है,

मुगलों या अंग्रेजों के आने के बाद यह देश नहीं बना है । यह देश, चार वेद, 13 उपनिषद, रामायण और महाभारत, जो हजारों-हजार सालों से चले आ रहे हैं, उसी मानसिकता के साथ यदि आप बात करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि यह जो विरोध आप कर रहे हैं, वह गलत विरोध कर रहे हैं ।

सर, उनका दूसरा विरोध है कि लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए । फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? पोटा के कानून को आपने रोका । उसके आधार पर, उसके बाद आप यूएपीए लेकर आ गए, उसके बाद आपने एनआईए बना लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस देश में टेरिरिस्ट आ जाए, दाउद इब्राहिम बम विस्फोट करके चला जाए, लेकिन उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? आप कहेंगे कि अभी तक हमने छ: लोगों को ही फांसी दी है ।

सर, कानून केवल भय दिखाता है । कानून बताता है कि यदि आप गलत काम करेंगे, तो आपको इतनी बड़ी सजा हो सकती है । इसमें कनविक्शन कितना हुआ, कितनी फांसी हुई, आतंकवाद के खिलाफ हमने जो यह बड़ा कानून बनाया है, हमने टेरिरिज़म को डिफाइन किया है, टेरिरिस्ट एक्टिविटीज को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है । मैं नोट ऑफ डिसेंट की एक और अच्छी बात बताता हूं । लोग कहते हैं, आप दिग्विजय सिंह का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, अधीर चौधरी जी का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, रवनीत बिट्टू का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, तीनों ने अलग-अलग नोट ऑफ डिसेंट दिया है । तीनों की लाइन, कोमा, फुलस्टॉप सब एक ही है । यदि तीनों की लाइन, कोमा, फुलस्टॉप एक ही था तो आप एक लेटर पर साइन कर देते, अधीर रंजन चौधरी के लेटर पर साइन कर देते । सब एक पर ही साइन कर देते, लेकिन सबको अपना नाम लेना है । यह विरोध की बात है ।

इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि दूसरा उनका विरोध यह है कि जो आउटसाइड में लोग हैं, उनका कन्विक्शन कैसे होगा? अब दाउद इब्राहिम 1993 में बम विस्फोट करके चला गया, वह पाकिस्तान भाग गया । यदि वह हमारे यहाँ नहीं आ रहा है ।? (व्यवधान)

सर, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि और भी बहुत सारे वक्ता इस पर बोलना चाहते हैं । यदि दाउद इब्राहिम नहीं आ रहा है, उसकी सम्पत्ति यहाँ पड़ी हुई है, यदि उसने देश के खिलाफ विरोध किया, इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह किया, तो क्या आप उसकी सम्पत्ति जब्त नहीं करेंगे, क्या उसके ऊपर आपको फाँसी की सजा नहीं करनी है? इसके लिए वे विरोध करते हैं । यदि विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, यदि वह चला गया और हमारे यहाँ के बैंक को खाली, खोखला करके चला गया, आम लोगों को परेशान करके चला गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसे कन्विक्ट करें? यदि कहीं वह भाग गया तो उसको कन्विक्शन नहीं होना चाहिए? सर, उसका विरोध है कि आप इस तरह का काम मत कीजिए, इससे एफडीआई नहीं आएगा, इससे चीजें नहीं आएंगी । मैं केवल कांग्रेस की मानसिकता बता रहा हूँ । इनकी हिन्दी के विरोध की मानसिकता है, इनकी टेरेरिस्ट मानसिकता है, आउटसाइड इंडिया में जो लोग रहते हैं, यह उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट में दिया है, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ ।

दूसरा सवाल है कि कई एक लोगों को मैं जानकारी दे दूँ कि यह सरकार ऐसी है, जो आम लोगों के लिए चिंतित है । हमारी तरफ से भी वक्ता काफी बोलते रहे कि एडल्टरेशन पर यह होना चाहिए, आन्दोलन पर यह होना चाहिए । कई एक्ट ऐसे हैं, जो स्पेशल एक्ट हैं । एडल्टरेशन का अलग से एक्ट है, उसमें फाँसी तक की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है । इसीलिए आईपीसी में यदि यह धारा इस तरह से है, तो इसमें आपको भारतीय न्याय संहिता में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ।

चौथा जो उनका विरोध है, जो मेन विरोध है कि पुराना ही बिल है, उसको कट, पेस्ट करके हमने डाल दिया । अब आप यह बतायें कि आजादी का यह 75 वाँ साल है, हमसे पहले भी यहाँ सांसद होते रहे, इस पार्लियामेंट में किस तरह की चर्चा होती है । किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए । उसी तरह से महिलाओं के ऊपर यदि जुर्म होगा तो क्या सजा होनी चाहिए? गैंगरेप होगा तो क्या सजा होनी चाहिए? टेरेरिज्म का मामला होगा तो क्या सजा होनी चाहिए? मैं आपको बताऊँ कि क्या कोई और भी अलग बातचीत हो सकती है? हो सकती है, ऑर्म्ड फोर्सेज के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एडल्ट्री के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हम 377 और एडल्ट्री के खिलाफ हैं और मैं आपको बताऊँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यतो धर्म: ततो जय: की बात कही, तो उन्होंने जय: की बात नहीं की, धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी धर्म एडल्ट्री और 377 को, अननेचुरल सेक्स को बढ़ावा नहीं देता है । सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, वह गलत किया और सारे लोगों ने आग्रह किया है, जो भी होगा, सरकार बातचीत करेगी । मैं आपको बताऊँ कि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य ही जब मेन विषय हैं, तो कोई भी यदि सजा देनी होगी, मर्डर की जो सजा होगी, रेप की जो सजा होगी, वह बराबर होगी । उसके लिए आप कहेंगे कि हमने पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी या नई शराब पुरानी बोतल में डाल दी ।

हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, जो मुगलों की निशानी थी, जो अंग्रेजों की निशानी थी, उसको मिटाकर भारतीय परम्परा को स्थापित करने के लिए यह बिल लाने का फैसला भारतीय मानसिकता के साथ किया है कि हमारे यहाँ पिता का पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, संयुक्त परिवार में किस तरह का सम्बन्ध होता है । इसलिए इसे वे लेकर आए हैं ।

अंत में, मैं दिनकर जी की एक कविता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र से आता हूँ, बारह ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र से आता हूँ: ?कि कह दे शंकर से आज कहे, वो प्रथम दिव्य फिर एक बार कहे, सारे भारत में गूँज उठे, हर-हर बम-बम का जयकारा, हर-हर बम-बम का जयकारा? और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, वह फिर से कायम हो, 130 करोड़ लोगों को न्याय मिले ।

महोदय, आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द-जय भारत ।

माननीय सभापति **:** राज्य सभा के माननीय सदस्य का नाम प्रोसीडिंग में से निकाल दीजिए ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी जी ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी **(**हैदराबाद**):** सभापति जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इन तीन फौजदारी नए क़वानीन पर बोलने का मुझे मौका दिया । मैं शुरूआत में एक शेर से अपनी बात का आगाज करता हूं कि ?हम को शाहों की अदालत से तवक्क़ो तो नहीं, आप कहते हैं तो ज़ंजीर हिला देते हैं ।?

सभापति जी, ये फौजदारी के तीन क़वानीन खुद मुजरीमाना हैं । ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जिरायम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं । अब तरफेतमाशा यह है कि पिछले सैशन में हुकूमत ने जन विश्वास बिल, 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजन्स और 43 क़वानीन इम्प्रिजनमेंट के थे, उन्हें निकाल कर फाइन में तब्दील कर दिया । उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट की भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन का प्रोविजन रखा है । मैं यह बोलना चाहूंगा कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैनुफैक्चर के लिए तरमीम करके आपने जेल के बजाय फाइन में तब्दील कर दिया । इस ऐवान में यह बोलना जरूरी है कि जन विश्वास के नाम पर आपने सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया । आप

डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां कम्पनीज को सजा देनी थी, वहां आपने सजा को फाइन में तब्दील कर दिया । जो क़वानीन नॉन वॉयलेंट क्राइम्स सेडिशन, डेफामेशन हैं, इनको नए क्रिमिनल लॉ में ले लिया । यह बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास यह हुकूमत का नया मंत्र है और यदि लाइटर वे में मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि ?हम जुर्म में कमी करें भी तो क्यूं, तुम सजा भी तो कम नहीं करते ।? आज देश में सच्चाई यह है कि सूट पहनने वाला जुर्म करके सजा से बच जाता है । एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को गोली मार सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है । सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेरोरिज्म का चार्ज है, वे इस कानून के बारे में बोलेंगे कि टेरोरिज्म क्या है या क्या नहीं है ।

सभापति जी, मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह और मोहन दास कर्मचंद गांधी पर ये तीन क़वानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहन दास कर्मचंद गांधी कहते कि यह तीन क़वानीन रॉलेट एक्ट हैं । अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है? सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान और आदिवासी लोगों के लिए जिंदगी से बड़ी सजा कोई नहीं है । इन्हें पता ही नहीं है कि और कौन-से जुर्म होते हैं । यदि हमें रिफार्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमें उन प्रोविजन्स को निकालना था, जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देते हैं । हमें उन प्रोविजन्स को निकालना था, जिनसे मंत्रियों और पुलिस को बिना कोई जुर्म साबित हुए लोगों को सालों जेल में रखने का मौका देते हैं । हमें यह करना चाहिए था कि जो प्रोसीक्यूटर होता है वह फेब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर छूट दे देता है । हमने इसके लिए कुछ नहीं किया है । आज हमारे वतनेजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल यदि कोई जेलों में हैं तो मुसलमान, दलित और आदिवासी हैं । आप इनका कंविक्शन रेट देख लीजिए । एनसीआरबी का डेटा वर्ष 2017 से 2023 का है । इसमें बताया है कि 20 प्रतिशत अंडर ट्रायल मुसलमान हैं, 16 प्रतिशत कंविक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2 परसेंट है । प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि इस्तेमाल किया जाता है, ज्यूडीशियल प्रोसेस को सबवर्ड करने के लिए और फेक ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए आज भारत की जेलों में 30 फीसदी डिटेनीज मुसलमान हैं । उत्तर प्रदेश में 2017 में 33 प्रतिशत मुसलमान डिटेनीज थे और आज 83.9 परसेंट उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डिटेनीज हैं । मैं एक और मिसाल सीएसडीएस की रिपोर्ट की दे रहा हूं । यह बहुत बड़ा थिंक टैंक है । यह कहता है कि ?They have found substantial prejudice against Muslims in the Police force. In Bihar, Maharashtra, Uttarakhand and Jharkhand two-third of the surveyed Police personnel believed that Muslims were more inclined to violence than members of other communities.? ये इम्प्रिकल एविडेंस है । इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35 फीसदी जिन पुलिस कार्यवाहियों का सर्वे किया गया, उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां कॉऊ स्लॉटर होता है । सीजेपीएपी की इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट है कि कोविड-19 के दौरान 25 फीसदी मुसलमानों को अरेस्ट किया किया गया था । यह बॉयसनेस नहीं है तो क्या है?

सर, मध्य प्रदेश में मुसलमान 7 फीसदी के करीब हैं और 21 फीसदी मुसलमानों का नाम एफआईआर में डाल दिया गया था ।

सर, प्रोजेक्ट-39 ए में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया, जिन्हें सज़ा-ए-मौत दी गयी । हैरतअंगेज़ बात यह है कि 76 प्रतिशत का ताल्लुक बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलिजियस माइनॉरिटी से था ।

सर, कितने दलित और एस.टीज़. डेथ रॉ पर हैं? महाराष्ट्र में ये 50 फीसदी हैं । मध्य प्रदेश में सज़ा-ए-मौत में दलित और आदिवासी 36 फीसदी हैं, कर्नाटक में 36 फीसदी हैं, बिहार में 31 फीसदी हैं, झारखंड में 30 फीसदी हैं । गुजरात में 19 लोग, जो सज़ा-ए-मौत के इंतज़ार में हैं, उनमें से 15 मुसलमान हैं । केरल में सज़ा-ए-मौत के जो मुलज़िम हैं, उनमें 60 फीसदी रिलिजियस माइनॉरिटीज़ के हैं । आखिर इस देश में कब तक यह चलता रहेगा कि अनस्पोकेन रिज़र्वेशन उन लोगों के लिए है, जिनके पास पूरी पॉलिटिकल पावर है और एक दूसरा अनस्पोकेन रिज़र्वेशन दलित, मुसलमान और आदिवासियों के लिए है कि इन्हें जेल में रहना पड़ता है?

सर, आखिर यह कैसे मुमकिन है कि आलाज़ात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं, उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान, दलित, और आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं । अगर आप तीन कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो यह कौन-सा इस्लाह है? आप तो ताकतवरों का रिफॉर्म कर रहे हैं, गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है, जैसे अंग्रेजी में कहा गया था - the cure is dangerous than the disease.

सर, अब आप बी.एन.एस.एस. के क्लॉज 187(3) को देखिए । उसमें डिटेंशन का पीरियड देख लीजिए यानी यह अभी पन्द्रह दिनों से ज्यादा का होना मुश्किल है । अब आपने यह प्रोविजन दे दिया कि 90 दिनों तक, कभी भी किसी को 5 दिनों की, 6 दिनों की, 10 दिनों की, बेल नहीं मिलेगी । हैरतअंगेज़ बात यह है कि यू.ए.पी.ए. के कानून में जिसे जेल में डाला जाता है, उसके 30 दिनों के बाद एक सुप्रिटेंडेंट-ऑफ-पुलिस को कोर्ट में एफिडैविट देना पड़ता है कि आप क्यों जेल से पुलिस कस्टडी ले रहे हैं । आपने उसे भी निकाल दिया, यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यू.ए.पी.ए. से भी ज्यादा, मतलब वह 90 दिन जेल में रहेगा । कौन रहेगा जेल में? जेल में मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा और उसे बेल नहीं मिलेगी ।? (व्यवधान) आप लोग सुन लीजिए, यानी कन्विक्शन नहीं होगा, न बेल मिलेगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी है । यह कानून में है । आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं ।

आपने डी. के. बसु की गाइडलाइन्स को आपने एडॉप्ट नहीं किया । क्लॉज 53(1) में आप यह भी नहीं कह रहे हैं । उसे कौन एग्ज़ामिन करेगा? इसमें लिखा है ? ?discretion of the medical practitioner?. आप जब पुलिस की कस्टडी में जाते हैं तो पुलिस इतनी खातिर तवाज़ो करती है कि तलवे से लेकर जिस्म तक उसके पूरे निशानात रहते हैं और आप कहते हैं कि मेडिकल प्रैक्टीशनर डिस्क्रेशन करेगा तो यह होगा ।

सर, मैंने क्लॉज 187 का तो जिक्र कर दिया । अब आप क्लॉज 472 को देखिए । मर्सी पिटीशन को देखिए । आर्टिकल 79 और 161 तो कंस्टीट्यूशन का हिस्सा है । आप कानून लाकर कहते हैं कि कन्विक्ट, लीगल हेयर्स या अदर रिलेटिव्स, उसकी तरफ से मर्सी पिटीशन डालेगा तो ही होगा ।

सर, जो सज़ा-ए-मौत काटेगा, वह तो जेल में आधा पागल हो जाता है । आप थर्ड पार्टीज़ को इसके लिए मौका नहीं दे रहे हैं । यह आपका कौन-सा इंसाफ है? फिर आप यह बताइए कि आप थर्ड पार्टीज़ को इससे बाहर कर रहे हैं । इसके लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन और एसएलपी के बाद 30 दिनों का समय दे रहे हैं और गवर्नर के रिजेक्शन के बाद 60 दिनों का समय दे रहे हैं । यह कैसा इंसाफ होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि multiple petitions can be filed. आपने उसको भुला दिया ।

सर, आप एक और बात देख लीजिए । क्लॉज 479 में यह कहा गया है कि अगर किसी ने उस ऑफेंस के पनिशमेंट का आधा समय अपने डिटेंशन पीरियड में पूरा कर लिया तो उसे बेल मिलेगी । आपने तो इसे और

खतरनाक बना दिया है । क्लॉज 479 में आप यह कहते हैं कि अगर लाइफ इम्प्रीजनमेंट का एक से ज्यादा ऑफेंस होगा या वह पेंडिंग होगा तो उसे बेल नहीं मिलेगी ।

निशिकान्त दुबे जी, आप पर जब केस लगा तो आपने कहा कि आपकी गाड़ी पर हमला हुआ । यह मैं जानता हूं । पर, आप पर केवल एक सेक्शन तो नहीं लगा, बल्कि कई सेक्शंस आप पर लगा दिए गए, तो फिर क्या मुझे बेल नहीं मिलेगी? आप यह क्या कर रहे हैं? आप यह किसलिए कर रहे हैं? क्या आप इसका अंदाजा भी लगा रहे हैं कि आज आप वहां बैठे हैं, कल आप यहां आएंगे, इंशा अल्लाह, फिक्र मत कीजिए । पावर इटर्नल नहीं होता । यह तो कुदरत का निज़ाम है कि जो गन्दगी करता है तो उनकी जगह किसी और को मौका मिलता है । मगर, आपको एक दिन आना पड़ेगा । आप यह गन्दगी कर रहे हैं ।

सर, यह बताइए कि आप इसको कितना करेंगे? Persons had pending proceedings in more than one offence और चार्जशीट में कई आते हैं यानी जब हम पर केस बुक होता है तो फूल का गुलदस्ता आता है, उसमें हर सैक्शन होता है, तो मुझे बेल नहीं मिलेगी । यह एक बात है । सर, सॉरी यह इतना बड़ा बिल है ।

सर, अब टैररिज्म पर आते हैं, बीएनएस का टेररिज्म ? यह बड़ा ही खतरनाक काम आपने किया है । इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा । सिविल लिबर्टीज़ ख़तरे में पड़ जाएंगी और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें किसी को टेररिस्ट नोटिफाई करेंगे तो कोर्ट क्यों नहीं करेगा, पुलिस वाला क्यों करेगा? किसी ऑर्गनाइज़ेशन को टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो ये ख़ुद सैपरेशन ऑफ पॉवर्स का वॉयलेशन है । ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस का वॉयलेशन है । इंदिरा गांधी वर्सेज़ राज नारायण केस का वॉयलेशन है । यह मोदी सरकार ज्यूडिशरी की पॉवर्स को छीन कर ख़ुद जज, ज्यूरी और एग्ज़िक्यूशन बन रही है । सर, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि ? ?वो ही कातिल, वो ही मुखबिर, वो ही मुंसिफ ठहरे? ।

सर, मैंडेटरी वीडियो, आपने कहा कि जिस जगह पर सर्च होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी । मैं यह कहता हूँ कि जब मेरा अरेस्ट होगा, तब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए । जब मेरे घर पर पुलिस आती है, तब वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए । जो मैं पुलिस को देता हूँ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए । क्लॉज़ 183 में विटनेस स्टेटमेंट होगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए । क्यों नहीं आप पैसे देते कि हर पुलिस वाले के जिस्म पर एक वीडियो रिकॉर्डर हो और एक्यूज्ड को उसकी रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए । लेकिन उसको नहीं मिलती है । ? (व्यवधान) सर, क्लॉज़ 250 और 262 इनकंसिस्टेंट है । क्लॉज़ 250 में 60 दिनों का टाइम लिमिट डिस्चार्ज के लिए है । अगर एक्यूज़ को कागज़ नहीं मिलता है, हम सब जेल में गए हैं, मैं कई मर्तबा जेल में गया हूँ, मैं ससुराल में इतना नहीं गया हूँ, जितना मुझे जेल में जाने का मौका मिला है, चाहे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही हो या तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत रही हो । ? (व्यवधान) सर, क्लॉज़ 262 में डिस्चार्ज एप्लिकेशन है । वह फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद डाल सकते हैं । It defeats the purpose. What is the discharge application which is to prevent police from using delay tactics? Discharge always precedes framing of charges. मैं उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं डाल सकता हूं, जब तक कि वह नहीं होगा । सर, अब क्लॉज़ 251 और 263 देखिए । Time limit for framing of charges in cases of Session trials is 60 days from the date of first hearing on charges; warrant charges should be of 90 days. मगर आपने क्या किया, होशियारी देखिए, बर्बाद करने की कहानी देखिए । आपने 193 (9) डाल दिया । Can it prescribe a 90-day time limit for further investigation? What will happen when the supplementary charge-sheet is put? Will the accused be acquitted? क्या आप मुझे छोड़

देंगे? क्या कोई टाइमलाइन होगी? This is a dead letter. यानी आप तो पूरे के पूरे सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ छीन ले रहे हैं । सर, बीएनएस में लिंचिंग का एक कानून बनाया है, क्लॉज़ 103 में, अब आप इसमें देखिए, लिंचिंग कब हो सकती है, जब आप यह बताएंगे कि किसी को पर्सनल बिलीफ पर मारा गया, जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया । सर, आप एक्यूज़्ड को तो छोड़ने के लिए मौका दे रहे हैं । अच्छा! पर्सनल बिलीफ में आप रिलीजन क्यों नहीं लिखते हैं? इन तीनों कानूनों में रिलीजन इस्तेमाल किया गया है और क्या पर्सनल बिलीफ में रिलीज़न नहीं आता है?

सर, आप यह भी देखिए कि क्लॉज़ 190 में अनलॉफुल असेंबली है । five or more acting together, फिर यह आप क्यों कर रहे हैं? पांच लोग मिल कर भी मर्डर करेंगे तो एक क्लॉज़ 103 भी तो आपने कर दिया है । यह तो अनलॉफुल एक्टिंग टुगेदर है ।

सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएनएस का 172(2) देखिए कि पेटि केसेज़ में, ?when the occasion is past? इसका मतलब क्या है? सर, होगा क्या आप और हम चुनाव लड़ते हैं, तो जो पार्टी अपोज़िशन में रहती है, उनके 25-50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मेरे बूथ्स के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसमें आप क्या लिख रहे हैं कि ?when the occasion is past? मतलब कि पोलिंग पांच बजे खत्म हो जाएगी तब पास्ट हो जाएगा तो पांच बजे छोड़ देंगे । अरे! आप अपना ही हाथ ख़ुद काट रहे हैं । याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहाँ पर बैठेंगे तो यह काम कोई और आपके साथ कर देगा ।

सर, रेप क्या सिर्फ महिलाओं का होता है, क्या मर्दों का रेप नहीं होता है? आपका प्रोविजन नहीं है । क्या मर्दों की स्टॉकिंग नहीं होती है?? (व्यवधान)

सर, ऐसा होता है ।? (व्यवधान) आप हँस रहे हैं । ऐसा होता है । आपकी हँसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं कि किसका हुआ है ।? (व्यवधान)

सर, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा कि यह जेंडर न्यूट्रल हो । क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया । उसमें आप बियॉन्ड रिजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे । अब उसमें सप्रेसिंग आइडेंटिटी के बारे में क्या बताना पड़ेगा, यानी अगर चंडीगढ़ की कोई महिला मोनू मानेसर से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वह मानेसर या चंडीगढ़ का नहीं है तो क्या क्रॉस एक्शन नहीं आएगा? आप बताइए । अगर कोई यह कहेगा कि मेरा नाम कुछ और है, कहीं कुछ और नाम होता है । मुसलमानों में कुछ कॉमन नाम होता है । क्या वह सेक्शन अप्लाई होगा, यह आप क्या कर रहे हैं? आपने एडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया । यह कंसेन्सुअल सेक्सुअल रिलेशन, जिसे 18 से 20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं मजहबी इतेबार से उसके खिलाफ जरूर हूं, मगर आप क्यों उनकी एटोनॉमी को रोकना चाहते हैं? सर, बीएनएस का क्लॉज 109 देखिए । It does not require knowledge or intention on the part of person facilitating the commission of organised crime.

सर, आप सेडेशन को देख लीजिए । सेडेशन को आपने दोबारा ला दिया । आपने लव ए सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया । आपने सुप्रीम कोर्ट में अण्डरटेकिंग दी थी कि यह प्रोविजन नहीं लाया जाएगा । चेयरमैन सर, यहां पर मुझे हिन्दी के एक बहुत मशहूर कवि का शेर याद आ रहा है । यह मैथिलीशरण गुप्त जी का शेर है ।

राज्यों को यदि हम बना लें भोग, तो बनेगा वह प्रजा का रोग

फिर कहूं मैं क्यों न उठ कर ओह! आज मेरा धर्म राष्ट्रद्रोह ।

सर, कार्ल मार्क्स ने कहा था - ?History repeats itself, first as a tragedy, second as a farce.? आप क्लॉज 195 (1D) देखिए । It criminalises the making or publication of false and misleading information jeopardising the sovereignty and integrity of India. यह वैग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेशन जर्नलिजम लिखेगा, आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और उसको जेल की सलाखों में डाल कर सड़ा देंगे । सर, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा । रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्ट जो आईपीसी में था, उसमें दो साल की सजा थी । वह धारा 304 है । आपने उसको बढ़ा कर पाँच कर दिया । यह बीएनएस की धारा 106 में है । रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्ट की धारा 304 आईपीसी में थी, उसे दो साल की जगह 10 कर दिया । यह क्रिमिनल जुरिसप्रूडेन्स का हिस्सा नहीं है । क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ? उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता है । आप बताइए कि फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका का क्या होगा, गुजरात के कोका का क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप तमाम कानून की इजाजत देंगे । याद रखिए, जिंदगियाँ बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं । इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा । वह नुकसान किसका होगा? इसका नुकसान दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों का होगा । वह पोलिटिकल पार्टीज़ जो आज सत्ता में हैं, कल नहीं रहेंगी, वे बदले की भावना से काम करती हैं । सर, मुझे पुलिस ने पीटा । वर्ष 1999 में 22 दिसम्बर को मेरे सिर पर 20 टांके लगे । पीठ से लेकर पैर तक मारा गया । सर, आपको मालूम है कि क्या हुआ, तेलगुदेशम की सरकार थी । उन्होंने दोनों पुलिस वालों को, जिन्होंने मुझे मारा था, आईपीएस स्टेट्स दे दिया ।? (व्यवधान) ...

HON. CHAIRPERSON: No. Mr. Owaisi, please do not talk to them.

? (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** मैं डरने वाला नहीं हूं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** सर, आप उनको रोकिए । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay, please sit down.

? (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** हां, ... ?***** और कुछ नहीं कर सकते हो ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, do not say anything.

? (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** सर, आप टेररिजम के डेफिनेशन में देखिए । यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** उसको हम देख लेंगे । आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** यूएपीए का क्लॉज 18, 113(3) में आ गया । यूएपीए का क्लॉज 20, 113(5) में आ गया । यूएपीए का सेक्शन 19, 113(6) में आ गया । अरे, भाई साहब, फिर क्या बचा है? आप यूएपीए, मकोका, गुजरात कोका, पीएमएलए सब ला दिया ।

स्पीकर सर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले उम्मीद कर रहा था, मैंने वजीरे ए दाखिला अमित शाह साहब का एक स्टेटमेंट सुना । जब वह गुजरात के होम मिनिस्टर थे, तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया । मगर हम यह समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वह क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वह दूसरों से नाइंसाफी नहीं करेंगे । आप क्या कर रहे हैं? ऐसे हजारों लोग हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है । न उनके पास दलील है, न उनके पास वकील है, न उनके पास आजादी है । सर, ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जम्हूरियत के लिए, गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा । मैं सरकार को यह चार्ज दे रहा हूं, चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, उसको लेकर आओ, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, उसे लेकर आओ, कतर में हमारे फौजी बैठे हैं, उनको लेकर आओ । कहां तुम्हारी देशभक्ति है? निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून का इस्तेमाल करो, मगर वे नहीं बोलेंगे । मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं, जो भारत की जम्हूरियत के लिए खतरा बनेगा ।? (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): What about me? Will you call me or not?

माननीय सभापति **:** आपको बुलायेंगे । Have patience.

? (*Interruptions*)

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ان تین فوجداری نئے قوانین پر بولنے کا مجھے مو قع دیا۔ میں شروعات میں ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ

ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں

آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں

چیرمین صاحب، یہ فوجداری کے تین قوانین خود مجرمانہ ہیں۔ یہ جرم کی روکتھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو قانونی شکل دینے کے لئے بنائے جا رہے ہیں ۔ اب طرفہ تماشہ یہ ہے کہ پچھلے سیشن میں حکومت نے جن وِشواس بِل 2023کو جس میں 183 پرووِیزنس اور 43 قوانین اِمپریزنمینٹ کے تھے، انہیں نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا۔ اس میں ڈرگس اینڈ کوسمیٹِکس ایکٹ کی بھی ترمیم کی گئی اور سزا کے بجائے سب اسٹینڈرڈس ڈرگس کے لئے آپ نے فائن کا پرووِیزن رکھا ہے۔ میں یہ بولنا چاہوں گاکہ سب اسٹینڈرڈس ڈرگس کے مینوفیکچر کے لئے ترمیم کرکے آپ نے جیل کے بجائےآپ نے فائن میں تبدیل کر دیا۔ اس ایوان میں یہ بولنا ضروری ہے کہ جن وِشواس کے نام پر آپ نے سب اسٹینڈرڈس ڈرگس سے عوام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈیکریمینلائزیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں کمپنیز کو سزا دینی تھی، وہاں آپ نے سزا کو فائن میں

تبدیل کر دیا۔ جو قوانین نان وائلینٹ کرائمس سیڈیشن، ڈیفامیشن ہیں ان کو نئے کریمینل لاء میں لے لیا۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لئے اوِشواش اور دھندے کے لئے وِشواس یہ حکومت کا نیا منتر ہے اور اگر لائٹر وے میں میں کہوں تو جون ایلیا نے کہا تھا ہم جرم میں کمی کریں بھی تو کیوں، تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے۔ آج ملک میں سچائی یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا جرم کرکے سزا سے بچ جاتا ہے۔ ایک خاکی پہننے والا کسی کو قریب سے ہتھکڑی پہنے ہوئے مجرم کو گولی مار سکتا ہے اور اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے، وہ اس قانون کے بارے میں بولیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔

چیرمین صاحب، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیئے کہ اگر آج بھگت سنگھ اور موہن داس کرم چند گاندھی پر یہ تین قوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور موہن داس کرم چند گاندھی کہتے کہ یہ تینوں قوانین رولیٹ ایکٹ ہیں۔ اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مکولِ پُتر کون ہے؟ سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب، دلِت، مسلمان اور آدی واسی لوگوں کے لئے زندگی سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسے جرم ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ریفارم کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا تو ہمیں ان پروویزنس کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولس کا منمانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں ان پروویزنس کو نکالنا تھا جن سے منتریوں اور پولس کو بنا کوئی جُرم ثابت ہوئے لوگوں کو سالوں تک جیل میں رکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہئیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹِڈ ایویڈینس ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر چھوٹ دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی جیلوں میں ہیں تو مسلمان، دلت اور آدی واسی ہیں۔ آپ ان کا کنوِکشن ریٹ دیکھ لیجئے۔ این۔سی۔آر۔بی۔ کا ڈیٹا سال 2017 سے 2023 کا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ 20 فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں، 16 فیصد کنوِکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی 14.2 فیصد ہے۔ پریوینٹیو ڈیٹینشن اگر استعمال کیا جاتا ہے، جیوڈیشل

پروسیس کو سبورڈ کرنے کے لئے اور فیک ٹرائل کو سبورڈ کرنے کے لئے آج بھارت کی جیلوں میں 30 فیصدی ڈیٹینیز مسلمان ہیں۔ اتر پردیش میں 2017 میں 33 فیصد مسلمان ڈیٹینیز تھے اور آج 83.9 فیصد اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ڈیٹینیز ہیں۔ میں ایک اور مثال سی۔ایس۔ڈی۔ایس۔ کی رپورٹ دی رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا تھِنک ٹینک ہے یہ کہتا ہے کہ **They have found substantial prejudice against Muslims in the Police Force. In Bihar, Maharashtra, Uttrakhand and Jharkhand two-third of the surveyed police personnel believed that Muslims were more inclined to violence than Members of other communities.** یہ اِمپریکل ایویڈینس ہے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ 35 فیصدی جن پولس کاروائیوں کا سروے کیا گیا، انہوں نے موب وائلینس کو نیچرل قرار دیا، خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں کاؤ سلاٹر ہوتا ہے۔ سی۔جے۔پی۔اے۔پی۔ کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے کہ کووِڈ 19 کے دوران 25 فیصدی مسلمانوں کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ یہ بائسنیس نہیں تو کیا ہے ؟

سر، مدھیہ پردیش میں مسلمان 7 فیصد کے قریب ہیں اور 21 فیصد مسلمانوں کا نام ایف۔آئی۔آر۔ میں ڈال دیا گیا تھا۔

سر، پروجیکٹ۔39اے میں نیشنل لاء یونیورسٹی نے ان لوگوں کا سروے کیا، جنہیں سزائے موت دی گئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 76 فیصد کا تعلق بیکورڈ کلاس، دلت اور ریلیجیس اقلیتوں سے تھا۔

سر، کتنے دلت اور ایس۔ٹیز۔ ڈیتھ رو پر ہیں؟ مہاراشٹر میں یہ 50 فیصدی ہے۔ مدھیہ پردیش میں سزائے موت میں دلت اور آدی واسی 36 فیصدی ہیں، کرناٹک میں 36 فیصدی ہیں، بہار میں 31 فیصدی ہیں، جھارکھنڈ میں 30 فیصدی ہیں۔ گجرات میں 19 لوگ، جو سزائے موت کے انتظار میں ہیں، ان میں سے 15 مسلمان ہیں۔ کیرل میں سزائے موت کے جو ملزم ہیں، ان میں 60 فیصدی ریلیجیس مائنوریٹیز میں ہیں، آخر اس ملک میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ ان اسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لئے ہے، جن کے پاس پوری پولیٹیکل پاور ہے۔ اور دوسرا ان اسپوکن ریزرویشن دلت،مسلمان اور آدی واسیوں کے لئے ہے کہ انہیں جیل میں رہنا پڑتا ہے؟

سر، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلیٰ ذات کے جو اکثریتی طبقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، سوشل طاقت ہے اور مسلمان، دلت اور آدی واسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ تین قانون لا کر اصلاح کر رہے ہیں تو یہ کونسی اصلاح ہے؟ آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، جیسے انگریزی میں کہا گیا تھا ۔ **The cure is dangerous than the disease.**

سر، اب آپ بی۔این۔ایس۔ایس۔ کے کلاز 187 (3) کو دیکھئے۔ اس میں ڈیٹینشن کا پیریڈ دیکھ لیجئے یعنی یہ ابھی 15 دنوں سے زیادہ کا ہونا مشکل ہے۔ اب آپ نے یہ پروویزن دے دیا کہ 90 دنوں تک، کبھی بھی کسی کو 5 دنوں کی، 6 دنوں کی، 10 دنوں کی، بیل نہیں ملے گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو۔اے۔پی۔اے۔ کے قانون میں جسے جیل میں ڈالا جاتا ہے ، اس کے 30 دنوں کے بعد ایک سپریٹینڈینٹ ۔ آف ۔ پولس کو کورٹ میں ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ آپ کیوں جیل سے پولس کسٹڈی لے رہے ہیں۔ آپ نے اسے بھی نکال دیا، یعنی جس کسی کو بھی آپ اس قانون میں اریسٹ کریں گے، یو۔اے۔پی۔اے۔ سے بھی زیادہ، مطلب وہ 90 دن جیل میں رہے گا۔ کون رہے جیل میں؟ جیل میں مسلمان رہےگا، دلت رہےگا، آدی واسی رہے گا اور اسے بیل نہیں ملے گی۔ (مداخلت) آپ لوگ سُن لیجئے، یعنی کنوِکشن نہیں ہوگا، نہ بیل ملےگی، کیونکہ پولس کسٹڈی ہے۔ یہ قانون میں ہے۔ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں۔

آپ نے ڈی۔کے۔باسو کی گائنڈ لائنس کو آپ نے ایڈوپٹ نہیں کیا۔ کلاز 53 (1) میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ اسے کون ایگزامِن کرے گا؟ اس میں لکھا ہے کہ **Discretion of the Medical Practitioner.** آپ جب پولس کی کسٹڈی میں جاتے ہیں تو پولس اتنی خاطر تواضع کرتی ہے کہ تلوے سے لیکر جسم تک اس کے پورے نشانات رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میڈیکل پریکٹیشنر ڈِسکریشن کرےگا تو یہ ہوگا۔

سر، میں نے کلا 187 کا تو ذکر کر دیا۔ اب آپ کلاز 472 کو دیکھیئے ۔ مرسی پیٹیشن کو دیکھیئے، آرٹیکل 79 اور 161 تو آئین کا حصہ ہیں آپ قانون لا کر کہتے ہیں کہ کنوِکٹ، لیگل ہائرز یا دوسرے ریلیِڈ، اس کی طرف سے مرسی پیٹیشن ڈالے گا تو ہی ہوگا۔

سر، جو سزائے موت کاٹے گا، وہ تو جیل میں آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ تھرڈ پارٹیز کو اس کے لئے موقع نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کا کونسا انصاف ہے؟ پھر آپ یہ بتائیےکہ آپ تھرڈ پارٹیز کو اس سے باہر کر رہے ہیں۔ اس کے لئے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ریجیکشن اور ایس۔ای۔پی۔ کے بعد 30 دنوں کا وقت دے رہے ہیں اور گورنر کے ریجیکشن کے بعد 60 دنوں کا وقت دے رہے ہیں آپ نے اس **Multiple petitions can be filed.** یہ کیسا انصاف ہوگا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ کو بھلا دیا۔ سر، آپ ایک اور بات دیکھ لیجیئے۔ کلاز 479 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اس آفینس کے پنِشمینٹ کا آدھا وقت اپنے ڈیٹینشن پیریڈ میں پورا کر لیا تو اسے بیل ملے گی۔ آپ نے تو اسے اور خطرناک بنا دیا ہے۔ کلاز 479 میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر قید کا ایک سے زیادہ آفینس ہوگا یا وہ پینڈِنگ ہوگا تو اسے بیل نہیں ملےگی۔

نشی کانت دوبے جی، آپ پر جب کیس لگا تو آپ نے کہا کہ آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا، یہ میں جانتا ہوں۔ پر آپ پر صرف ایک سیکشن تو نہیں لگا بلکہ کئی سیکشنس آپ پر لگا دئے گئے، تو پھر کیا مجھے بیل نہیں ملے گی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کس لئے کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ آج آپ وہاں بیٹھے ہیں، کل آپ یہاں آئیں گے، انشاء اللہ، فکر مت کیجیئے۔ پاور انٹر نل نہیں ہوتا۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو ان کی جگہ کسی اور کو موقع ملتا ہے۔ مگر، آپ کو ایک دن آنا پڑے گا۔ آپ یہ گندگی کر رہے ہیں۔

سر، یہ بتائیے کہ آپ اس کو کتنا کریں گے؟ **Persons had pending proceedings in more than one offence** اور چارج شیٹ میں کئی آتے ہیں یعنی جب ہم پر کیس بُک ہوتا ہے تو پھول کا گُلدستہ آتا ہے، اس میں ہر سیکشن ہوتا ہے، تو مجھے بیل نہیں ملے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ سر، سوری یہ اتنا بڑا بِل ہے۔

سر، اب ٹیررزم پر آتے ہیں، بی۔این۔ایس۔ کا ٹیررزم۔یہ بڑا ہی خطرناک کام آپ نے کیا ہے۔ اس سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ سوِل لبرٹیز خطرے میں پڑ جائیں گی اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو ٹیررسٹ نوٹیفائی کریں گے تو کورٹ کیوں نہیں کرے گا، پولس والا کیوں کرے گا؟ کسی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ گھوشِت کر دیں گے تو یہ خود سیپریشن آف پاورس کا وائلیشن ہے۔ جیوڈیشیل انڈی پینڈینس کا وائلیشن ہے۔ اندرا گاندھی ورسز راج نارائن کیس کا وائلیشن ہے۔ یہ مودی سرکار جیوڈیشری کی پاورس کو چھین کر خود جج، جیوری اور ایگزیکیوشن بن رہی ہے۔ سر، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ وہ ہی قاتل، وہ ہی مخبر، وہی منصف ٹھہرے۔

سر، مینڈیٹری ویڈیو، آپ نے کہا کہ جس جگہ پر سرچ ہوتا ہے، اس کی ویڈیوں ریکارڈنگ ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا اریسٹ ہوگا تو، تب آپ ویڈیو ریکارڈنگ کیجئے۔ جب میرے گھر پر پولس آتی ہے، تب ویڈیو ریکارڈنگ کیجیئے۔ جو میں پولس کو دیتا ہوں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کیجیئے۔ کلاز 183 میں وِٹنیس اسٹیٹمینٹ ہوگی، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کیجیئے۔ کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولس والے کے جسم پر ایک ویڈیوں ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو اس کی ریکارڈنگ ملنی چاہئیے لیکن اس کو نہیں ملتی ہے۔ (مداخلت) سر، کلاز 250 اور 262 انکنسسٹینٹ ہے۔ کلاز 250 میں 60 دنوں کا ٹائم لِمٹ ڈسچارج کے لئے ہے۔ اگر ایکیوز کو کاغذ نہیں ملتا ہے تو ہم سب جیل میں گئے ہیں، میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں، میں سسرال میں اتنا نہیں گیا ہوں، جتنا مجھے جیل میں جانے کا موقع ملا ہے، چاہے کانگریس پارٹی کی حکومت رہی ہو، یا تیلگو دیشم پارٹی کی حکومت رہی ہو۔ (مداخلت) سر، کلاز 262 میں ڈسچارج ایپلیکیشن ہے۔ وہ فریمینگ آف چارجز کے بعد ڈال سکتے ہیں۔ **it defeats the purpose. What is the discharge application which is to prevent police from using delay tactics ? discharge always precedes framing of charges.** میں اس وقت تک ڈِسچارج نہیں ڈال سکتا ہوں جب تک وہ نہیں ہوگا۔ سر، اب کلاز 251 اور 263 دیکھیئے۔ **Time limit for framing of charges in cases of Session Trials is 60 days from the date of first hearing on charges; warrant charges should be of 90 days.** مگر آپ نے کیا کیا، ہوشیاری دیکھئیے، **Can it prescribe a 90 days time limit for further investigation ? what will happen when the supplementary chargesheet is put? Will the accused be acquitted ?** برباد کرنے کی کہانی دیکھیئے، آپ نے 193 (9) ڈال دیا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا **This is a dead letter** یعنی آپ تو پورے کے پورے سِول رائٹس، سوِل لِبرٹیز، چھین لے رہے ہیں۔ سر، بی۔این۔ایس۔ میں لنچنگ کا ایک قانون بنایا ہے، کلاز 103 میں، اب آپ اس میں دیکھیئے، لنچنگ کب ہو سکتی ہے، جب آپ یہ بتائیں گے کہ کسی کو پرسنل بیلیف پر کوئی ٹائم لائن ہوگی؟

مارا گیا، جینڈر پر مارا گیا، کاسٹ پر مارا گیا۔ سر، آپ ایکیوزڈ کو تو چھوڑنے کے لئے موقع دے رہے ہیں۔ پرسنل بیلیف میں آپ ریلیجن کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ ان تینوں قانونوں میں ریلیجن استعمال کیا گیا ہے، اور کیا پرسنل بیلیف میں ریلیجن نہیں آتا ہے؟

سر، آپ یہ بھی دیکھیئے کہ کلاز 190 میں انلاء فُل اسمبلی ہے۔ **Five or more acting together,** پھر یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پانچ لوگ ملکر بھی مرڈر کریں گے تو ایک کلاز 103 بھی تو آپ نے کر دیا ہے۔ یہ تو انلاء فُل ایکٹِنگ ٹو گیدر ہے۔ سر، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بی۔ این۔ایس۔ کا 172 (2) دیکھیئے کہ پیٹی کیسز میں **When the occasion is past** اس کا مطلب کیا ہے؟ سر، ہوگا کیا آپ اور ہم چناؤ لڑتے ہیں، تو جو پارٹی اپوزیشن میں رہتی ہے، ان کے 25-50 لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، میرے بوتھ کے ایجینٹس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کیا مطلب کہ پولنگ 5 بجے ختم ہو جائے گی تب **When the occasion is past** لکھ رہے ہیں کہ پاسٹ ہو جائےگا تو پانچ بجے چھوڑ دیں گے۔ ارے آپ اپنا ہی ہاتھ خود کاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیئے، آج آپ مسکرا رہے ہیں، کل یہاں پر بیٹھیں گے تو یہ کام کوئی اور آپ کے ساتھ کر دےگا۔

سر، ریپ کیا صرف خواتین کا ہوتا ہے، کیا مردوں کا ریپ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا پروویزن نہیں ہے۔ کیا مردوں کی اسٹاکِنگ نہیں ہوتی ہے ؟ (مداخلت)۔

سر، ایسا ہوتا ہے (مداخلت) آپ ہنس رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آپکی ہنسی اس بات کا اِقرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس کا ہوا ہے (مداخلت)۔

سر، جسٹس جے۔ایس۔ ورما نے کہا ہے کہ یہ جینڈر نیوٹرل ہو، کلاز 69 لو جِہاد آ گیا۔ اس میں آپ بیونڈ ریجنیبل ڈاؤٹ پروو ہی نہیں کر پائیں گے۔ اب اس میں سب پریسنگ آئیڈینٹِٹی کے بارے میں کی بتانا پڑے گا، یعنی اگر چنڈی گڑھ کی کوئی خاتون مونو مانیسر سے عشق کرتی ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مانیسر یا چنڈی گڑھ کا نہیں ہے تو کیا کروس ایکشن نہیں آئے گا؟ آپ بتائیے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرا نام کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور نام ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ کومن نام ہوتا ہے کیا وہ سیکشن ایپلائی ہوگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایڈلٹری کو نکال دیا، آپ نے ہوموسیکسویلیٹی کو نکال دیا۔ یہ کنسینشول ریلیشن، جس سے 18 سے 20 سال کے اوپر کے لوگوں میں کرتے ہیں، میں مذہبی اعتبار سے اس کے خلاف ضرور ہوں، مگرآپ کیوں ان کی ایٹونومی کو روکنا چاہتے ہیں؟

سر، بی۔این۔ایس۔ کا کلاز 109 دیکھیئے۔ **It does not require knowledge or intension on the part of person facilitating the commission of organized .**

سر، آپ سیڈیشن کو دیکھ لیجیئے۔ سیڈیشن کو آپ نے دوبارہ لا دیا۔ آپ نے لو۔اے۔ سیڈیشن استعمال نہیں کیا۔ آپ نے سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکِنگ دی تھی کہ یہ پروویزن نہیں لایا جائے گا۔

چیرمین سر، یہاں پر مجھے ہندی کے ایک بہت مشہور کوی کا شعر یاد آ رہا ہے۔ یہ میتھلی شرن گپت جی کا شعر ہے۔

راجیوں کو یدی ہم بنا لیں بھوگ، تو بنے گا وہ پرجا کا روگ

پھر کہوں میں کیوں نہ اُٹھ کر اوہ، آج میرا دھرم راشٹر دروہ

سر، کارل مارکس نے کہا تھا کہ ۔ **History repeats itself, first as a tragedy, second as a farce.**

آپ کلاز 195 (1D) دیکھیئے. **It criminalises the making or publication of false and misleading information jeopardising the sovereignty and integrity of India.** یہ ویگ ہے، یعنی جو کوئی بھی پترکار انویسٹی گیشن، جرنلزم لکھے گا، آپ اس کو استعمال کر لیں گے اور اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال کر سڑا دیںگے۔

سر، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، ریس اینڈ نیگلیجینٹ ڈرائیونگ ایکٹ جو آئی۔پی۔سی۔ میں تھا، اس میں 2 سال کی سزا تھی۔ وہ دھارا 304 ہے۔ آپ نے اس کو بڑھا کر 5 کر دیا۔ یہ بی۔ این۔ایس۔ کی دھارا 106 میں ہے۔ ریس اینڈ نیگلیجینٹ ڈرائیونگ ایکٹ کی دھارا 304 آئی۔پی۔سی۔ میں تھی، اس دو سال کی جگہ دس کر دیا۔ یہ کریمینل جیورس پروڈینٹس کا حصہ نہیں ہے۔ کریمینل آرگنائزیشن ۔ اتر پردیش میں یو۔پی۔ گینگسٹر ایکٹ میں ایک چارج شیٹ میں گینگسٹر ایکٹ لگتا ہے، آپ بتائیےکہ پھر یو۔اے۔پی۔اے۔ کا کیا ہوگا، پی۔ایم۔ایل۔اے۔ کا کیا ہوگا، مہاراشٹر مکوکا کا کیا ہوگا، گجرات کے کوکا کا کیا ہوگا؟ آپ یہ سب قانون رکھ رہے ہیں، اور پولس والے کوآپ تمام قانون کی اجازت دیں گے۔ یاد رکھیئے، زندگیاں برباد کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا نقصان دلتوں، مسلمانوں اور آدی واسیوں کا ہوگا۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج پاور میں ہیں، کل نہیں رہیں گی، وہ بدلے کی بھاؤنا سے کام کرتی ہیں۔

سر، مجھے پولس نے پیٹا۔ سال 1999 میں 22 دسمبر کو میرے سر پر 20 ٹانکے لگے، پیٹھ سے لیکر پیر تک مارا گیا۔

سر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، تیلگو دیشم کی سرکار تھی، انہوں نے دونوں پولس والوں کو، جنہوں نے مجھے مارا تھا، آئی۔پی۔ایس۔ اسٹیٹس دے دیا (مداخلت)

میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سر آپ ان کو روکئیے (مداخلت) (کاروائی میں شامل نہیں) اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔

سر، آپ ٹیررزم کے ڈیفِنیشن میں دیکھیئے۔ یو۔اے۔پی۔اے۔ کا سیکشن 16 کلاز 113 میں آ گیا۔

یو۔اے۔پی۔اے۔ کا کلاز 18، 113 (3) میں آ گیا۔ یو۔اے۔پی۔اے۔ کا کلاز 20، 113 (5) میں آ گیا۔ یو۔اے۔پی۔ اے۔ کا سیکشن 19، 113 (6) میں آ گیا۔ ارے، بھائی صاحب، پھر کیا بچا ہے؟ اب یو۔اے۔پی۔اے۔ ، مکوکہ، گجرات کوکا۔ پی۔ایم۔ایل۔اے۔ سب لا دیا۔

اسپیکر سر، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے امید کر رہا تھا، میں نے وزیرِ داخلہ امت شاہ صاحب کا ایک اسٹیٹمینٹ سُنا۔ جب وہ گجرات کے ہوم منسٹر تھے، تو ان پر ظلم کیا گیا، ان کو دبایا گیا۔ مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نا انصافی ہوئی، جو وہ کلیم کر رہے ہیں، تو کم سے کم وہ دوسروں سے نا انصافی نہیں کریں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہزاروں لوگ ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ ان کے پاس وکیل ہے، نہ ان کے پاس آزادی ہے۔

سر، یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لئے، غریب طبقات کے لئے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ میں سرکار کو یہ چارج دے رہا ہوں، چیک ریپبلک میں نکھل گُپتا بیٹھا ہے، اس کو لیکر آؤ، کلبھوشن یادو پاکستان میں بیٹھا ہے، اسے لیکر آؤ، قطر میں ہمارے فوجی بیٹھے ہیں، ان کو لیکر آؤ۔ کہاں تمہاری دیش بھکتی ہے؟ نِکھل گپتا کو لاؤ اس قانون کا استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے۔ میں اس قانون کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں، جو بھارت کی جمہوریت کے لئے خطرہ بنے گا۔]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **(**हमीरपुर**):** सभापति महोदय, आज इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने के लिए मुझे पार्टी ने अनुमति प्रदान की है और मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं । कल इन तीनों बिलों पर और हमारे सदन के सभी दलों के विद्वान माननीय सदस्यगणों ने विस्तार से अपने विषय यहां पर रखे ।

आईपीसी, सीआरपीसी और एवीडेंस एक्ट, आईपीसी एक्ट में बदलाव की आवश्यकता वर्षों से थी । मैं सौभाग्य मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक नये सदन में देश की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों एक्ट्स को समाप्त करके, आईपीसी को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, 2023, सीआरपीसी को समाप्त करके भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, 2023 और एवीडेंस एक्ट को समाप्त करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लाया गया है । अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत में यह आईपीसी क्यों बनाया था? जब देश को आजाद कराने के लिए देश के मतवाले राष्ट्रभक्त सभी क्रांतिकारी वर्ष 1857 के संग्राम में कूदे तो उनको लगा कि देश में राष्ट्र भक्ति की भावना बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है । इससे बहुत जल्दी हमारा देश आजाद हो जाएगा और अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ेगा । इसलिए, 3 साल के बाद वर्ष 1860 में मैकाले द्वारा इसे तैयार किया गया । उन लोगों को उस समय उन अत्याचारी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने मानवाधिकारों के बिल्कुल विपरीत केवल राष्ट्रवाद की ज्योति को रोकने के लिए आईपीसी का निर्माण किया कि देश बहुत लम्बे समय तक गुलाम रह सके । इस एक्ट के कारण 90 वर्षों बाद हमें आजादी मिल पाई, यह मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है ।

महोदय, अंग्रेजों ने दंड देने के लिए कानून बनाये थे, न्याय देने के लिए नहीं बनाये थे । आज 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो नये तीनों कानून बन रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये न्याय देने के लिए हैं और यह सदन उनको अभी पास करने वाला है । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं ।

जब-जब बदलाव की बात भारत सरकार ने की, मोदी सरकार ने की, विपक्ष ने हमेशा हंगामा किया, हमेशा उसको गलत बताया, चाहे ?वन नेशन, वन टैक्स? की बात रही हो । जीएसटी आया, सभी ने विरोध किया, सड़कों पर भी विरोध किया, सदन में भी विरोध किया, लेकिन आज उस जीएसटी से देश का खजाना भर रहा है और देश बड़ी रफ्तार के साथ बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है । मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो हमारी अर्थव्यवस्था दसवें नम्बर पर थी, आज वह अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर आ गई है । हर कानून को बनाने का जो उद्देश्य है, वह मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का यह है कि कैसे हमारा देश पूरी दुनिया का सिरमौर बने, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है ।

पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से विषय को रखा । आदरणीय विष्णु दयाल राम जी, जो पूर्व डीजीपी रहे, सत्यपाल जी, वह भी पुलिस कमिश्नर रहे, उन्होंने अपनी पुलिस की बात कही । जगदम्बिका पाल जी, निशिकांत दुबे जी, सभी लोगों ने अपने स्तर से अपनी बात को रखने का काम किया ।

13.00 hrs

जो विषय पहले विस्तार से आ चुका है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं । मैं दो-तीन बिन्दुओं पर बात करना चाहूंगा, जो प्रावधान किए गए हैं, वे बहुत अच्छे हैं । तीन दिनों के अंदर हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर किया जा सकता है, यह बहुत अच्छा नियम है । आने वाले समय में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़गी । अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं, उसके लिए लगभग 33 हजार फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स हर साल फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटीज से आएंगे, लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा । पीड़ित को न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलने का काम होगा । अनेकों ऐसे नियम बनाए गए, पहले गिरफ्तारी के बाद चार-पांच दिनों तक थाने में ही बंद करे रखते थे । खासतौर से जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें होती हैं, जहां जातिवाद से काम करते हैं, क्षेत्रवाद से काम करते हैं, समाज को बांटने की विचारधारा से काम करते हैं, वे लोगों को थाने में पीड़ित करते थे,

उनके घर वाले ढूंढ़ते रहते थे कि लोग कहां हैं? अब हर थाने में एक एसआई लेवल का ऑफिसर डेप्युट किया जाएगा । अब उनकी जिम्मेवारी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उसके घर वालों को सूचना देगा कि हमने गिरफ्तारी की है, कब की है और किस थाने में रखेंगे ।

समरी ट्रॉयल में दो-तीन साल का मामला था, उसके आधार पर जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, बड़ी तेजी से हम लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को न्याय मिल सकेगा । मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं, राष्ट्र हित के अति महत्वपूर्ण विषय पर इस बहस का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व का विषय है । मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, मैं वहां देखता हूं कि जितने सूदूरवर्ती गांवों में निर्धन और ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों को, अनेक मामलों में दबंग और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, झूठे मामले में फंसाने का काम करते हैं । वे न्याय के लिए दर-दर भटकते रहते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है ।

सदन में कई लोग ऐसे हैं, इस सदन की आदरणीय रमा देवी जी के पति बिहार सरकार में मंत्री थे, वहां उनकी हत्या हुई थी । आज तक उनको न्याय नहीं मिला, वह अपने क्षेत्र को रिप्रजेंट करती हैं, उनकी जनता उनको चुन कर बार-बार यहां भेजती है । निशिकांत दुबे जी बता रहे थे कि मेरे ऊपर कभी मुकदमा नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ ही धारा 307 लग गयी । सभी माननीय सदस्य लोग इस बात को देखते हैं कि जो भी सामाजिक क्षेत्र में आगे आता है, लोगों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करता है और लीड करता है । वहां विपक्ष की सरकारें निश्चित ही उसके ऊपर मुकदमा लगाने का काम करती हैं ।

मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पूरी शुचिता और शत-प्रतिशत पूरी निष्ठा-ईमानदारी से काम करता हूं । आज तक किसी भी मामले में पांच नया पैसा का गुनाहगार नहीं हूं लेकिन जब ईमानदारी से काम करते हैं, माफियाओं से डरते नहीं हैं, भ्रष्टाचारियों के सामने घुटने नहीं टेकते, अपराधियों के सामने घुटने नहीं टेकते, जितने खनन माफिया हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं तो हमें भी कई बार व्यक्तिगत रूप से कई ऐसी चीजें झेलनी पड़ती हैं । जब वे कुछ नहीं कर पाते हैं, जब मोदी सरकार और योगी सरकार ईमानदारी से काम करती है तो अपराधियों के मंसूबे पूरे नहीं होते हैं ।

आजकल एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है । मीडिया में कई लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं । आजकल सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल बनाकर कुछ लोग पत्रकारिता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलौने बनकर, जिन्होंने मान-सम्मान कमाया, उन पर आंच डालने का काम करते हैं, झूठे मुकदमे लिखाने का काम करते हैं । पिछली बार वर्ष 2018 में जब आदरणीय सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थीं, उस समय सदन में एससी/एसटी बिल पास हो रहा था, मैं सदन में वोटिंग कर रहा था । जब मैं यहां सदन से निकल कर गया तो मुझे वहां फोन आया कि टेलीविजन में चल रहा है कि हमीरपुर के दबंग सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने फायरिंग की । मैं यहां सदन में उपस्थित हूं और वे लोग पुलिस में एफआईआर कराने गए, वहां के पत्रकार लोग पहुंचे, बड़ी ताकत के साथ वहां घेराबंदी की, जब उनको पता चला कि सांसद दिल्ली में संसद में बैठे हैं तो मेरे पिताजी के खिलाफ दूसरा अप्लीकेशन टाइप किया और थाने में पहुंच गए । जब एक सामाजिक व्यक्ति, जो दूसरों की लड़ाई लड़ता है, कई बार उसे भी मजबूर होना पड़ता है । सुदूर गांव में रहने वाले अशिक्षित व्यक्ति को झूठे केस, एससी/एसटी केस में फंसाया जाता है । मेरे यहां बुंदेलखंड की हर जेल में लगभग 70 परसेंट निर्दोष लोग बंद हैं, जिन्हें झूठे केसेज में फंसाया जाता है । उनको देर-सवेर न्याय मिलता है । आज अमित शाह जी बिल लेकर आए हैं, इससे निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा और जल्दी से उनको सुविधा प्राप्त होगी । उनका सम्मान भी कायम रहेगा ।

सभापति जी, डिजिटलाइजेशन से न्याय सब के लिए सुलभ हो जाएगा । पहले न्यायालय के आदेश दोनों पक्षों के लिए दुर्गम होते थे, अब इंटरनेट से यह सब एक क्लिक ही दूर है । यह ऐतिहासिक कदम है । पहले गांवों में अशिक्षित पीड़ित अपने स्वयं के मामलों से संबंधित न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे ।

महोदय, डिजिटलाइजेशन के साथ गोपनीयता और लोगों को बदनाम करने के लिए डीप फेक बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई समस्याओं का समाधान करने की भी आवश्यकता है । इसमें इस विषय पर भी विचार किया गया है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है । डीप फेक जैसी झूठी सामग्री प्रकाशित करने पर दंडित करने के लिए मानहानि की धारा के तहत प्रावधानों को पेश करने की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं उन पीड़ितों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके ऊपर झूठे मामलों के कारण अत्याचार होते हैं । झूठे मामलों में घसीटे जा रहे निर्दोष लोगों को निर्दोष साबित होने पर मुआवज़े का हक होना चाहिए । अक्सर देखा गया है कि कई लोगों की प्रेक्टिस बन गई है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर देते हैं । हमारे यहां बहुत लोग ऐसे हैं, जिनके पास जमीनें हैं और उनको भू-माफिया और भू-स्वामी पुलिस का भय दिखाकर, झूठा मुकदमा करने की बात कहकर आधी से कम कीमत पर जमीन ले लेते हैं और वे अपना नगर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं । झूठी एफआईआर लिखवाने वाले लोगों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

महोदय, सरकार ने जो कानून बनाया है, दंड देने के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए बनाया है और मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं । मैं दिनकर जी की एक पंक्ति कहकर अपनी बात पूरी करता हूं ?

छीनता हो सत्व कोई, और तू त्याग-तप से काम ले, यह पाप है,

पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है ।

भारत माता की सुरक्षा के लिए जिस न्याय और कानून की आवश्यकता है, उसे निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार पूरा करेगी । मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Sir, what about me?

HON. CHAIRPERSON: You will be given the chance.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Yesterday also, you said the same thing.

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. You are a lone Member of your party. You will be given the chance. Now, please sit down.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

Shrimati Harsimrat Kaur Badal.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य माइनोरिटी कम्युनिटी से हैं । आप इनको भी बोलने का मौका दे दें ।

Sir, today, we are debating on the total overhaul of the Criminal Procedure Code after many, many years. The Government is bringing in something which is going to send out a message not only to the people of this country but to the entire world. आज जब भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चलना चाहता है तो विश्व गुरु अपने लोगों के इस सिस्टम को जब ओवरहॉल करता है, तो पीछे से सीखकर आगे क्या दिशा देगा? We are looking to the future and we want to compete with the developed countries. But we should not bring in such a draconian law. By this, we can become an authoritarian State like China. We want to live in a State where human lives, human values, our rights as enshrined in the Constitution for everybody, from a minority to an SC, to the last person in the queue, all are given equal importance and equal regards.

Before me, my colleague Owaisi sahab said a lot of things and I am in agreement with many of those things. The fact of the matter is that history has shown that whenever there are atrocities, it is the minority which has suffered the most. I come from a State where we have been at the receiving end of this forever.

Sir, today, the most important thing for any human being is his freedom as enshrined in the Constitution, my civil rights, my right as a human being to express what I believe, to be able to say what I want and not to live in fear of a police state, misusing their powers to hound me because I have certain beliefs. I have the right to express them.

Unfortunately, today, this law is going to give unbridled power to the police and make it an authoritarian State rather than a democratic country that we want to live in as enshrined in the Constitution of Dr. Baba Sahab Ambedkar.

Sir, on this Bill, I would just like to make a few small points that the police is getting the kind of powers which I do not think any police force should ever have. It is clear that all those who are appointed are appointed by political people and obviously their allegiance will be towards those political people. I do not need to tell what the Supreme Court says about certain caged parrots but here we are talking about police at the level of State also. Starting from Thanedar to the SSP, to the DIG, to the DGP, all are political appointees and because of that there is political pressure on their actions. Everybody sitting in this august House, every political party, has borne the brunt of that. Nobody should understand it better than us and our hon. Home Minister. That is why, I feel that these powers have been given without any

check and balance to do as they want. The police have been given such powers. There is UAPA law but today the police have been given exactly the same powers and there are no checks and balances whatsoever. These arbitrary powers are against liberty, democracy, dissent, and opposition. I think, here is a living example that such an important Bill is being discussed, which should be discussed in a free and transparent manner where everybody is allowed to air their views, and there is only the Ruling Party and a handful of us, the Opposition people, who are being allowed to say what we want. This is not the way for such an important Bill to be passed. These Bills have many discrepancies. I do not know whether I should repeat what Owaisi *sahab* has already said. For example, the police custody upto 60 days and how the police will decide what they want to do and how they want to do, I do not want to get into all of these things.

My point is more on the human rights angle of it because as a Sikh, Sir,

I am a Sikh and I would like to say that our history is replete with examples of police atrocities. The entire India knows that our 9th Guru Shri Guru Tegh Bahadur ji sacrificed his life for protecting ?tilk? and ?janeu? of Hindus. He became a martyr. In Gurudwaras, we pray for welfare of all human beings. If we talk about the country***** ? (Interruptions)

Sir, if we talk about the country, whether it is Pre-Independence, Post-Independence, and till date, the Sikh community has made the largest sacrifices for this nation and are the most patriotic community. I would like to highlight a few of these things.

Before independence, Sikhs constituted only 1.5% of India?s population. We have suffered a lot at the hands of majority community. If they took certain steps in the passion of the moment, it was because of the conditions that were prevailing in Punjab at that time. These people are rotting in jails for the last thirty to thirty-five years.*****

I would like to tell this august House that during the freedom struggle, 77 per cent out of the total people sent to gallows were Sikhs. During Quit India Movement when many indiscriminate arrests were made, 70 per cent of those were Punjabis who were arrested. Out of 2000 people who joined the Indian National Army when that Army was formed, 60 per cent were Sikhs. Out of 121 patriots hanged during the freedom struggle, 93 were Sikhs. Out of 2600 awarded the life imprisonment during the freedom struggle, 2147 were Sikhs. Out of 1300 martyred in Jallianwala

Bagh, 799 were Sikhs. जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय सिखों ने सन् 1925 से 1930 में अपना गुरुद्वारा ब्रिटिश के पिट्ठुओं से आजाद करवा लिया था । After that, all leaders of every party admired our sacrifices. Pandit Jawaharlal Nehru said: ?I salute the Akalis who have started the struggle for freedom and are fighting for it.? This was in 1920 when Jawaharlal Nehru said this who became the Prime Minister later. पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था? ?Guru Ka Bagh Morcha has given birth to the freedom movement which must lead us to Swaraj.?

यह फ्रीडम मूवमेंट हमारे अकाली दल ने शुरू किया था Lala Lajpat Rai ji said:

?Freedom is our birthright. The Akalis are the legitimate sons of Mother India who are fighting for her.?

Sir, in every sphere, I can say that, considering we were hardly 1.5 per cent of the total population, we have made a contribution. यह भी मैं कह सकती हूं कि अगर आज पंजाब हिन्दुस्तान में है तो इसमें भी हमारे मास्टर तारा सिंह जी की इंटरवेंशन थी । He went to the Muslim League Flag atop the Punjab Assembly at Lahore and pulled it down which saved half of Punjab for India. Otherwise, entire Punjab would have gone to Pakistan, left to Mr. Nehru, and the Yamuna River would have been the dividing line between India and Pakistan. यह लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी । उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ और हजारों-लाखों सिख और हिंदू वहां से उजड़ के इधर आए । यह सब होने के बाद what did we receive post-Independence? Those were all kinds of atrocities by the State. हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद कराने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े-टुकड़े करके, अलग-अलग राज्य बनाए गए । हमें राजधानी नहीं दी गयी । हमारा पानी दूसरे राज्यों को दे दिया गया against riparian principles. हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव ? (व्यवधान) सर प्लीज, अब तो कोई ओपोजिशन नहीं है, आज तो बोलने के लिए टाइम दे दीजिए ।

माननीय सभापति **:** आप इस बिल पर बोलिए ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल **:** सर, मैं बिल पर आ रही हूं । मैं एट्रोसिटीस की बात कर रही हूं कि कानून कितना जरूरी होता है ।

उसके बाद एक स्टेट स्पोंसर्ड जेनोसाइड कैसे हुआ? हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर, ? के कहने पर टैंकों-तोपों से हमारे धार्मिक स्थान पर अटैक किया गया । गुरूपूरब के दिन जब वहां श्रद्धालू थे, उनका कत्ल करके, सारा सरोवर लाल कर दिया गया । यह स्टेट स्पोंसर्ड था । जब ?***** अपने ही लोगों के ऊपर, क्यों आज तक ?***** नहीं लगा । उसके बाद जब दिल्ली में वर्ष 1984 का जेनोसाइड हुआ तो हमारे कितने सिखों का कत्लेआम सरेआम हुआ । यह सारा देश जानता है कि यह कांग्रेस की देन थी । आपको हैरानी होगी कि सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई । आज 40 साल होने के बाद भी हमें कोई जस्टिस नहीं मिला, आपके इस नये कानून में । सिखों के साथ कहां इंसाफ है? कौन सा वह पॉइंट है, मुझे गृह मंत्री जी बताएं जहां हमें 40 साल बाद इंसाफ मिलेगा । मैं यही कहना चाहती हूं कि जब हम सिखों के धार्मिक स्थानों पर अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए,

किसी को वहां सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगायी गयी । हमारी बहनों के साथ जो रेप हुआ तो हमारी कहीं सुनवायी नहीं हुई । इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपीए लगाकर के, ऐसे-ऐसे कानून लगाकर उनकी पूरी जवानी, यहां बिट्टू जी नहीं हैं, कांग्रेस के एमपी साहब, ?* फेक एनकाउंटर्स में आज तक हजारों-लाखों नौजवानों का पता नहीं लग रहा है कि वे कहां गए? पुलिस के पास अनब्राईड्ल्ड पावर्स थे । इस तरह के विदआउट चैक्स एंड बैलेंसेस पावर कितना बढ़ा नुकसान कर सकता है, यह हम पंजाबियों ने देखा । सर, जब ऐसे हालात थे कि नौजवानों को पुलिस द्वारा मारा जा रहा था । एक कहानी से आपको हैरानी होगी कि एक 19 साल की लेडी के हसबैंड को उठाकर पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया । अब 30-40 साल बाद थानेदार से लेकर डीजीपी और आईजी तक सबने माना और इंसाफ दिया कि वह फेक एनकाउंटर था, फेब्रिकेटेड था, उसको टेररिस्ट बनाकर एनकाउंटर कर दिया गया । यह तो 80 के दशक में पंजाब के हर घर की कहानी थी । जब ऐसा माहौल था और नौजवान मारे जा रहे थे तो उन लोगों को रोकने के लिए ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं तो दीजिए ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल **:** सर, मैं उसी पर आ रही हूं । जब ऐसा माहौल पंजाब में 10-12 साल चल रहा था तो कुछ नौजवान, इस हाउस में आपने देखा कि कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया? वे नौजवान क्या कह रहे थे? वे अपनी बेरोजगारी, मणिपुर या फार्मर्स के राइट्स की बात कर रहे थे । नौजवानों ने अपनी भावनाओं में बहकर के उस समय कुछ कदम उठाए । वे 25-25 साल के नौजवान थे ।

मैं बहुत विनम्रता से बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है । पंजाब में उस समय के माहौल में भाई राजोआना जी जैसे**,** देविन्दर पाल सिंह भुल्लर जैसे तथा गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने कई कदम उठाए, क्योंकि पंजाब के हालात ही ऐसे थे । उन सभी को 30-30, 35-35 साल हो गए, वे जेल में बैठे हुए हैं । Where does the Constitution or the legal prudence say that you can just be imprisoned forever without any justice? यह तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है । यह एक इंसान की इंसानियत के लिए वायलेशन है । Here, I want to speak on the mercy petition. आपने मर्सी पिटीशन के बारे में कहा है । मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि हमारे भाई राजोआना जी के बारे में आप जानते हैं, वे 28 सालों से जेल में बंद हैं । क्योंकि सन् 1984 के दंगों के समय उन्होंने कोई कदम उठाया था, कोई कॉन्सपिरेसी की थी । He is lying in a 8x8 prison cell for 28 years. His mercy petition is pending for 12 years. No decision is being taken. The court asks the Government to take a decision. But the Government does not take any decision. Now, the new law says that besides his family nobody can apply for it at all. What if the person in prison has no family? उनके माँ-बाप मर गए तो कौन करेगा? आप यह कहाँ से लेकर आ रहे हैं । अगर 12-12 सालों तक फैसला न हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, मैं आपसे अपील करती हूँ कि जो आठ बाय आठ सेल की जेल में 25 सालों से बंद है, जिनकी आज उम्र 60-65 साल हो गई, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पर फैसला दीजिए, लेकिन the Government says that anti-social elements are a problem to society.

सर, कई लोग ऐसे हैं, जो बेअंत सिंह जी की हत्या में शामिल थे, उनको लीगली तरीके से परोल भी मिल गई है । वे अपने घर पर भी रह रहे हैं । अदालत ने उनको घर भेज दिया है । राजीव गांधी के किलर्स को भी घर भेज

दिया है । उनसे सोसायटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है । उनका प्रिजन में गुड कंडक्ट रहा तो ऐसे लोगों को क्यों फ्री नहीं किया जाता है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, please give me two more minutes. .... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: No, please conclude. You have taken enough time.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल **:** सर, गुरू नानक साहब के 550 वें प्रकाश पर्व पर सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था, लेकिन आज मुझे इस कानून में कुछ नहीं दिख रहा है । When remission has been granted, and when these prisoners are going to be set free which you promised in 2019, nothing seems to happen. आज तक कुछ नहीं हुआ । आज आप यूएपीए के तहत पुलिस को पूरी पावर दे रहे हैं । वर्ष 2019 में आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, लेकिन अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट घोषित कर देते हैं । इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है । अब देश में भी हम देख रहे हैं कि किसी को भी टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है । आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों द्वारा सिखी का प्रचार करने के लिए उनके घर पर कुछ पैम्प्लेट मिले तो उन पर भी यूएपीए लगा दिया और फिर आप उनको उठाकर दूर-दूर भेज देते हैं, जहां बेल तक नहीं होती है । यह पुलिस का मिसयूज है । हम इसके गवाह हैं । अगर ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो ?

HON. CHAIRPERSON: Why are you standing like this? Please sit down.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have told you that your chance to speak will also come.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

Shri Ramesh Bidhuri ji, please continue your speech.

श्री रमेश बिधूड़ी **(**दक्षिण दिल्ली**):** सभापति महोदय, गुलामी की निशानी को मिटाने के लिए, 100 साल पहले के चिह्नों को समाप्त करने के लिए मैं देश के माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ**,** जिन्होंने इस पर लगभग 200 मीटिंग्स कीं । कानूनविद्, बुद्धिजीवी वर्ग, स्टैंडिंग कमेटी की स्टडी के बाद और एक लंबे प्रोसेस के बाद यह फैसला हुआ है । सन् 1860, 1872 तथा 1973 के ऐसे कानून थे, जो अंग्रेजों के द्वारा राज को बचाने के लिए बनाए गए थे । अगर मैं इसको सन् 1857 और 1860 से जोडूं तो सन् 1857 में अंग्रेजों को हटाने के लिए देश ने अंगडाई ली थी । उन लोगों को कानूनों का सहारा लेकर दबाया जाता था ।

माननीय सभापति जी, आप स्वयं मेरठ से सांसद है । सन् 1857 के धन सिंह कोतवाल को कौन भूल सकता है? उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और जेलों में जो बेकसूर लोग थे, उन्हें छुडाया ।

तब करीब 6 हजार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी । वे काले कानून आज तक किसी ने बदलने की और अभी सिमरत कौर जी मनुष्यों के अधिकारों के बारे में बोल रही थीं तो उन सब अधिकारों को दिलाने के लिए कभी किसी ने साहस नहीं जुटाया, लेकिन मैं मोदी सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पहले वाले कानून दंड पर आधारित कानून थे । हमारे देश के अंदर तीन तरह के कानून थे, जो गुलामी के प्रतीक के रूप में थे ।

इंडियन पीनल कोड, 1857 यह बताता है कि अपराध क्या है? किसी अपराध की क्या सजा है? अब यह कानून बदल कर भारतीय न्याय संहिता के रूप में तब्दील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, न कि अपराध और दंड की तरफ ध्यान दिया जाए । अब यह भारतीय न्याय संहिता जो पहले भारतीय दंड संहिता के रूप में था, मूल रूप से पहले वाला दंड और अपराधी पर केन्द्रित था और अब पीड़ित के लिए न्याय केन्द्रित विधेयक लाया गया है, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 स्टैब्लिश करता है कि इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अपील कैसे होगी? अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब अब प्रोसिजर नागरिक को सुरक्षित एवं न्याय दिलाने के लिए संकल्पित होगा । तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 है । यह कानून साक्ष्य से संबंधित है । प्रस्तुति एवं रिलायबिलिटी के विषय में कानून को लाया गया है ।

सभापति महोदय, भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशेषताएं है । माननीय गृह मंत्री जी के प्रयास से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा कुछ तब्दीली की गई है, जैसे अलगाववाद । अगर रिबेलियन अगेनस्ट गवर्नमेंट, जिस प्रकार से अलगाववाद की बात किया करते थे, अलगवाद की बात करने से भारत तेरे टुकड़े होंगे, जैसे गैंग के लोगों को भारत में अलगाववाद फैलाने का मौका मिलता था । नक्सलाइट के रूप में जो होते थे, वे गवर्नमेंट के खिलाफ कहते थे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, राज्य के खिलाफ बोल रहे हैं । अब यह कानून कर दिया गया है कि यह कानून राज्य के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि यह राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा और अब इसको आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, ताकि आगे आने वाले वक्त में लोग ऐसी हिमाकत न कर पाएं ।

अभी जिन्होंने चर्चा की है । बहुत वक्ताओं ने चर्चा की है । पार्लियामेंट में एक सप्ताह पहले जो घटना घटी थी । जो लोग यहां कूद गए थे, उनको सरदार भगत सिंह जी की फोटो दिखाई जाती है, उनको सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो दिखाई जाती है । वह सोशल मीडिया पर डाला जाता है । उन नौजवानों को बरगलाया जाता है । उनको यह बताया जाता है । अरे भाई! तब देश गुलाम था । तब देश में तानाशाही थी, लेकिन अब देश में लोकतंत्र है । अब देश में सरकारें जनता चुनती है । अगर जनता को लगेगा कि सरकार गलत कर रही है तो तुम्हारी आतंकवादी जैसी गतिविधियों से संदेश नहीं जाना चाहिए, बल्कि पांच वर्षों के बाद जनता खुद सरकार बदल देगी । यहां तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो लगाकर, सरदार भगत सिंह जी के आइकॉन के रूप में उनको भी बदनाम करने का काम लोग करते हैं । ऐसे लोगों के खिलाफ, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ताकि कोई भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के बारे में हिमाकत न कर पाए । यह सेक्शन 113 के अंदर प्रोविजन किया गया है । भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग बहाना क्या बताते हैं कि हम बेरोजगार थे । क्या बेरोजगारी के कारण आप बैंक को लूट लेंगे? आप धंधा करिए । 39 करोड़ लोगों को लोन मुद्रा योजना के तहत दिया गया है । आप उसके माध्यम से लोन लेकर धंधा करिए । आपको 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक स्वनिधि योजना के तहत काम करने के लिए पैसा मिल रहा है । देश के लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है । आप उसका लाभ उठाइए, इसके लिए आपको कौन मना करता

है । लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो सोशल मीडिया पर डाल कर, जिससे देश की छवि दुनिया में कलंकित होती है । मैं पूछना चाहता हूं - बेरोजगारी, बेरोजगारी । 39 करोड़ लोगों को जो लोन दिए गए हैं, वे देश के ही नौजवानों को ही दिए गए हैं । वे पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं दिए गए हैं, वे देश के नौजवानों को दिए गए हैं । हम आपको पहले का इतिहास बताएं, तो पहले गरीब लोगों को बगैर ब्याज के कितने लोन प्रोवाइड किए जाते थे? बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारी जा कर घर पर गरीब को कह रहे हैं कि गारंटी मोदी जी की है । आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है । आप यह पैसा लीजिए और काम-धंधा कीजिए । ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 113 के अंदर व्यवस्था की गई है ।

सभापति महोदय, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । मानसिक प्रताड़ना, पहले महिलाओं के साथ जो मार-पीट, केवल उसी को क्रुएलटी बोलते थे, अब उसको मानसिक प्रताड़िता, दहेज के रूप में किसी भी रूप में, अगर घर में बहन को प्रताड़ित करेंगे, कुछ गलत मानसिकता के लोग होते हैं, उसको भी अब क्रुएलिटी के रूप में सेक्शन 80c में यहां पर स्थान दिया गया है, ताकि बहनों-माताओं के साथ अत्याचार न हो । माता-बहनों के साथ होने वाले जो सेक्सुअल जो ऑफेंस होते थे, उन केसेज में वुमन की आइडेंटिटी को डिसक्लोज करने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है ।

अभी आप देख लीजिए । पश्चिमी दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी गई । कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने?* ने सोशल मीडिया पर, वे हाउस के माननीय मैम्बर हैं । इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे माननीय मैम्बर नहीं थे ।

अपनी पॉपुलेरिटी प्राप्त करने के लिए उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया, उस परिवार को बदनाम करने के लिए उस बच्ची का फोटो ट्विटर पर डाल दिया । इस प्रकार अगर माता, बहनों के साथ हैरासमेंट होगी, कोई व्यक्ति उसको पब्लिसाइज करेगा तो इस कानून के सेक्शन 72 के अंदर दो साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, जो पहले नहीं होता था, जो 100 साल पुराने कानून थे । गैर जिम्मेदार लोगों पर भी रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है । सेक्शन 69 में शादी का झूठा झांसा देकर लोग शारीरिक संबंध बनाते थे । लोग कहते थे कि मैं शादी करूंगा, पुलिस के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी । जब पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं मिलती तो सेक्शन 376 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती थी । महिला बेचारी होस्टाइल हो जाती थी । वह सोचती थी कि मैं कोर्ट में जाकर बदनाम होती फिरूंगी । कोर्ट में जाकर कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे जलील होना पड़ेगा । अब नाम बता कर, अपना काम बता कर, अपनी पहचान छुपा कर यदि कोई कहता है कि मैं शादी करूंगा और उसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट करता है, भले ही वह सहमति से भी करे तो उसमें भी दस साल की सजा का प्रोविजन रखा गया है । हमारे कानून में पहले कोई स्पष्टीकरण कहीं भी उजागर नहीं था । इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ? (व्यवधान) सर, मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । मैंने दस मिनट के लिए बोला था । सर, मेरे पांच मिनट बढ़ा दीजिए ।

सर, अब ट्रायल कोर्ट टाइम बाउंड मैनर में होंगी । 15 साल, 17 साल जैसे निशिकांत दुबे जी ने अभी जिक्र किया था । मैं अभी एक पॉलिटिकल फंक्शन के अंदर खड़ा था । मैं मंच पर खड़ा हुआ हूं, नीचे कुछ लोगों का झगड़ा हो गया । विरोधी लोगों ने उनको बहला-फुसला कर कहा कि आप बिधूड़ी का नाम कहो । पुलिस ने कहा कि हम मौके पर मौजूद थे, बिधूड़ी जी झगड़े में थे ही नहीं, लेकिन कोर्ट में चले गए । कोर्ट में जाकर कह दिया कि पुलिस दबाव में आ जाती है और मुकदमा दर्ज नहीं किया होगा । 14 वर्ष तक एक बेतुके धारा 323, 341 के मुकदमे में मुझे कोर्ट में जा-जाकर खड़ा होना पड़ता था । ये ? जैसे लोग, बौने दुर्योधन लोगों को गुमराह करते

थे कि रमेश बिधूड़ी हीनियस क्रिमिनल है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जबकि किसी देश की अदालत में मेरे पर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है । इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए अब टाइम बाउंड, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए और वे फैसले किए जाने चाहिए । पुलिस इनवेस्टिगेशन के अंदर समाज की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकार ? इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करके कानून में प्रोविजन किया गया है । यहां एक तरफ जहां पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, वहीं कोर्ट को भी पावर दी गई है ताकि अभियुक्त के अधिकारों की भी रक्षा हो सके । मैं आगे आने वाले वक्तव्य में आपको बताना चाहूंगा । कम्युनिटी सर्विस के अंदर, इस प्रावधान के अंदर जो पेटी ऑफेंसेज होते थे, छोटे-मोटे अपराधी को सेक्शन 4(एफ) के अंदर समाज सेवा में लगाया जाएगा । अगर वह व्यक्ति जेल जाएगा, कोई छोटा-मोटा क्राइम हो गया, जेल में जाकर किसी बड़े क्रिमिनल की संगत में जाएगा, तो वे उसकी लाइफ को खराब कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे । इसी प्रकार से जैसे इन लोगों को बहला-फुसला कर पार्लियामेंट में कूदवा दिया । इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी के संकल्प को भी यहां दोहराने का प्रयास किया है कि उन्हें सुधरने का मौका मिल जाए । ऐसे क्रिमिनल की रिफॉर्मिंग हो जाए । अगर मैं सेक्शन 473 की बात करूं, रेमिशन के अंदर 14 वर्ष के बाद अगर किसी को सजा हो गई, अभी बहन जैसे पंजाब के बारे में जिक्र कर रही थी कि 28 साल हो गए हैं, अगर आजीवन कारावास के बाद उसको यह अधिकार मिला हुआ है और स्टेट के अंदर वे अपनी पेटिशन में जाते हैं, तो सरकार को यह स्पष्टीकरण करना चाहिए कि ?एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? शब्द लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सही होगी? एक स्टेट ?ए? है, उस स्टेट के अंदर क्राइम हो गया, दूसरी स्टेट ?बी? है । अगर ?ए? स्टेट के अंदर क्राइम हो गया और वह वहां की सरकार के दबाव में कहने लगे कि ट्रायल दूसरी स्टेट में किया जाना चाहिए । ट्रायल दूसरी स्टेट में जाकर हो गया । ट्रायल दूसरी स्टेट में जाकर होगा और उन्होंने कन्विक्टेड घोषित कर दिया, अगर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है या माफीनामे के लिए जाता है तो अदालत कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेगी । मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस राज्य में जुर्म हुआ है, उसी राज्य को एप्रोप्रिएट मानना चाहिए । उसी राज्य की सरकार देख सकती है कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है । इसको भी यहां पर इसमें क्लियर करने की आवश्यकता है । सर, मेरा सरकार को सुझाव है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां अपराध हुआ है, उसको मानने के लिए ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** बिधूड़ी जी, 11 मिनट हो चुके हैं ।

श्री रमेश बिधूड़ी **:** सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । यह बहुत जरूरी है । जो इनवेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वह एक रिस्पोंसबिलिटी के साथ, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके या अगर कोई दबंग व्यक्ति अपराध करता है उसके दबाव में आकर साक्ष्यों को खत्म कर देता है, तो लोअर कोर्ट में उस व्यक्ति को सजा हो जाती है । हाई कोर्ट में वह बरी हो जाता है, अदालत में जज भी कहता है कि मुझे मालूम है कि यह क्रिमिनल है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री रमेश बिधूड़ी **:** लेकिन क्या करूं, मेरे पास कानून अंधा है, मेरे पास साक्ष्य पूर्ण नहीं है । इसलिए उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए ।

जो साक्ष्य को टेम्पर करके किसी बेकसूर को कसूरवार ठहराने में साबित होता है, अगर अदालत उसको बेकसूर करार दे या कोई कसूरवार साक्ष्य में कुछ कमी रहने के कारण बरी हो जाए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए । ?मेरा भारत महान, सारा का सारा बेईमान ।? हम ऐसे नारे बीस-तीस साल पहले

सुनते थे । इससे देश की छवि खराब होती थी । ये सारी चीजें ये लोग बोला करते थे । भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग की भाषा ये बोलते हैं । इस कानून के मजबूत होने से दुनिया में भारत की इमेज बनेगी । लोग यहाँ पर इंवेस्ट करने के लिए आएंगे । वे सोचेंगे कि भारत का कानून भी सिंगापुर जैसा है, मैं वहाँ पर व्यवसाय करूँगा । काम करने के बाद मुझे न्याय मिलेगा । इसलिए मुझे भी भारत में इंवेस्टमेंट करनी चाहिए ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Chairman. I want to speak on these Bills, namely the Postal Bill and the Criminal Bills that are coming for debate. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** वे तो डिस्कस हो चुके हैं ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I beg your pardon.

माननीय सभापति **:** वे बिल तो डिस्कस हो चुके हैं । वे पास भी हो चुके हैं ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: These Criminal Bills, which are being debated. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** जी हाँ, आप इस पर बोलें ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am talking about those. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Right.

? (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Do not get suspicious of me.

HON. CHAIRPERSON: No, I am not getting suspicious. You please go ahead.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am speaking on these three Bills, which are coming up, and I want to inform the House that this is an undemocratic practice of debating these Bills because the Opposition is not even present. Secondly, they are unconstitutional again because the Opposition is not present. The Supreme Court, after all, have declared them *ultra vires* to the Constitution. Mr. Chairman, I propose that these Bills come up when the whole Opposition is present and these Bills are properly debated. It is because in many of the Acts of criminality death penalty has been given. Now, you will understand that in Qatar there are eight Indians who are to get capital punishment, and in Pakistan there is one Jadhav who is going to get capital punishment. Now, when the Foreign Office is negotiating with Qatar about not letting the Indians get capital punishment, with what morality will he say when Qatar says that in the new Bills you have introduced capital punishment for more crimes. The other thing that I want to bring to your notice is that these Bills are

exclusive of the National Security Adviser, the RAW Secretary, IB Director and Military Intelligence Director General. They are not responsible to Parliament and their secret service funds are not audited. Now, what difference does it make if the National Security Adviser is not brought under the purview of Parliament? Then, all the actions of the National Security Adviser come upon the Prime Minister. There is no buffer between the Prime Minister and the National Security Adviser and these intelligence agencies. That is why I say that these intelligence agencies and the National Security Adviser must be brought under the purview of Parliament. ... ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** इसका इस बिल से क्या संबंध है?

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am telling you very relevant things. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister wants to intervene.

? (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अजय मिश्र टेनी**) :** सभापति महोदय, हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है और कनाडा की गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई है, जो बातें आप कह रहे हैं । ? (व्यवधान) इस तरह के अनर्गल आरोप यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है । ? (व्यवधान) यह विदेश से संबंधित मामला है, इस पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते । ? (व्यवधान) ये इस कानून की बात करें, अपने देश में जो कानून हैं ? (व्यवधान) आप बिल पर बोलिए । बिल के अलावा आप कैसे बोल रहे हैं? ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have taken note of it.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not speak about what is not related to the country.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Sir, they are related to our country. These are criminal acts. The National Security Adviser of America came here. ? (*Interruptions*) Why are you running away?

HON. CHAIRPERSON: Please do not raise this issue.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** मिस्टर मान, आप ऐसी बात मत बोलिए ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are deviating the debate. Please do not call the Chair with the name.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री राजीव प्रताप रूडी जी ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **(**सारण**) :** सर, व्यवस्था यह है कि जो विषय, अंतर्राष्ट्रीय धरती की घटना ये लेकर आ रहे हैं, हमारे सदन से उसका कोई सरोकार नहीं है । उसको एक्सपंज किया जाए ।

माननीय सभापति **:** ठीक है, उसको देख लेंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** सरदार सिमरन जीत सिंह मान जी की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

? (व्यवधान) *?*

माननीय सभापति **:** रूडी साहब, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** सभापति जी, आज की इस चर्चा में स्वाभाविक तौर से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन कानूनों पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** केवल रूडी जी का वक्तव्य रिकॉर्ड में जा रहा है । अन्य कोई सम्माननीय सदस्य न बोले ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** सभापति जी, इन पूरे विधेयकों में जो चर्चा की गई है, उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि जब अंग्रेजों ने कानून बनाया, तो उससे पहले भी इस देश में भारतवासियों के लिए कोई कानून था । अंग्रेजों के कानून से पहले, मुगलों का साम्राज्य था । वहां, उस समय Mohammedan Law बनाकर देश में जस्टिस सिस्टम लागू किया जाता था । Quran was the main source of law. उस समय काज़ी होते थे, जो क्रिमिनल जस्टिस का भी काम करते थे । उनका भी अपना एक स्वरूप था ।

जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद English criminal law, as modified by several acts, was administered by the presidency towns of Calcutta, Madras and Mumbai. The system of administration of justice in the presidency town of Bombay was revised in the year 1827 and, from time to time, the law administered by the criminal

courts was in accordance with the law laid down by Regulation Acts of 1827. But in the remaining presidencies of Calcutta and Madras, the Mohammedan criminal law remained in force. Subsequently, the British worked on that and they created the Indian Penal Code. So, the British also had the semblance of some of the provisions which were there to rule this country in an authoritarian way and those presidencies when we got the IPC and the CrPC in this country had some reminiscences of the old laws which prevailed in the country. So, this aspect was left behind by many of our hon. Members who spoke. I thought I would just flag it. It was a combination and reminiscence of certain Mughal rule provisions which possibly may have been carried into the IPC.

सर, इससे आगे बढ़ते हुए हम इस विषय पर अब आना चाहेंगे । हम सब 150 साल के बाद इस सदन में हैं । मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैं पुलिस प्रशासन, अपराध, लोगों को न्याय, न्यायिक प्रकिया आदि के बारे में देखता रहता था, क्योंकि मैं लॉ का भी विद्यार्थी रहा हूं और लॉ की भी प्रैक्टिस करता हूं । वह मेरा चौथा प्रोफेशन है । मैं कभी बैठे-बैठे सोचता था कि आखिर वह समय कब आएगा? जो इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो व्यवहारिक रूप से गलत हैं, चाहे मैं यहां बैठा हूं या आसन पर आप बैठे हैं, व्यवहारिक रूप से हम महसूस करते थे कि ये चीजें गलत हैं । लेकिन चाहे वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे वह कोर्ट हो, चाहे लोअर अधीनस्थ न्यायालय हो, जिला अदालत हो या हाई कोर्ट हो, उसी पर केन्द्रित रहा । मेरा एक सपना पूरा हुआ कि आज इस सदन में, नए संसद भवन में हम लोगों ने 150 साल के कानून को निरस्त नहीं किया, उसमें जो अच्छी बातें थीं, उन्हें स्वीकार किया और इस देश में जो बातें अब लागू होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय को वर्ष 2019 में रखा था, तो शायद इसकी गंभीरता को हम सब लोगों ने नहीं समझा । आज 150 साल के बाद इस पूरे कानून में संशोधन करके अमित शाह जी इसे लेकर आए हैं और एक-एक प्रावधान को जब हम लोग पढ़कर देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि यह तो जिन्दगी में मैं कब से सोच रहा था कि कोई आकर करे और सचमुच देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा । जो सोच इस पिछले 75 वर्ष में, 26 जनवरी को यह 75 वाँ वर्ष पूरा होगा, उसी बड़ी सोच को एक बड़ी धारा के तीन विधानों में परिवर्तन करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है, जो शायद देश को मजबूत भी करेगा, प्रेरणात्मक भी रहेगा । देश के प्रधानमंत्री को इस बड़े अभियान के लिए, बड़ी कार्यवाही के लिए मैं अपनी और सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ । पहले तो जैसे कि सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि चाहे वह राजद्रोह से जुड़ा हुआ था, चाहे वह खजाने की लूट से जुड़ा हुआ था या शासन के अधिकारी, पर वह सब था, जो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने का था । स्वाभाविक है और कई बार आज भी हम लोग देखते हैं कि सरकारी काम में बाधा का जो कानून है, वह सबसे खतरनाक कानून है । अगर किसी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि या किसी को भी दुखी करना है तो उस पर एक साधारण सी धारा ठोक दीजिए कि सरकारी काम में बाधा और उसमें कोर्ट में बेल भी नहीं होती है । कम से कम आज वैसी स्थिति आ गई है कि उस पर चर्चा करके हम लोग संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि प्रक्रियात्मक तौर से कई सारे कदम हम लोग उठाते हैं, जो धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन होते हैं, लेकिन अगर उसमें एक यह धारा लग जाए कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो बड़े आन्दोलन का भी स्वरूप बदल जाता है और वह अपराध का स्वरूप ले लेता है ।

बड़ा कंसल्टेशन हुआ, कंसल्टेशन चाहे जजेज से हो, राजनीतिक लोगों से हो, विश्वविद्यालयों से हो, राज्यपालों से हो, स्टेक होल्डर्स से हो, सामान्य नागरिकों से हो, चारों तरफ से कंसल्टेशन हुआ और कई सारे संशोधन किए गए । कम से कम आज जो हम लोग परहेज करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं । वे शब्द कि ?Parliament of United Kingdom?,?Provincial Act?,?London Gazette?,`Jury? and `Barrister?, पता नहीं आज भी आप लोगों की कोर्ट में होता है या नहीं, लेकिन बिहार में अभी भी जज साहब को हम हुजूर, हाकिम से संबोधित करते हैं कि हुजूर सुना जाए, हाकिम सुना जाए । आज भी अंग्रेजों के जो वे शब्द थे, गुलामी वाले शब्द, पता नहीं कोर्ट में अब उनमें संशोधन हुआ है या नहीं और कई बार लोग कहते हैं कि माई लॉर्ड भी एक ऐसा शब्द है, जो It is a symbol of insubordination. But I do not know. I do not have to comment on that, लेकिन हुजूर, हाकिम, इन शब्दों का उपयोग आज भी बिहार की कोर्ट में होता है । पता नहीं बाकी सारी कोर्ट्स में क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता हूँ । यह इस प्रकार से है । वे बड़े शब्द `Great Britain?,`British Crown?,`Her Majesty?, इन सब चीजों से अब हम लोग बाहर निकलेंगे । एक चीज और हो रही थी कि इस कानून से, क्योंकि मोटे तौर से 150 साल से यह कानून था, लोगों का भरोसा कोर्ट में, एक तो न्यायिक प्रक्रिया इस भारत में पुलिस से प्रारम्भ होती है । मेरे इलाके में जब भी कोई नया अफसर आता है, चाहे वह छोटे ओहदे का हो, मैं उससे यही विनती करता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ से जो न्याय मिलेगा, वह न्याय भगवान के न्याय से बड़ा न्याय होगा । अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपनी डायरी में सही बात लिख दे तो गरीब को न्याय वहीं मिलता है । प्रत्येक दिन हम लोग गाँव, देहात में रहते हैं, पता चलता है कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर आयी है । डेली वेजेज पर उसका पति काम करता है । उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है । पता चला कि उसके पति को, वह अपराधी है, नहीं है, वह सब तो हम लोग तय नहीं कर सकते, उसका पति जेल चला गया । उस महिला को भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमारे पास लेकर आता है कि इनका मदद कर देहीं, ये बहुत गरीब बा । वह यह नहीं कहता है कि उसका पति अपराध में शामिल है या नहीं शामिल है । पुलिस की जो एक प्रक्रिया है कि वह अपना स्टेशन, एंट्री, डायरी करके किसी केस में, सभापति महोदय जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ सदन में हैं, हमारा नाम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी के विटनेस के रूप में डाल दिया जाएगा और 5 लोग कह दें कि ये वहाँ उपस्थित थे, सिर्फ 5 गवाह लगा दें और 5 गवाह ऑथेंटिक हैं, जिनको कोर्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप अपराधी करार दिए जाएंगे ।

सभापति जी, हमने कई बार देखा है कि किसी इनवेस्टीगेशन में विटनेसेज गलत आरोप लगाकर अपना बयान देते हैं, तो आईओ की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह देखे कि सच्चाई और साक्ष्य यदि अलग हैं तो निष्पक्ष होकर केस डायरी करे । इसके लिए मजबूती से इसमें प्रावधान किया गया है । प्राथमिकी दर्ज हो जाती है । यदि अपराध ऐसा हो कि गिरफ्तार करने की जरूरत है तो पुलिस रात को छापा मारती है । यदि कोई जुआ खेलता है, तो उसके घर भी पुलिस छापा मारती है । जब पुलिस छापा मारती है तो गांव वाले पुलिस को पीट देते हैं । फिर पुलिसकर्मी एसपी को बताते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो गया । पुलिस को लगता है कि जिले में मेरा ओहदा कम हो रहा है, इसलिए पूरी फोर्स के साथ छापा डालते हैं । छोटे-छोटे बच्चों को भी मारा जाता है और बाद में थाने में लोगों को बंद कर दिया जाता है । फिर सांसद महोदय के पास फोन आता है कि हम पर अत्याचार हुआ है । हम उसके दरवाजे पर जाते हैं और देखते हैं कि सचमुच पुलिस ने अत्याचार किया है । एसपी से पूछते हैं तो वे कहते हैं ऐसे-ऐसे बात हुई है । न्याय का पहला द्वार थाना है, वह आईओ है जो यदि न्याय दे दे, तो बात संभल जाती है । यदि उनमें प्रशासकीय काबिलियत हो तो काफी विषयों को उसी स्तर पर देखा जा सकता है । डायरी लिखने के बाद आईओ देखता है कि इतने दिन के बाद इसे चालान कर देना है । उसके ऊपर केस के अनुसंधान का दबाव नहीं है । उसके ऊपर यह दबाव है कि चार्जशीट पेश कर दे । यह स्वाभाविक है कि यदि केस चलेगा तो कोर्ट में केस पेंडिंग होते जाएंगे । कई केस वर्षों तक चलते रहते हैं । यह प्रावधान बहुत बड़ा है और कठिन

भी है । इसे लागू करने में सरकार को कठिनाई भी होगी कि यदि कोई भी आपराधिक वारदात हो तो उसमें फोरेंसिक एविडेंस मस्ट हो । यह भी देख सकते हैं कि फारेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने में दो, चार, सात या आठ साल का समय भी लग जाता है और तब तक केस वैसे ही खत्म हो जाता है ।

माननीय सभापति **:** आपको बोलते हुए 11 मिनट का समय हो चुका है ।

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** सभापति जी, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करने जा रहा हूं । श्री श्रीलाल शुक्ल आईसीएस आफिसर थे ।

माननीय सभापति **:** हाँ, मैंने उनकी पुस्तक राग दरबारी पढ़ी है ।

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** उस पुस्तक में दरोगा का जो चित्रण अंग्रेजों के समय किया था कि लूंगी पहन करके भांग घोट रहा है, वह बैठा हुआ है और चौकीदार घूम रहा है । महोदय, कम से कम उस वातावरण से हम बहुत आगे आ गए हैं । माननीय अमित शाह जी ने और देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि यदि कस्टडी में किसी को लिया जाता है तो मैनडेटरी सर्टिफिकेट उसके परिवार वालों को सूचना देना है । हमारे पास लोग आते थे कि पता लगाओ कहां गया, कोर्ट के पास जाओ, हैबियस कॉर्पस लगाओ । ऑन लाइन सूचना देने की व्यवस्था करना बहुत अच्छा कदम है । यौन उत्पीड़न में यदि कोई महिला बयान देती है तो उसकी वीडियो रिकार्डिंग करना एक्ट्रा आर्डिनरी कदम है । आरोप डायरी में लिखते रहिए, नाम डालते रहिए, इस प्रक्रिया को समाप्त करने की बहुत जरूरत थी । चार्जशीट 90 दिन के अंदर दे देनी है । ऐसा नहीं कि चार्जशीट कर दी और पांच साल तक डायरी इनवेस्टीगेशन हो रही है और दारोगा बदल गया । हम पैरवी कर रहे हैं कि नाम डालो, नाम निकालो । बिहार का पुलिस प्रशासन इस मामले में बहुत अच्छा है । डीम्ड परमिशन ? यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप बनता है और सरकार उसे 120 दिनों के भीतर अनुमति नहीं देती है और अधिकारी गलत करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा । यह बहुत बड़ा निर्णय है, नहीं तो सरकार से अनुमति आने में वर्षों लग जाते थे । अमित शाह जी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है, उसका फायदा इसमें मिला है । एसपी साहब ने केस इनवेस्टीगेट किया और केस इनवेस्टीगेट करते-करते डीजी बन गए । डीजी बनने के बाद में कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते और जब तक उनका बयान नहीं होगा, तब तक केस खत्म नहीं होगा । अब यह तय हो गया है कि जो एसपी लेवल पर केस है, चाहे वह फाइल इंस्टीट्यूशनली उसके पास रहेगी और वही उसके लिए जिम्मेदार होगा । महोदय, आपने देखा होगा कि पांच लोग अभियुक्त हैं । एक हाजिर हो गया लेकिन चार आदमी हाजिर नहीं हो रहे हैं । जब तक सब हाजिर नहीं होंगे, तब तक केस नहीं चलेगा । अब प्रावधानों में उसे खत्म किया है । आर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है । चेन स्नेचिंग तो कोई ऑफेंस ही नहीं होता था ।

महोदय, इसमें एक ह्यूमन टच है । पहले यह होता था कि कोई गरीब आदमी है, विकलांग आदमी है, अगर उस पर केस हो गया, उस पर आरोप लग गया और साबित हो गया तो उसको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था, जैसे कि किसी ठीक-ठाक आदमी के साथ ट्रीट किया जाता है । आपने चाइल्ड ऑफेंसेज पर किया है । महोदय, हम सब नेता यहां बैठे हुए हैं । अगर हम अपराध करके इस सदन में आते हैं तो क्या आपके पास यह मानवीय अधिकार है कि आप इस सदन से कानून पारित करके मुझे रिहा कर देंगे? बिहार में बिहार की सरकार ने राजनीति के लिए 22 ऐसे लोगों को, जिन पर आजीवन कारावास का दंड था, जिन पर आपराधिक मामले थे, जैसे हत्या का, लूट इत्यादि का केस था, उन सबको बिहार की सरकार ने छोड़ दिया । क्या यह सही है? महोदय, मैं बिहार से आता हूं । वर्ष 1990 में जब मैं विधायक बना तो मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे मित्र थे, जो गोलियों का शिकार हो गए या भगवान को प्यारे हो गये या उन्हें आजीवन कारावास हो गया । यह ईश्वर की

दया है कि मैं यहां पर हूं । बिहार राज्य में, जहां चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए आर्मरी खोल कर हथियार जारी किए जाते थे, मैं वैसे राज्य से राजनीति करके आया हूं । मैंने अपराध को अपनी आंखों से देखा है । भगवान की कृपा है, अपने मित्रों की और अपने परिवार की कृपा है कि मैं अपराध की दुनिया से चुनाव जीत कर आया हूं । महोदय, एक बात बताइए । मैं पॉलिटिकल आदमी हूं । मैंने 11 सालों तक केस लड़ा । जब-जब मैं छपरा कोर्ट में जाता था, जिले में यह हेडलाइन्स में आता था कि राजीव प्रताप रूडी कोर्ट में एपियर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो । अपराध यही था कि चुनाव घोषणा के एक दिन पहले सर्किट हाउस में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके लिए मैं ऑथोराइज्ड था और वहां के एसडीओ ने मुझ पर केस कर दिया । फिर दस सालों तक मैं कोर्ट में एपियर होता रहा ।

माननीय सभापति **:** आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए । प्रसंग को संक्षिप्त कीजिए ।

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** महोदय, चूंकि वहां की सरकार मेरे पक्ष में नहीं है तो वहां की पुलिस चुनावों में मुझ पर लगातार केस करती रही । मैंने एक में भी बेल नहीं ली । मैंने कहा कि मैं चुनाव जीत कर आऊंगा, अगले दिन यह फाइनल हो गया और मुझे कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ा । सिस्टम में इतने सारे लूपहोल्स हैं, जिन्हें हम दूर करना चाहेंगे ।

आज देश की सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह काम कर दिखाया है । बहुत सारे मुद्दे और भी हैं । मैं आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा । महोदय, अभी हाल-फिलहाल में चुनाव परिणाम आए और ये परिणाम हतप्रभ करने वाले थे । अब मुझे समझ में आता है कि देश के प्रधान मंत्री ने गरीबों के लिए किस प्रकार से धरातल पर जाकर काम किया है । यह कानून भी उन गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है । मैं देश की सरकार, खासकर, प्रधान मंत्री जी को, अमित शाह जी को और अपने सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज हम लोग इस सदन में इस पर चर्चा करके इसे पारित करेंगे और इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करेंगे ।

महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में अपना मंतव्य देकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on these important Bills.

Sir, we are replacing three Acts with three new Bills. When I was going through the Bills which have been presented by the Treasury Benches, three cases came to my mind. The first one is this. In the first year of this term, an incident of rape and murder had happened in Hyderabad. When it happened, common men had actually asked for an immediate justice and everything. But what was surprising to me was that even the hon. Members in this House were also vying for an instant justice, and they were asking that something should be done to the perpetrators. So, this is the first thing that has come to my mind.

14.00 hrs

The second one is about a recent acquittal of accused in the Noida serial murder case. The said case had gone on for almost seventeen years. They were in jail for

seventeen years. After seventeen years, the court had given a death sentence. Then, it went back on the decision. Then again, the court has acquitted them because there is no evidence. This shows that, in India, the process becomes a punishment. So, this is the second case that has come to my mind.

The third case is this. We all have seen what happened in Manipur where two women were paraded naked, and it took more than 14 days for the FIR to be registered. It also gives us this idea, and it also throws this real idea towards us, that law and justice which is available in this country, sometimes is not equally available.

Sometimes it is available for the people who have access to good lawyers and who have good access to the police and justice system. They are able to get justice but that is not available to everyone. So, these three cases have come to my mind. I appreciate the Home Minister that he has come forward to repeal the old Acts which are there from the times of British. It is almost 150 years. So, I appreciate the Prime Minister and the Home Minister for coming with this Bill.

14.01 hrs (Shri Shrirang Appa Barne *in the Chair*)

While appreciating this, I have some reservations. There is hypocrisy that is present in these three Bills which I want to raise. I also want some clarifications on these three Bills.

Coming to Clause 187 of BNSS, there is police custody that has been mentioned in this. Earlier, there was a custody of 24 hours. Within 24 hours, they have to go to Magistrate and seek the time for further 14 days custody. But now, it has been extended to almost 90 days wherein the police can go to Magistrate and ask for repeated custody. So, in a way, again I am saying that process itself is a punishment. Someone who has not committed any wrong can be put in jail for almost 90 days, when the police seek repeated custody. This is one thing on which I want to have a clarity from the hon. Minister. Is this applicable only to certain cases or is there any leeway in this whole thing? It is because on the one side, we are saying that there are so many undertrials who are in jails and need to be released, and on the other side, we are saying that the police can seek the custody up to 90 days. This is contradictory to what the Government is saying and what is actually presented in this Bill.

My second thing is with respect to Clauses 20 and 21 of Bharatiya Nyaya Sanhita where the minimum age of the child for any criminal act has been mentioned as

seven years. You can compare with any of the nations that are very well developed like US and UK. In US, it is 11 years and in UK, it is about 12 to 15 years. So, the age of a child of seven years in India is too low. It is actually a reflection of what society is. It is not just finding seven years old child who has done something wrong could be labelled as criminal but actually, it shows what the society is. When we talk about our economy that is growing at jet speed and we being in the top five economies of the world, that should not be confined only to economy. We should compare ourselves with what other countries are doing in this procedure. So, we should try to imitate and at least try to take some lessons from them as to why they have put 11 years to 13 years as minimum age in other countries. So, I would request the Minister to look into it and give a clarity whether this can be readjusted.

With regard to some of the civil laws, these civil laws have been incorporated as criminal laws. Not that one or two Members of this House had mentioned about this, many Members have mentioned about this aspect in this House. A lot of cases which are civil in nature are registered as criminal cases so that they can be harassed. It is not just Members will face the problem but even common people will also have the problem.

All of us are expecting that when you are repealing the old laws and coming up with the new laws, these things will be ironed out. But, unfortunately, even defamation cases are still treated as criminal cases. So, I request the Minister to give clarity whether these laws will be reformed so that criminal cases and civil cases will have a clear difference.

With regard to Clause 107 of BNS, death penalty is retained. The country is moving forward. The society is moving forward. Most of the countries have banned the death penalty. Somehow, we still have mentioned death penalty in this Bill. More than this, if you see statistics, not just the Indian statistics but statistics across the world, people who have actually gone ahead with the death penalties are those who do not have access to the judicial system and who cannot afford a good lawyer. They are the ones who were punished in the harshest way.

Owaisi ji has already mentioned that Dalits, Tribals and Minorities will be more affected. So, I request the Minister to give clarity on this thing.

Coming to Clauses 150, 195 and 257 of Bharatiya Nyaya Sanhita, there is a definition with regard to acts against sovereignty of India. I am proud to say that

this is a country where we fought a lot for our rights and our freedom struggle as well. Even in Indira Gandhi?s time, this country has fought for so many things.

But something has been included in these laws as sedition. I want a clarity from the Ministry on this. We have seen recently as to what has happened with the farm laws. Farmers from Haryana and Rajasthan staged a protest. It was a peaceful protest. They protested against the farm laws so that their rights can be taken care of. If you put that as a sedition, if you put that as acts against sovereignty of this country, then it does not make any sense. So, I request the Ministry to give a clarity on this.

With regard to Clause 133 of BNS, definition of terrorist acts is too broad. Both the State Governments and the Union Government have various laws relating to this. I request that all the laws should come under one heading so that it does not become too broad.

I now come to Clause 43(3) of BNS with regard to handcuffs. These days putting someone in handcuffs and parading him itself shows how regressive it is. If we do this thing with someone before he is convicted, it does not suit well to a country which is moving forward like India.

Sir, I welcome this Bill. But I want to say something about Indian forensic labs. When we are talking about the Noida killings, obviously there is a very much requirement for our national forensic labs to get better. But how do they get better? We are putting the cart before the ox and asking it to move forward. The problem is, unless we improve our forensic labs, they cannot perform well. Just bringing in the Bill does not ensure its improvement.

If we see the vacancy rate, almost 40 per cent posts are vacant in most of the forensic labs. About one of every three posts in each forensic science laboratory is vacant. These are the statistics which are available. When we have statistics like this, when there is not enough money to fund these labs, when there are not enough people to man these labs, when there is not enough equipment in these labs, how can we expect the Forensic Department to do well and bring justice to the people?

I appreciate that the Home Ministry and the Treasury Benches have come up with these three laws. But let us not make just a small dent. Let us make a huge dent in these three laws and make them as black and white as possible. Do not leave too many grey areas. Our judiciary is already over-burdened with giving clarifications

on various laws that have been passed in the Parliament. Do not give another chance to the judiciary so that it spends more time in giving clarity to the laws. With that, I appreciate the Home Ministry for coming up with these three laws. Thank you very much.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं आपका और विशेष तौर पर अपनी पार्टी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक विधेयकों पर मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय न्याय संहिता 2023 जैसे विधेयक चर्चा के लिए इस सदन में लाए । इन विधेयकों से अनेक परिवर्तन आने वाले हैं ।

महोदय, यहां पर पहले भी बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो प्रावधान थे, वे अब बदले जाएंगे । आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, देशद्रोह और धोखाधड़ी जैसे केसों में तेजी से फैसले आएंगे ।

पहले के पुराने कानूनों के बजाए नए कानून लाए जा रहे हैं, जिनसे देश भर के नागरिकों को लाभ पहुंचने वाला है । मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 1,500 से ज्यादा कानूनों को हटाया है जिनकी जरूरत ही नहीं थी और बहुत सारे नए कानून बनाए गए, जिनकी जरूरत है और आज के मुताबिक उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी । महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी ने देश के हर एक नागरिक को न्याय दिया । अब इन बिलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को भी जो न्याय में देरी होती थी, उस न्याय प्रक्रिया में राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी । मैं कहना चाहता हूं कि इससे एफआईआर प्रक्रिया में भी राहत मिलेगी । हम सब जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाने में भी कितनी परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ता था । हमने देखा है कि कई-कई बार, कई-कई दिन थाने के चक्कर काटते रहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती थी । अब वह प्रक्रिया भी सरल बना दी गई है । महोदय, जम्मू-कश्मीर में पुराने कानूनों की वजह से कई परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ता था । इसीलिए, देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाया गया । हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता रहा और आतंकवादियों को संरक्षण भी मिलता रहा । यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कहते रहे । आर्टिकल 35 ए, जिसे हटा दिया गया है, उससे महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था । अब महिलाओं को इन विधेयकों के माध्यम से और भी मान-सम्मान मिलने वाला है । आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों की कमी नहीं थी । अब उन पर लगाम लगाई गई है और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं । पहले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस थी । जो जिसके मन में आया, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी गई और जिस गरीब की एफआईआर दर्ज करनी थी, उसकी दर्ज नहीं होती थी । मैं कहना चाहता हूं कि अब गरीब और असहाय लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उनके साथ भी न्याय होगा ।

महोदय, ये कानून नागरिकों को सुरक्षा देने हेतु हैं । इनमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं । अब न्याय में तेजी आएगी और इंसाफ मिलेगा, सामाजिक समरसता बनी रहेगी और ऑडियो-वीडियो का भी उपयोग होगा । बलात्कार पर रिपोर्ट जल्दी मिले, इसके भी प्रावधान यहां पर किए गए हैं । पीड़ित को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था । अब पीड़ित तंग नहीं होंगे, उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा । इस बिल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी आधार बनाया जा रहा है । जो टेस्ट ऐसे थे, जिनमें 6-6 महीने, कई-कई साल लग जाते थे, अब

उनमें भी तेजी लाई जाएगी और न्याय भी तेजी से मिलेगा । महोदय, अब निर्णय प्रक्रिया में देरी नहीं होगी और 30 दिनों के अंदर जो निर्णय लिया गया है, उसे सार्वजनिक करना होगा । मोबाइल और चैन छीनने जैसे अपराधों पर भी अब अंकुश लगेगा, उन पर एफआईआर दर्ज होगी और इन्हें भी एक अपराध माना जाएगा । मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ लम्बित हैं, जिनसे लोगों और समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये विधेयक, जिन पर आज चर्चा हो रही है, जिन्हें गृह मंत्री जी यहां पर लाए हैं, उन कानूनों के माध्यम से देश के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब केस के निपटारे भी जल्दी होंगे और न्याय प्रक्रिया भी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगी । जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, वह कमजोर कानूनों की वजह से भी मिलता रहा है । ऐसा माना जाता है । अब अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों, बयानबाजी करने वालों पर और राजद्रोह की बातें करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर भी अंकुश लगेगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी ।

इस बिल में सारे प्रावधान रखे गए हैं । इस बिल में कहा गया है, सम्मन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी यहां प्रावधान रखे गए हैं । पहले क्या होता था, पुलिस को सम्मन देने के लिए कई-कई दिन लग जाते थे, फिर डाक द्वारा भी सम्मन भेजे जाते थे । अब नयी व्यवस्था के माध्यम से मोबाइल, ई-मेल और बाकी प्रावधान रखे गए हैं, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है । पहले कोई भी कोर्ट में केस रजिस्टर करा देता था, लेकिन अब इस बिल के माध्यम से जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाना होगा, उसे भी बुलाकर सुना जाएगा । आज मार्डन टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जिससे केसों का निपटारा जल्दी होगा, जो पहले सालों साल पेन्डिंग रहते थे, इन्वेस्टीगेशन भी जल्दी होगा और प्रक्रिया भी जल्दी पूरी होगी । अंत में, मिलावट करने वाले के खिलाफ भी सख्त काननू यहां बनाए गए हैं, चाहे खाने वाली वस्तुएं हों या दवाएं हों, उसके लिए भी यहां प्रावधान रखे गए हैं । मैं एक-दो बात कहकर अपना कथन समाप्त करूंगा । ऐसा बहुत बार देखा गया है, माताओं व बहनों, कमजोर और सीधे-सादे लोगों को रोजगार का झांसा देकर, विवाह, पदोन्नति और झूठा वादा करके और अपनी पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाते थे, अब इसे एक नया अपराध बनाया गया है । इससे अपराधी को दंड मिलेगा और उनमें डर पैदा होगा । पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है और एक व्यक्ति मर जाता है और दूसरा ठीक रहता है, लेकिन वह भाग जाता है । न वह पुलिस को खबर देता है न ही घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है, अब इसे भी बहुत बड़ा अपराध मानकर कार्रवाई की जाएगी । यह बिल सभी को राहत देने वाला है, माताओं, बहनों, नौजवान, बीमार, दिव्यांग और गांव-गरीब किसान के हित में है । विपक्ष ने कभी भी देश हित में कोई काम नहीं किया इसीलिए वे इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं । मैं गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on these very important Bills. The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023, and the Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 are the proposed replacements for the Indian Penal Code, 1860; the Code of Criminal Procedure, 1898; and the Indian Evidence Act, 1872. I, on behalf of my Party Biju Janta Dal hail the introduction of these new laws as the biggest criminal law reform in the last 76 years. The three new criminal laws will get rid of all the colonial influence from the criminal justice system. The old criminal laws were made to protect the colonialists, and the new laws have been made to protect the rights of the citizens of India. The existing criminal laws

make it difficult for the poor to access justice. The rate of conviction is low. As a result of this, the prisons are over-crowded with under trials. These Bills seek to modernize the current legal framework and overhaul the criminal justice system.

Sir, the revision of India?s colonial era criminal law is undeniably complex as the functionaries and stakeholders of this legal framework have been conditioned for the same for over 162 years. The Indian Criminal Law is undoubtedly an instrument of social control, and is moulding and guiding us in more ways than one. The Bills hold the potential to shape the future landscape of criminal law. Therefore, the task of testing their sustainability, efficacy, adherence to rule of law and justice delivery capacity becomes paramount.

Sir, the Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita Bill defines terrorism and offences such as separatism and armed rebellion against the Government, challenging the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of law. It repeals the offence of sedition which was widely criticized as a colonial relic that curbed free speech and dissent.

Sir, the Bill introduces community service as a form of punishment for specific crimes which can help in reforming offenders and reducing overcrowding in prisons.

This Bill prescribes capital punishment as the maximum sentence for mob lynching which has been a menace in recent years.

Sir, the Bill proposes 10 years imprisonment for sexual intercourse with women on false promise of marriage which is a common form of deception and exploitation. However, marital rape has not been criminalised despite India having tough laws to deter sexual violence against women.

There also exist formidable institutional challenges. For instance, the Bill proposes that every crime scene must undergo forensic investigation. But is India?s forensic system ready to handle that? We do not have proper infrastructure for it. We are in shortage of judges, prosecutors, police personnel, forensic experts and legal aid lawyers. For a country of 135 million, there are only 21 judges per million population. There are almost 400 vacancies in the High Courts and around 35 per cent of the posts are lying vacant in the lower judiciary.

Sir, the Criminal Procedure Code provides for the procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various Acts. The primary objective of CrPC is to ensure

fair and just criminal proceedings while protecting the rights of the accused and victims.

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill will replace CrPC and will have 531 Sections instead of 478. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill has addressed the gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw the prosecution of a case with the consent of the court but with an important addition that the victim must be heard before such withdrawal. This is a significant step towards recognizing the victim as a stakeholder in the criminal trial.

Sir, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill widens the scope to any police officer regarding the medical examination of the accused at the request of a police officer. This creates greater risk of improper collection of samples by junior officers who may not have the required skills, training or experience. This may adversely affect the right of the accused to fair trial and right to privacy.

There has been overall emphasis on the use of technology at every stage of criminal legal process. Considering the risk of manipulation of evidence and possibility of misuse of police power, the mandatory inclusion of audio-video recording in search and seizure proceedings is a laudable addition proposed. But important thing to note here is that there is no clear provision mentioned under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill that entitles the persons concerned including the accused access to the audio-video recordings. This must be remedied. It also misses the opportunity to introduce the requirement for audio-video recording of other crucial processes during an investigation like spot inspections.

The Indian Evidence Act contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian courts of law. The Bharatiya Sakshya Bill replacing the Indian Evidence Act defines electronic evidence as any information generated or transmitted by any device or system that is capable of being stored or retrieved by any means. It lays down specific criteria for admissibility of electronic evidence such as authenticity, integrity, reliability which can prevent misuse or tempering of digital data.

It introduces the resumption of innocence as a fundamental principle of the criminal justice system, which means that every person accused of an offence is presumed to be innocent until proven guilty beyond reasonable doubt.

Sir, in conclusion, I would like to thank and congratulate the hon. Home Minister and this Government for brining this transformative and progressive Bill which was

the need of the hour. The laws are made to keep India?s criminal justice system in sync with the global changes and a futuristic vision.

Laws are not passed to signify the knowledge of the legislators but for the benefit of the people and it needs to be updated time and again depending upon relevance.

With these words, I conclude. Thank you very much.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल **(**लद्दाख**):** धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया गया है । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने सम्बोधन में जिन 5 प्रणों का जिक्र किया था, उसमें से जो दूसरा प्रण है, वह यह है कि इस देश और देश के लोगों की मानसिक गुलामी का नामो-निशान मिटाना होगा तथा उससे मुक्ति पाना होगा । यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था । आज उसी राह पर चलते हुए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी यह बिल इस सदन में लेकर आए हैं । इंडियन पीनल कोड, 1860 को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता बिल, 2023, सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल तथा उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 को खत्म करके भारतीय साक्ष्य बिल, 2023 लाए गए हैं, के समर्थन में स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, आजादी के कई सालों बाद, 75 साल पूरे होने के बाद और आजादी से पहले 75 सालों तक जो कानून चला, यानी करीब डेढ़ सौ साल बाद इस गुलामी की मानसिकता के कानून को रिफॉर्म किया जा रहा है । ? (व्यवधान) इसके माध्यम से इस देश में जो पहले का कानून दंड पर निर्धारित था, उसको जस्टिस पर लेकर आ रहा है । आज मैं उन शहीदों को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपना बलिदान दिया । फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस, जिनको 11 अगस्त, 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी चढ़ाकर शहीद कर दिया, आखिर उनका जुर्म क्या था? अंग्रेजों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की, लेकिन खुदीराम बोस जी मानते थे और उन्होंने पूरे देश में यह प्रचार भी किया कि गुलामी से ज्यादा, गुलामी से बढ़कर बीमारी क्या हो सकती है? यह खुदीराम बोस जी का कहना है । ? (व्यवधान)

-

14.29 hrs

At this stage, Shri Thomas Chazhikadan and Adv. A. M. Ariff came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए । आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है । माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल **(**लद्दाख**) :** सभापति जी, मैं कह रहा था कि 11 अगस्त हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है । 11 अगस्त, 1908 को खुदीराम बोस जी, जो इस देश के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, उस दिन उनका शहीदी बलिदान दिवस था, उसी बलिदान दिवस के दिन 11 अगस्त को माननीय गृह मंत्री जी इस कानून को इस सदन में लेकर आए थे, जिससे अंग्रेजों की मेंटलिटी खत्म हो । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

सर, इस नए बिल के माध्यम से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा ओवरहॉल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा और लोअर पेंडेंसी हो जाएगी । ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर सभी माननीय सांसदगण ने बोला है । जब इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया तो मेरा उस कमेटी का सदस्य बनने का भी सौभाग्य रहा और मुझे उस कमेटी के जरिए भी योगदान देने का मौका मिला । मैं बताना चाहता हूं कि हम अमृत काल में हैं । इस अमृत काल में माननीय प्रधान मंत्री जी इंसाफ और न्याय का अमृत लाने की कृपा कर रहे हैं । इस देश के प्रति माननीय प्रधान मंत्री जी का जो विज़न है, मोदी जी का जो सपना है कि इस देश के हर एक नागरिक को जस्टिस मिले, चाहे वह किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो और चाहे जो भी उसकी पहचान हो ।

सर, मैं अभी औवेसी साहब को सुन रहा था । वह बड़े विद्धान वकील हैं । मैं उनके वक्तव्य से एक चीज़ नहीं समझ पाया कि उन्होंने कहा कि इस कानून से केवल एक विशेष धर्म और एक विशेष पहचान के लोगों को टारगेट किया जाएगा । मेरा इतना ही कहना है कि कानून धर्म और पहचान को देखकर नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देखकर काम करेगा । मैं भी माइनोरिटी कम्युनिटी से आता हूं । मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी आधी बुद्धिस्ट माइनोरिटी है और आधी मुसलमान माइनोरिटी है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लद्दाख के जो मुसलमान हैं, वह हाई रेट पर हैं । अभी औवेसी साहब ने जो डेटा दिया कि इतने परसेंट या उतने परसेंट अपराधी लिस्ट में नहीं आते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आप अपनी बात को जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल **:** वहां बहुत सज्जन लोग रहते हैं । इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि कानून किसी के धर्म और पहचान को देखकर नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देखकर काम करेगा । इन नए तीनों बिलों के आने के बाद और भी सख्ती से काम करेंगे । आजादी के अंदोलन के समय एक नारा चला था कि ? अंग्रेजों भारत छोड़ो । इसका मतलब अंग्रेज केवल देह नहीं, बल्कि अंग्रेजों की आत्मा छोड़ देने की बात थी, लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए और काले कानून छोड़ गए । वह हम भारतवासियों को उत्तराधिकार में सौंप गए । उन काले कानून की प्रक्रिया को लगातार रखने में कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया । इसलिए मुझे अंग्रेज और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है । मैं आपको एक मिसाल दूंगा । इस बिल में सेडेशन का केस खत्म किया जा रहा है । सेडेशन, यानी राजद्रोह, इसमें आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं । आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आज मोदी जी यह एंश्योर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ आप खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं कर सकते हैं । इसलिए राजद्रोह को हटाकर राष्ट्रद्रोह का कानून इस बिल में ला रहे हैं । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए ।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल **:** सर, मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का टाइम दिया गया है और मुझे दो ही मिनट बोलते हुए हुए हैं ।

माननीय सभापति **:** आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । आपकी पार्टी ने जितना टाइम दिया है, वह खत्म हो गया है । आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल **:** सर, इस बिल के माध्यम से इतना रेवोल्यूशन, इतना रिफॉर्म, इतना चैंज क्यों चाहिए था? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि रोड पर एक्सिडेंट देखकर बहुत सारे लोग नजर चुराकर साइड से गुजर जाते हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसको बचाना नहीं चाहते हैं, यह नहीं है कि उसके मन में दया नहीं है, लेकिन वह यह समझते हैं कि उसको बचाने के चक्कर में उसे ख्वामखवाह गवाह बनना पड़ेगा, ख्वामखवाह कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए कानून में रिफॉर्म की आवश्यकता है । सर, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि everyone is equal before law. कानून के सामने सब एक ही हैं । लेकिन हमारे देश के गरीबों को लगता है कि जस्टिस अमीरों के लिए बना हुआ एक सिस्टम है जो बहुत महंगा है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं ।

माननीय सभापति : डॉ. जयंत कुमार राय ।

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak in this august House.

First of all, I would like to convey my heartfelt gratitude to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for providing us Circuit Bench in Jalpaiguri. I am also grateful to the hon. Home Minister for his relentlessness effort towards freeing Indian criminal justice system from the clutches of British colonial legacy.

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 was first introduced in August, 2023, which seeks to repeal the Indian Penal Code, 1860. The main changes include provisions related to sedition, offences against women and vulnerable groups, terrorism, and offences against the State also. The need for bringing out a new substantive law is due to the evolving nature of crimes in the society. There has been changes in technology thereby there is change in accepted social norms, change in nature of economic crimes and also ever-growing crimes against the vulnerable sections of the country. Another important reason for which this law has been brought is to strike down omission of offences through court judgements such as adultery and same-sex intercourse. As my previous speaker was mentioning that it removes sedition, which was there in the IPC, and it has added some provisions for attempts to excite, secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers our sovereignty, unity and integrity. Therefore, with this new provision, the ambit of activities has been clearly defined and broadened. Additions are related to use of electronic communication and use

of financial means as tools for indulging in activities, which could be against the integrity and sovereignty of the country. This was absent in the IPC.

There is a very important issue that this Bill addresses. The exact definition of ? terrorism? was not only absent in IPC, but also in UAPA, 1967. The Bill has proposed to add hefty financial penalties for terrorist activities. There is a provision of mandatory minimum fine in this Bill from Rs. 5 lakh to Rs. 10 lakh. The BNS Bill has also incorporated a specific provision on ?mob lynching?. I am myself a victim of mob attack. In 2021, on 11th June, I was attacked by a group of people belonging to TMC Party, but no one has been punished yet. I have not got justice. The current IPC does not have any separate law on mob lynching. But this Bill now has incorporated specific provisions for mob lynching where seven years? imprisonment or death penalty has been stipulated. This separate law on mob lynching would ensure holding people accountable in lynching activities. For the first time, ?organised crime? has been defined and the inclusion of organised crime aligns with the international obligation of India and endeavours to adopt global practices. सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ । पहले स्पेशली फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद दोषी के विदेश भाग जाने से उसका प्रॉसिक्यूशन नहीं होता था, but under this Bill, they will also be prosecuted. The Bill also proposes to increase the age of a girl from 16 to 18 years for child related legislation and creates uniformity in the age of children. Women have also got some benefits in this Bill.

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कीजिए । अभी बोलने के लिए और भी मैम्बर्स हैं ।

डॉ**.** जयंत कुमार राय **:** सर, मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ ।

माननीय सभापति**:** आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए ।

DR. JAYANTA KUMAR ROY: While courts have dealt with several cases of women complaining against rape on the basis of breach of promise of marriage, there is no such specific provision in this IPC which leads to confusion. Thus, section 69 which criminalises sexual intercourse not amounting to rape through deceitful means is reducing confusion and is for the benefit of women.

The provisions relating to kidnapping of children, trafficking, employing or procuring minors to commit offences are also gender neutral in this Bill.

The language in the offences of assault and voyeurism has been changed so that persons of any gender may be charged with these offences. ? (*Interruptions*)

Thank you, Sir.

माननीय सभापति **:** आपको जितना समय दिया गया था, उतना समय पूरा हो गया ।

DR. JAYANTA KUMAR ROY: So, this is a very progressive step in replacing the outdated IPC.

Sir, thank you for giving me this opportunity once again. I convey my heartfelt gratitude to the hon. Home Minister for bringing this Bill.

With these words, I conclude my speech.

डॉ**.** प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे **(**बीड**):** सभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण बिल्स के समर्थन में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं । मैं सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिल्स लाने की पहल की है । मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं ।

मैं कल से काफी लोगों की बातें सुन रही हूं और बार-बार यह सुनने में आ रहा है कि ये कानून ब्रिटिश राज में कैसे बने थे और गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें इन कानूनों को बदलने की जरूरत है । एक ओर, हम लोग गुलामी से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम बार-बार ब्रिटिश राज का जिक्र कर रहे हैं । ब्रिटिशर्स हमारे देश में इस इरादे से ही आए थे कि वे हमारे देश को लूट सकें, इस पर राज कर सकें । वे अपने नहीं थे । हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे । पर, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आज तक हमारे स्वतंत्र भारत की जो सरकारें बनीं, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा तो हमें गुलामी से मुक्ति उनके विचारों से चाहिए थी, न कि ब्रिटिशर्स के विचारों से । उनको क्या तकलीफ थी कि आज तक उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा? आज हम इस बिल में न केवल नाम का बदलाव कर रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया में भी बदलाव ला रहे हैं । यह समय की मांग थी । यह मांग विकसित अमृतकालीन भारत की मांग है । अमृतकाल का महत्व क्या है? अमृतकाल का महत्व यह होता है कि हम विष का प्रभाव कम कर सकें, विष का प्रभाव नष्ट कर सकें । जो गुलामी का विष था, जो अन्याय का विष था या जो पॉलिसी पैरालिसिस का विष था, अमृतकाल की मांग उसको नष्ट करने की थी । इस मांग को ध्यान में रखते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में आज अमित शाह जी ये बिल्स लेकर आए हैं । मैं उनके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं । इनमें काफी सारे मुद्दे हैं, जिन पर मुझसे पूर्व काफी माननीय सांसद बात कर चुके हैं । मैं कोशिश करूंगी कि उन मुद्दों को न दोहराऊं । जीरो एफआईआर का मुद्दा मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा । इससे काफी हद तक परेशान लोगों को सहूलियत मिलने वाली है ।

हम लोग यहां पर वन नेशन ? वन राशन कार्ड की बात करते हैं । आधार कार्ड लेकर आए हैं और हम लोग पूरे देश के लिए एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, वहीं पर किसी पुलिस स्टेशन की हद में अगर कोई क्राइम न घटा हो, तो वहां एफआईआर दर्ज न किया जाना, यह बहुत ही तकलीफदेह था । इसको मिटाने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है । हमें इसका भी बहुत-बहुत स्वागत करना चाहिए ।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ जो कानून बने हैं, उनको और सख्त बनाया गया और इसके साथ ही महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा है । मैं कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । कल जसकौर मीना जी ने बात उठाई थी कि जनजाति समूहों को इसके दायरे में लाने के लिए भी कुछ सोच सरकार को रखनी चाहिए । मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए ।

जब हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो जो स्पेशलाइज्ड एक्ट्स हैं, जो जनरल कानून हैं, उनके साथ साइबर क्राइम आज के समय में सभी के हिसाब से चिंताजनक मुद्दा है । साइबर क्राइम्स में अलग-अलग तरह के क्राइम्स हैं, जिस पर कड़े कानून बनाने की जरूरत है । उसमें सेक्सुअल और फाइनैंशियल क्राइम्स बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं । अलग- अलग बैंकों के नाम पर आज लोग सामने आते हैं और मेहनत-मजदूरी करने वालों का पूरा पैसा लूट जाता है । ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए । इसके अलावा आने वाले समय में साइबर क्राइम के माध्यम से टेररिज्म की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं । सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

मैं एक अन्य मुद्दे के बारे में कहना चाहती हूं । इन धाराओं को पुख्ता करने के लिए प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस, सेक्शन 15a, एससी और एसटी एक्ट 1989 की अमेंडमेंट, जो वर्ष 2016 में बनी, उसमें था । आज हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इस धारा में प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम और उनके राइट्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन हो, इसमें क्लैरिटी आ जाए, तो लोग भी आगे आ कर अपने खिलाफ होने वाले जुर्म के बारे में बात करेंगे ।

मैं इसके बारे में भी सरकार की तरफ से थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगी । मुझे लगता है कि जहां लोगों के दिल में अगर आपका इरादा नेक है, आपकी सोच सही है और आप काम करने के लिए आगे आते हैं तो आपको बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता है । मैं इसके बारे में उदाहरण देना चाहूंगी । जब गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के खिलाफ जो कदम उठाएं, उनके चलते मुम्बई को गैंगवार फ्री करने में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और लोग आज तक इस घटना का उल्लेख करते हैं । जब इरादा नेक हो और सोच सही हो, अगर आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है ।

आज हम जो यह बदलाव ला रहे हैं, उस बदलाव को देखते हुए मुझे कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि ये मोदी जी के नेतृत्व में ही थे । मोदी जी के द्वारा नाम बदलने से लोगों को जो ऐतराज है, मुझे लगता है कि जब आप नाम बदलते हैं तो आप सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, आप सोच भी बदल रहे हैं । जैसे हमने इसके पहले देखा था कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांग न कहकर उनको दिव्यांग कहा जाए, जब मोदी जी ने सिर्फ यह एक शब्द बदला, तो लोगों का उनकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया । आज एक आध जिले का या एक आध राज्य का कोई भी छोटा सा गांव है, कस्बा है, अगर हम उसको आखिरी छोर बोलते थे, तो उसको आज फर्स्ट विलेज की तरह देखने की सोच मोदी जी ने रखी है । इस सोच को आगे ले जाने वाले? (व्यवधान) सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी । हम जिनको कह सके कि जिनका सीना फौलाद का है और दिल मोम का है, ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं, जो आर्टिकल 370 को रद्द कर सकते हैं तथा इसी संसद में सबके सामने यह बोल सकते हैं कि पीओके वगैरह कुछ नहीं है । कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा । यह फौलादी मन जो दिखा सकता है, वही गृह मंत्री सीआरपीसी और आईपीसी कानूनों में इतने बड़े बदलाव ला सकते हैं । मैं अमित भाई शाह का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूं और उनकी सोच को अपना समर्थन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती पूनम महाजन **(**उत्तर मध्य मुम्बई**):**सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सबसे पहले, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद । मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी हम गांधी जी की प्रतिमा के पास से आए हैं । हम सब महिला सांसदों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का विरोध किया कि जिस प्रकार से भारतीय संसद और इस भारतीय संसद को संविधान ने जो ताकत दी है, हमें जनता ने यहां पर चुनकर भेजा है, उस भारतीय संसद में जिस प्रकार से नाटक गृह की तरह

नाटकीय कार्यक्रम अपोजिशन की पार्टियां कर रही हैं, उसका हम महिलाएं विरोध कर रही हैं । आज मैं अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले भी उसका विरोध करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारे सांसदों ने उप राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उनका अपमान किया और उनकी जाति का अपमान किया, उनकी कुर्सी का अपमान किया, भारतीय संसद का अपमान किया, ऐसी थियटरिक्स के लिए यह नाटक गृह नहीं है, यह संसद है । वे यह याद रखें ।? (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद **(**पटना साहिब**):** सर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ।? (व्यवधान) हम सभी सांसद बहुत दु:खी हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** ठीक है ।

श्रीमती पूनम महाजन **:** सर, इस पर मुझे अरुण जेटली जी की एक बात याद आई है । अरुण जेटली जी को हम हर वक्त याद करते हैं, सबसे उम्दा कानून मंत्री, हमारे सबसे अच्छे नेता थे । उन्होंने अपोजिशन को एक बार कहा था कि?

इस मोड़ पर घबरा कर, थम न जाइये आप

जो बात नहीं है, उसे अपनाइये आप ।

अभी नया बिल आ रहा है । भारत का नव निर्माण हो रहा है ।

जब बात नहीं है तो उसे अपनाइये आप,

डरते हैं नई राह पर क्यों चलने से आप

हम आगे-आगे चलते हैं, आ जाइये आप ।

जब हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, भारत की संसद में लोकतंत्र के साथ मूल्यों को ले जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि भारत की संसद को नाटक गृह न बना कर इस संसद का आप मान रखें और अपमान न करें ।

मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हर चीज, वर्ष 2014 से जब से सरकार आई है, यह भारत सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी तबके के लिए समर्पित है ।

मुझे अच्छा लगता है, जब उन्होंने कहा था कि it has to be a women-led development. महिला को बीच में रखकर जब भारत आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा, तो भारत और पुरजोर रूप से आगे जा सकता है । इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर बिल, हर कानून, हर प्रकार की जनता, हर प्रकार के तबके को विचार करके ही यह कानून लाया गया है ।

मैं श्री अमित भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ । कश्मीर भारत का शीर्ष है । We call it, ?Crown of India?. कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारी जान है, हमारी आत्मा है । हम यह सिर्फ भाषणों में कहते जा रहे थे और लड़ रहे थे । लेकिन भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखाती है । जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अनुच्छेद 370 हटाकर श्री अमित शाह जी ने यह दिखाया कि कश्मीर भारत का मुकुट है और हम उसका सम्मान करके दिखाएंगे ।

हर कानून इसी रूप से, भारत के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है । यहाँ पर हर व्यक्ति कह रहा है कि हम गुलामी की मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं । वर्ष 1860 में ये कानून बनाये गये थे । The laws were made to control the people of India and not to govern the people of India. जो वर्ष 1860 में बना है । आज वर्ष 2023 में, जब ये कानून अलग रूप से बनकर आ रहे हैं, to govern and reform, कानून को रिफॉर्म करके समाज को आगे कैसे ले जाएं, इसके लिए इन कानूनों को बनाया गया है । इसमें दो साल लग गये, यह ठीक है । किसी मानसिकता को तोड़कर आगे बढ़ने में समय लगता है । यहाँ पर मेरे मित्र ने बहुत अच्छा बोला कि अंग्रेज और कांग्रेस एक जैसे ही थे । इसलिए उन्होंने भी उसी रूप से कानून आगे बढ़ाए । लेकिन आज नयी सुबह आई है । इस नयी सुबह में नागरिक की सुरक्षा भी होगी, कानून में सुधार भी होंगे और समाज का सम्मान भी होगा ।

मैं यहाँ संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगी । Everybody spoke कि कानून कैसे रिफॉर्म हो रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं । मैं चीजों पर सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन सुधारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है । Cruelty against women is defined specifically which is very important in this country. Mental illness is a very widely-defined issue. मेंटल इलनेस को अनसाउंड माइंड के हिसाब भी देखा गया है । एक बहुत अच्छी बात कही गई है । माफ कीजिए, हम कहते हैं कि छोटी-छोटी घटनाएं होती हैं और चोर-उचक्के गलतियाँ करते हैं, तो उनको जेल में डालकर जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में लाकर समाज में काम करने के लिए समाज में सुधारक के रूप में देने की जरूरत है ।

मैं अपनी बात केवल एक मिनट में कहूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ ।

मेरे बहुत-से साथी बोल चुके हैं । सब बोलने वालों के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए सब खड़े हैं । मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ, जो बोल नहीं सकते हैं । मैं मासूम जानवरों के लिए बोलना चाहती हूँ । भारत की संस्कृति, भारत की हिन्दू संस्कृति, विचारधारा आदि सब कुछ मनुष्य और प्रकृति के विचार को साथ में लेकर चलती है । मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं । प्राणी विशेष को हमारे भगवान भी लेकर चलते हैं । भारतीय हिन्दू संस्कृति में, हर भगवान, चाहे विष्णु हों, ब्रह्मा हों, हर भगवान से कहीं न कहीं प्राणी जुड़े रहते हैं क्योंकि प्रकृति जरूरी है । हम यह भी कहते हैं कि गौ माता के अन्दर सारे भगवान हैं, यदि उनको नमस्कार कर दें, तो सब ठीक हो जाएगा ।

मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन उसको आधा स्ट्राइक डाउन किया था और कहा था कि दो कंसेंसुअल लोगों पर सेक्स को एडमिट कर सकते हैं । लेकिन आप जानते हैं कि यह गांव और शहर की बात नहीं है । प्राणियों पर लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है । गौ माता पर या किसी भी प्राणी पर एक प्रकार का लैंगिक अत्याचार हर जगह होता है । जब ऐसे आदमी को पकड़ना हो, तो आज प्राणियों के लिए धारा 377 तो थोड़ी-सी बची हुई है । लेकिन वह बीएनएस पर नहीं है । इसलिए प्राणियों पर अत्याचार न हो, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए अगर आप प्रावधान कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा ।

मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि ?State has a Fundamental Duty to protect all from such assaults?. उसमें प्राणी भी आते हैं । जब तक पीसीए एक्ट अमेंड नहीं होता तब तक यह नहीं होगा । आपने 428 में से 325 को अमेंड किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो, तो आदमी 50 रुपये में छूट जाता है । प्राणियों पर लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक यह प्रावधान

हो सके कि कड़ी सजा वैसी ही रहे, जो धारा 377 में प्राणियों को तकलीफ देने वाली होती है । यह बहुत जरूरी है । मैं चाहती हूँ कि इस प्रावधान को देखा जाए, यह बहुत जरूरी है ।

अंत में, मैं इतना ही कहूँगी कि महात्मा गांधी जी ने कहा है :

?The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.?

इसलिए हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेकर बढ़ें । धारा 377 में जो प्राणियों पर अत्याचार होने वाली बातें हैं, जो बीएनएस में नहीं है, आप उन प्रावधानों को फिर से देखें । जब अत्याचार होता है, तो बड़े क्रिमिनल छोटे-छोटे बेजुबान पर ही अत्याचार करके बड़े होते हैं । इस विचारधारा को रोकने के लिए आप इसको जारी रखें, मैं यही कहना चाहती हूँ ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

15.00 hrs

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **(**भोपाल**) :** सभापति जी, धन्यवाद ।

बहुत समय बीता, 162-163 वर्षों के बाद यह बिल लाने का साहस कोई कर सका, तो वह कोई देशभक्त ही है और वे देशभक्त ही हैं, जो इस बिल को लाने का प्रयास कर पाए । इसके लिए जिजीविषा की आवश्यकता होती है । यह जिजीविषा हर व्यक्ति में नहीं होती और जिसमें होती है, वह अपने देश के लिए समर्पित होता है ।

माननीय सभापति महोदय, ये जो तीन बिल्स हैं, हमारे देश के नाम को बदलकर इंडिया कहने के पश्चात् इंडियन कर दिया और इंडियन कहकर उसको पीनल कोड का नाम दे दिया । यह सिर्फ दिखावा था कि यह हमारा है, लेकिन हमारा नहीं था । ?हमारा ही तुम्हारे लिए है?, हम अभी भी मालिक हैं और तुम अभी भी गुलाम हो । यह मानसिकता लेकर ये बिल्स हमें दे दिए गए थे, लेकिन जो लोग सत्ता पर बैठे, वे कभी स्वतंत्रता का मान रख ही नहीं पाए । हमें अधिकार प्राप्त हुए, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ । संविधान का निर्माण हुआ, हमें अधिकार दे दिए गए, संसद दे दी गई कि हम इसमें नियम बनाएं, लेकिन उस समय के जो सत्ताधीश लोग थे, जिन्होंने 65 वर्षों तक शासन किया, उन लोगों के अंदर जिजीविषा का अभाव था, उनके अंदर देश के प्रति निष्ठा का अभाव था, जिसके कारण आज हम इस ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन इतने वर्षों तक जिन्होंने कष्ट झेला है, उसकी हमें कल्पना भी नहीं है ।

हम यह कह रहे थे कि हम भारतवर्ष में हैं, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के कानून के अंतर्गत नहीं हैं । यह हमें आभास हो रहा था, यह हमें झेलना पड़ रहा था । इतने वर्षों की गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारे पास ऐसी कौन सी कमी थी कि 65 वर्षों में कांग्रेस की सरकार और जो तत्कालीन सरकारें थीं, वे इसे नहीं कर पाईं । क्या कारण था कि इतना समय लग गया? मुझे लगता है कि हम गुलामी की मानसिकता से हटकर आगे बढ़े हैं । अब हम अपने शुद्ध भारतीय, अपने देश के प्रति सम्मान, अपने देश की आत्मा को छूकर के जो कानून बनेगा, जो बिल आज आया है, यह कानून बनेगा और तब वह भारतीयों के द्वारा, भारतीयों का और भारतीयों के लिए न्याय होगा, तब ही हम इसमें न्याय पाएंगे ।

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आए हैं । महोदय, अब जब इनमें भारतीय लगा है, तो दंड भी प्रारंभ में नहीं है । उन्होंने तो हमें सिर्फ दंड देने के लिए प्रारंभ किया था कि इनको दंड संहिता बनाओ और सबसे पहले इन्हें अपराधी घोषित करो । जब सीआरपीसी आया, पहले 1898 में था और उसके बाद इन्हीं लोगों की सरकारों में 1973 में बना । 25-30 वर्षों के बाद जब ये कुछ कानून बना पाए, तो इन्होंने यह हमें दिया ? सीआरपीसी ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए ।

? (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, इस सीआरपीसी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अभी हमारे एक संसद के साथी कहकर गए हैं कि मुस्लिमों पर यह किया जाता है, मुस्लिमों पर वह किया जाता है । मैं कहना चाहती हूं कि क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़े लोगों का हाथ था । कह दिया जाता था कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उनको जमानत मिल जाती थी ।

मैं आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं । मैं श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करती हूं ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात एक मिनट में खत्म कीजिए ।

? (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, आप मुझे प्लीज, थोड़ा सा समय दीजिए । मैं पहली बार इस बिल पर बोल रही हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी रिप्लाई करना चाहते हैं और अन्य सदस्यों को भी बोलना है ।

? (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा मजबूती पर ध्यान था, उनका उद्देश्य दंड का था, न्याय का नहीं और यह सत्य है । हमने एक इंटरव्यू में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का एक कथन सुना था । मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि जनता हमें जितना अधिकार देगी, जनता हमें जितनी शक्ति देगी, हम उससे बढ़कर काम करेंगे । आज जनता ने यह दिखा दिया है कि हम आपको शक्ति दे रहे हैं, आप काम कीजिए । यह जनता का साथ, जनता का विकास और सबका साथ होने के साथ ही आज यह दंड का नहीं, आज यह न्याय का प्रावधान हमारे बीच में आया है । हम उस प्रावधान के अंतर्गत चल रहे हैं ।

महोदय, यह बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही, लेकिन यह कानून आ रहा है । बहुत सारे कष्टों को झेलकर बहुत लोग आगे आए हैं । अपराधों के लिए कहा जाता है कि यह अपराधी है तो अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश शासन के जो कष्ट झेले हैं, उनके बारे में यह बात कहना चाहती हूँ कि उस समय समन नहीं दिया जाता था, जैसा सरकार चाहे, वैसा सरकार इन लोगों को चलाती थी । करने वाला जितना अपराधी होता है, करवाने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है । इसलिए जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक सेक्शन 161 का जो नोटिस दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया था । मैं किसी अन्य की बात नहीं कर रही हूँ, हम अपनी बात कहते हैं । ऐसा साधु-सन्यासियों के साथ हुआ है । हमने भी उसे झेला है । सेक्शन 161 का नोटिस दिया जाता है, तब

आपको लेकर पूछताछ की जाती है । जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है कि आप कहाँ हो ।

महोदय, अपहरण किया गया, 13-13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखकर क्या-क्या यातनाएं दी गईं, वे यातनाएं लोगों के लिए अकल्पनीय थीं, लेकिन ब्रिटिश शासन के उन नियमों को हमने झेला है । किसी और ने नहीं झेला महाराज जी, हमने झेला है और हमें झेलने के लिए विवश किया गया है । करने वाले लोकतंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे । ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया? मैं बताती हूँ कि मोदी सरकार ने क्या किया है ।

माननीय सभापति **:** अब आप अपनी बात खत्म कीजिए । अन्य कई माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, कोई भी तंत्र तभी बदलता है, जब हम जनमानस की मानसिकता को बदल देते हैं । जनमानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है । जनमानस को बदलने के लिए उसकी सुरक्षा अनिवार्य है । जनमानस को बदलने के लिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है । जनमानस को बदलने के लिए उसको रोटी, कपड़े के साथ-साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ न्याय देना जरूरी है ।

माननीय सभापति **:** श्रीमती हेमामालिनी जी ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** जब यह सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, हर किसी वर्ग का विकास कर दिया, उसके बाद जब न्याय की व्यवस्था आती है, तब हम इसके अंतर्गत आते हैं ।

माननीय सभापति **:** आपकी बात हो गई है । अब हेमामालिनी जी बोलेंगी ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** यह इतने वर्षों बाद लाया गया है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्ष हुए हैं । यह चिंतन लंबा रहा है, यह चिंतन जिजीविषा का है, इसलिए यह किया गया है ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात खत्म कीजिए ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए ।

माननीय सभापति **:** अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं । आप अपनी बात खत्म कीजिए । आप जल्दी से अपने सुझाव दे दीजिए ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, बस 5 मिनट दे दीजिए ।

माननीय सभापति **:** 5 मिनट का समय नहीं है । आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए । एक मिनट के बाद हेमामालिनी जी अपनी बात रखेंगी ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** सर, थोड़ा सा समय दीजिए । सेक्शन 161 का जो नोटिस दिया जाता है, अब वह प्रावधान में आया है । इसका इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी किया जा रहा है । जो हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ ।

महोदय, सेक्शन 161 में जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ई-मेल के द्वारा ये सब चीजें भेजेंगे, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है । सेक्शन 164 का बयान जो जज के सामने होता है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात खत्म कीजिए ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** वह अकेले में होता है, लेकिन उस पर दबाव बनाकर बयान दिलवाया जाता था, जिससे अपराधी छूट जाते थे । अब नहीं छूट पाएंगे ।

माननीय सभापति **:** हेमामालिनी जी, आप बोलिए ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए ।

माननीय सभापति **:** नहीं, अन्य माननीय सदस्य बोलने के लिए हैं । आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए । आप अंतिम वाक्य कहकर अपनी बात खत्म कीजिए ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यह हमारा अपना देश है, अपना कानून है और अपना अनुशासन होगा तभी इस देश में सही से विकास हो पाएगा, जिसकी ओर हम चल पड़े हैं । बस हम इतना ही कहेंगे कि कुछ नियम इसके अंदर लाने की आवश्यकता है । जो अब किसी और को न झेलना पड़े । जो प्रताड़नाएं दी गईं, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, अब उन लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इसमें आया है ।

माननीय सभापति **:** मैडम, आपकी बात हो गई है ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** महाराज, प्रताड़नाओं की असीमितता थी । उनको हम कह नहीं सकते हैं ।

माननीय सभापति **:** हेमामालिनी जी, बोलिए ।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर **:** इसलिए इनमें सिर्फ यह जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रताड़नाएं होंगी, अब उनको भी दंड मिलेगा । मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा, नया भारत है तो यह नये भारत की कल्पना है ।

माननीय सभापति **:** ठीक है । हेमामालिनी जी, अब आप बोलिए ।

श्रीमती हेमामालिनी **(**मथुरा**):** महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार ।

महोदय, ये जो तीन नए बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं, मैं इन तीनों का समर्थन करती हूँ और इन्हीं पर मैं बोल रही हूँ ।

सभापति जी, सेंचुरीज ओल्ड कानून इंडियन पीनल कोड, 1860, दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 आज इस न्यू इंडिया में बिलकुल इर्रेलेवेंट हैं । ब्रिटिश एरा के लॉज अपने शासन को मजबूत करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे । आज अंग्रेजों के इन कानूनों को बदलने के लिए और नए कानून बनाने वाले तीनों बिलों के लिए मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । नया भारत अब विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है । एक ओर जहां मोदी जी देश

का नाम दुनिया में आगे लेकर जा रहे हैं, वहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी देश में न्याय, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं ।

15.11 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष जी, नए कानून में जिन पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है, उन्हें देखकर अपराध और विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने की बात सोचने पर भी अपराधियों की रूह कांपने लगेगी । नए कानून के तहत गैंग रेप के दोषियों को 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है । अगर दोषी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान किया है । आम इंसान को एक क्लिक पर मुकदमे की जानकारी मिल सकेगी इसलिए वर्ष 2027 तक देश की सभी कोर्ट्स को ऑनलाइन कर दिया जाएगा । हर पुलिस स्टेशन पर जिले में एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो अपराधियों के काले चिट्ठे का रिकार्ड रखेगा । इन नए कानूनों से भारत अपराध मुक्त बनेगा और सभी नागरिकों को समय पर न्याय मिलेगा तथा उनके अधिकारों की रक्षा होगी ।

अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से कुछ कहना चाहती हूं । भारत की महान परम्परा में हर जीव को ईश्वर के साथ जोड़ कर देखा जाता है । हमारे संविधान के आर्टिकल 51(ए) में कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है । अभी पूनम महाजन जी ने भी इसी बात के बारे में कहा था । जानवरों के साथ क्रूरता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसा देखने में आता रहता है । हाथी, गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, खच्चर जैसे पशुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है । खास तौर से पालतू जानवरों को घर में रखकर ही उनके साथ अत्याचार करते हैं, जिसे देखकर हम जैसे एनिमल लवर्स को बहुत दुख होता है । इस विषय में कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है । जो लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर 63 साल पहले बनाए गए कानून के हिसाब से 50 या 100 रुपये की पेनल्टी लगती है लेकिन इस एक्ट को बदलने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं । जानवर अपने अधिकार नहीं मांग सकते हैं, हम लोग ही उनके लिए बात कर सकते हैं । मैंने पहले भी इस विषय को संसद में उठाया था और संसद के बाहर भी मैं पेट एनिमल एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हूं । मैंने प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है । मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिटिजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस एनश्योर करने के लिए और क्राइम फ्री भारत करने के लिए कानून लाए हैं, उसी प्रकार एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए जस्टिस एनश्योर करने के लिए और क्राइम अगेंस्ट एनिमल फ्री भारत के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, 1960 में बदलाव कर एक नया एक्ट लाएं ताकि जानवरों पर अत्याचार करने पर रोक लग सके । मैं अमित शाह जी के बारे में कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं, वह करते हैं लेकिन वह जो नहीं कहते हैं, उसे जरूर करते हैं । भारत की एकता और अखंडता के लिए भारतवासियों की सुरक्षा, न्याय और कल्याण के लिए अमित शाह जी का जो समर्पण है, परिश्रम है उसका ही परिणाम है कि आज हम प्रभावशाली भारत देख रहे हैं ।

अध्यक्ष जी, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मैं इतना कहना चाहूंगी ?

?लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर

भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर

ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर

कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर ।?

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**):** माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लिए यह बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने तीन विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा मौका है, जब हमारा संविधान अगले वर्ष 75 साल पूरे कर लेगा । यह एक ऐसा मौका है, जब अभी-अभी आपकी अध्यक्षता में ही इस संसद ने इस देश की मातृ शक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सदनों में कानून बनाने में इनकी हिस्सेदारी तय की है । उसी समय, इस ऐतिहासिक सदन में करीब-करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) को गवर्न करते हैं, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पीनल कोड वर्ष 1860 में बना । उसका उद्देश्य ही दंड देना था । उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था । उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023, इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी ।

माननीय अध्यक्ष जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी । इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 अमल में आएगा । कई लोगों से मैं, इस बिल को स्टैण्डिंग कमेटी में भेजने के बाद मिला । वे आज यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परन्तु मुझे कहते थे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा । अगर वे आज सुनते तो उन्हें मालूम पड़ता कि क्या फर्क पड़ेगा? एक बेजान मुर्दा पड़ा है । अगर उसमें आत्मा होती है तो वह जिंदा इन्सान बनता है, इतना आमूल-चूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कानून के अन्दर होना है ।

अध्यक्ष जी, श्री तालारी रंगैय्या से लेकर हेमा जी तक 35 सांसदों ने इसके ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैंने उन सभी को ध्यान से सुना है । ज्यादातर किसी के सुझाव बदलाव के लिए नहीं हैं । कुछ सुझाव बदलाव के लिए भी हैं, मगर कुछ चीज़ें जो उठायी गयी हैं, उनके बारे में मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद वे इनकी चिंता से मुक्त हो जाएंगे । कुछ लोग, चाहे ओवैसी साहब हों, या एक-दो और हैं, जिनकी चिंता ही ऐसी है, जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए । उनकी चिंता इस कानून से बड़ी है । वह बहुत उचित हुआ । इसलिए ऐसी चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, परन्तु स्पष्टता से काफी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी । मैं तीन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स लेकर भी आऊंगा, जो मैं बाद में बताऊंगा । माननीय अध्यक्ष जी, तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बने थे, जैसा मैंने कहा कि ये 150 साल पुराने कानून हैं । मोदी जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिह्न इस देश से जल्दी से जल्दी मिट जाएं और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा ।

मान्यवर, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि कोलोनियल कानूनों से इस देश को जल्दी मुक्ति मिलनी चाहिए और उसी के तहत गृह मंत्रालय ने इसमें परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2019 से गहन विचार-विमर्श चालू किया था ।

मान्यवर, ये जो कानून थे, इनको एक विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए थे । ये एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे । इनकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं, वे हमारे संविधान की मूल तीन चीजों ? व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून हैं । यह इसका मूल परिवर्तन है, जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है । हमारे यहां न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित ? व्यास, अत्री, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वात्स्यायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि आदि इन सभी विद्धानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं, जो मूल भारतीय विचार हैं ।

मान्यवर, अगर पहले वाले तीनों कानूनों को ध्यान से देखते हैं तो उनके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है । दंड देने की बात को ही माना जाता है । हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उपजी है । पाश्चात्य विचारों के, जो ये अंग्रेज़ी शासन में लाए गए कानून थे, उनमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है । हमारे यहाँ दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं । और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना और उस दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए यह दंड का प्रावधान है । मान्यवर, मैं ये जो नए तीन विधेयक ले कर आया हूँ, वे मूल भारतीय न्याय के संहिता की आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले विधेयक हैं और सत्य अर्थ में आज़ादी के इतने सालों के बाद, पहली बार तीनों अपराधिक कानूनों का, अपराध के सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का मानवीयकरण होगा ।

मान्यवर, इन कानूनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके अंदर आज तक, जब तक यह सदन रिपील नहीं करेगा, तब तक यूनाइटिड किंग्डम की संसद द्वारा बनाया हुआ कानून आज हमारे कानूनों में विद्यमान है । प्रांतीय अधिवेशन शब्द भी तब का शब्द है, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे । क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गज़ट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटिड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गज़ट के ज़िक्र, बिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर आदि जैसे शब्दों के प्रयोग का ज़िक्र आज़ादी के 75 सालों तक होता गया । मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानूनों को गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया है ।

मान्यवर, ये नए कानून जब बनाए थे, तब ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले थे, वे समझ ही नहीं पाते थे कि हम फ़र्क क्या कर रहे हैं । मैंने कहा कि यह सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए । चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो वहीं मालूम पड़ जाएगा कि ये पहले वाले तीन कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे । ये कानून अंग्रेज़ों के राज की सुरक्षा के लिए बने थे ।

मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, उस कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था । मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा-बैठा अपनी राह देख रहा था । सुरक्षा के लिए प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं था, किसी महिला के साथ हुए दुर्व्यहार व अत्याचार का न्याय दिलाना नहीं था, प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश राज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी । अब इसे पूरा का पूरा बदल कर, सबसे पहले महिला और बच्चों के विरूद्ध हुए अपराध को प्रायोरिटी दी गई है । मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है । उसके बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है । उसके बाद सेना, नौसेना, वायु सेना से संबंधित अपराधों को लिखा गया है । उसके बाद इलेक्टोरल अपराधों को लिखा गया है । उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकार स्टाम्प के साथ छेड़खानी को लिया गया है । उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं । पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं । मुझे गौरव है कि इन तीनों

कानूनों को डेढ़ सौ साल के बाद बदलने का और उस बिल को पायलट करके इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है । मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं । मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा । मन अगर इटली का है तो कभी नहीं समझ में आएगा ।

मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है । मन अगर यहां का है तो तुरंत समझ में आ जाता है । मन अगर यहां का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा ।

मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है । आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी । पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूप होल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए ।

मान्यवर, इसके साथ-साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम, पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा । राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था । किसी भी राजकर्त्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था, तो उसके ऊपर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था । हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है । व्यक्ति की रक्षा इस लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए । यह दृढ़ता भी इसमें है । राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम यह कानून करेगा ।

मान्यवर, इस कानून में आज मैं इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशंस जितने भी होंगे, उनकी कल्पना करके हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्जित करने के लिए सारे प्रोविजन्स इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं । सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल्दी न्याय व्यवस्था मिले, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं ।

मान्यवर मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है । एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था । उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे । चिदंबरम साहब, न आप हमारी पार्टी को समझते हैं और न हमारे सिद्धांतों को समझते हैं । हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है- भारत का उत्कर्ष । यह भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र आइडियोलॉजी है । मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है । उसके लिए हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान करके इंक्लूड कर रहे हैं । मगर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं । आपने भी इस देश में 70 सालों में 58 साल शासन किया है । आप मॉब लिंचिंग के लिए बिल क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए, तब लाए । मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तो भूल गए । इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है । इसीलिए, आप उस ओर बैठे हैं और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हैं ।

मान्यवर, यह जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं । पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है । सजा का डर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अन्दर किए हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा । साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन्स किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस करके उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों के बर्डेन में कमी आ जाएगी ।

मान्यवर, ये तीनों कानून, जैसा मैंने कहा कि 150 साल के बाद बदले जा रहे हैं और देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले कानून हैं । इन कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है । इसलिए, यह बहुत जरूरी था कि इस पर एक व्यापक बहस की जाए और समाज के

हर वर्ग से और जो-जो लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उन सभी से, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से, सभी विधान सभा के सदस्यों से भी चर्चा की जाए । इसलिए, वर्ष 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और सितम्बर, 2019 में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए । जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स और विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए । ये सुझाव आने के बाद वर्ष 2021 में मैंने स्वयं सभी सांसदों को पत्र लिखा और सुझाव मांगे । वर्ष 2020 में सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए । बीपीआरएंडडी ने देश के सभी आईपीएस आफिसर्स से सुझाव मांगे । भू-मंत्रालय ने देश के सभी कलेक्टर्स से सुझाव मांगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट भी इसका बड़ा हिस्सा होता है । मार्च, 2020 में इन सारे सुझावों को नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर संकलित किया । उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकैडमीज़, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सभ्य और लगभग 200 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे । कुल 3,200 सुझाव एकत्रित हुए, जिनको फुल स्टॉप, कोमा में पढ़कर, इसको रखना है या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है । तीनों कानूनों को मैंने स्वयं लाइन बाई लाइन नहीं, फुल स्टॉप, कोमा में पढ़ा है । 158 सिटिंग मेरी खुद की हुई हैं, सुझावों को अमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए और यह सब करके हम यह कानून लेकर आए हैं । 11 अगस्त, 2023 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीन विधेयकों को मैं यहां लेकर आया । उनको गृह विभाग की स्थायी समिति को विचार हेतु भेज दिया । मान्यवर, वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई । 10 नवम्बर, 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्य सभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामैटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, इस सबको सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे । इसलिए, उसको जस का तस रखने की जगह, मैं पुराना बिल विदड्रा करके नया बिल लेकर आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार-विमर्श के बाद मैंने यह बिल सदन के सामने रखा है ।

मान्यवर, मोदी जी के नेतृत्व में जो तीन कानून आये है, न्याय, समानता और निष्पक्षता, तीन मूल सिद्धांतों के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है । टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नये-नये इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना करके अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढ़ेर सारे प्रोविजन किए गए हैं । फॉरेन्सिक साइंस को बहुत तव्वजो दी गई है । इन कानूनों के माध्यम से लोगों को जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम इन कानूनों के माध्यम से हुआ है ।

मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं, इसकी जगह 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नयी धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नये सब-सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नये प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है । इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थीं, इसकी जगह अब 358 रह गई हैं, 21 नये अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 42 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड देने का काम किया गया है, 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नयी उप-धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराओं को हटाने का काम किया गया है ।

मान्यवर, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद एक लंबे अर्से बाद, अटल जी की सरकार ने भी प्रयास किया, परंतु मिलीजुली सरकार की कई कठिनाइयां होती हैं, मगर लंबे समय के बाद दो बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी, जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरश: लागू करने का काम किया है । जिस मैनिफेस्टो को मैनडेट दिया है, उसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे । हमने कहा था कि धारा 370 और 35 ए हटा देंगे, हट गई । हमने वादा किया था कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी, सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया । इसके कारण तीन हॉट स्पॉट जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी आई है और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है । पूर्वोत्तर से 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र से अफस्पा को हटा लिया गया है । जिन्होंने अपने एजेंडे में रखा था कि हम अफस्पा हटाएंगे, वे ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाएं । हमने नहीं रखा था, अफस्पा को हटाया नहीं है, लेकिन इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त की है क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई है ।

मान्यवर, हमने कहा था कि अयोध्या में जितनी जल्दी हो सकेगा, राम मंदिर बनाएंगे । 22 जनवरी वहां राम लला विराजमान होने जा रहे हैं । यह नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो कहती है वह करती है । हमने कहा था कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आयी, केवल तिथियां निकालती रह गई, हमने आरक्षण दे भी दिया और सर्वानुमति से देकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया है । तीन तलाक मुस्लिम माताओं और बहनों के साथ अन्याय करता है, हमने कहा था कि उसे समाप्त कर देंगे और हमने इस वादे को भी पूरा किया । हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं । मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान् राजनाथ सिंह जी घोषणा-पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज यहां हम दोनों बैठे हैं । मुझे आनंद है कि माननीय मोदी जी ने पार्टी के वादे को पूरा करने का काम किया ।

मान्यवर, न्याय अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है । न्याय सभ्य समाज की नींव डालता है । हमारे संविधान में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की कई परिभाषाएं रखी गईं हैं और ढेर सारे अनुच्छेदों, जैसे 38, 39 ए, 142 में इसका जिक्र भी किया गया है । जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है । न्याय अनेक प्रकार के हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि बड़ी पवित्र संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की है । जनता डे-टू-डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है । आज मैं तीन बिल लेकर आया हूं । माननीय मोदी जी से सालों से देश की जनता ने अपेक्षा की थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, दंड नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, यह सब इस बिल के माध्यम होगा ।

मान्यवर, राज्य का सबसे पहला कर्तव्य न्याय है । लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं ? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका । न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने इन तीनों के बीच काम का बंटवारा किया है । आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं, बल्कि न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम साबित होंगे । आपकी अध्यक्षता में यहां पर कानून बनेगा, इसका इम्पलीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और बाकी का इम्पलीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी । तीनों अंग इकट्ठे होकर देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली प्रस्थापित करेंगे ।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि न्याय एक अम्ब्रेला टर्म है । ?न्याय? कहते हैं तो यह बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है, इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और ?दंड? कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है । मैं नए कानून में संतुलन बनाकर लाया हूं । यहां पहले दंड देने की सैंट्रलाइज सोच वाले कानून थे और अब

विक्टिम सैंट्रिक जस्टिस का उद्भव होने जा रहा है । ईज़ ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है । एन्फोर्समेंट के लिए निष्पक्ष समयबद्ध एविडेंस बेस स्पीडी ट्रायल होगा, इससे कोर्ट तथा प्रिज़न का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेश्यो भी बढ़ने वाला है ।

मान्यवर, कई लोगों ने अलग-अलग सुझाव दिए हैं । मैं बिल के बारे में बताकर इनका जवाब दूंगा । सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बिल लेकर आया हूं, यह नई चीजों को जगह देने वाला बिल है, इस सबका उपयोग करने वाला बिल है । हमने इन्वस्टिगेशन में फोरेन्सिक साईंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है, ब्लात्कार की पीड़िता का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कम्पलसरी किया है । मैं बताउंगा कि कई जगहों पर कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और साथ ही कोर्ट में समय को कम करने के प्रावधान किए हैं ।

मान्यवर, देश में अभी तीन प्रकार की न्याय प्रणाली हैं । कहीं मेट्रो जज होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं और कहीं नहीं होते हैं । इस कानून के पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक सारे देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी ।

मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व व उसे कम्पल्सरी करने का काम किया गया है, क्योंकि न्याय प्रणाली में किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो जाए या किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों केसों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है । उसमें अपील का बड़ा महत्व है । आज अपील का निर्णय वे ही करते हैं । वह जो गलती हुई है मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही निर्णय करते हैं कि अपील करनी है या नहीं करनी है । अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पर भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ केस में अपील करने लायक है या नहीं है, उसका निर्णय करेगा । उसमें पुलिस का और प्रॉजीक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा, जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है ।

मान्यवर, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की गई है । जैसे कि इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती हैं । परिवार के लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी कहां हैं, हमें मालूम ही नहीं है । पुलिस कहती है कि हमारे पास नहीं हैं । अब तय कर दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा ।

मान्यवर, इसी तरह कुछ मैं आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन ढेर सारी चीजों में हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम भी इस कानून के माध्यम से किया है और विक्टिम सेंट्रिक कानून की बात जब मैं करता हूं, तब हमने ढेर सारे विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 के तहत अपनी बात रखने का अधिकार दिया है । इन्फॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 193 और 230 में दिया है । नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है । अब कोई भी मुकदमा विक्टिम की परमिशन के बगैर, उसे सुने बगैर कोर्ट केवल स्टेट के कहने पर विदड्रॉ नहीं कर सकती है । जो विक्टिम है, उसे सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा । विक्टिम को 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी पुलिस की निर्धारित की गई है । एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, इन सभी की कॉपी को कम्पल्सरी देने का प्रॉविजन इसके अंदर कर दिया गया है । जांच और मुकदमों के विभिन्न चरणों में पीड़ित अथवा उसके

परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रॉविजन किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी ।

मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से इस सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं । भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा । जैसा मैंने कहा कि इसमें मानव संबंधित ढेर सारे अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था । उनका महत्व अपना शासन चलाना था । जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 में था, अब जहां से अपराधों की बात शुरु होती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है । गैंगरेप को भी आगे लाया गया है । बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है । मर्डर की धारा 302 थी, जो अब धारा 101 हुई है । किडनैपिंग की धारा 359 और धारा 369 थी, जो अब धारा 137 और धारा 140 हुई हैं । ट्रैफिकिंग की धारा 370 और 370(ए) थी, जो अब धारा 143 और धारा 144 हुई है ।

मान्यवर, शुरुआत की डेफिनिशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधे मानव संबंधी - पहले महिला और बच्चे, उसके बाद शरीर संबंधी अपराधों को हमने प्रायॉरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं । उसको सुनिश्चित करना इन कानूनों की प्रॉयोरिटी है ।

मान्यवर, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बड़े-बड़े नायक सालों-साल, छ:-छ: साल तक जेल में रहे । वह कानून अभी तक चलता आ रहा था । जब ऑपोजिशन में होते थे तो विरोध करते थे । मगर, सत्ता में आते थे, तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं लेते थे । पहली बार नरेन्द्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया कि राजद्रोह की धारा 124 (क) को पूर्णतया समाप्त कर दिया । इसको हटाने का काम किया है ।

अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं । ओवैसी साहब, मैंने भी थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी है, विज्ञान का विद्यार्थी हूं । इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया । मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्पीति रखी है । अब यह देश आजाद हो चुका है । यह लोकतांत्रिक देश है । शासन पर टीका-टिप्पणी तो कोई भी कर सकता है । वह किसी को भी करने का अधिकार है । इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन हो । मैं फर्क समझता हूं । ओवैसी साहब, बड़े कटाक्षमय तरीके से हंस रहे हैं । मगर, इस देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है । इस देश के हितों को कोई नुकसान नहीं कर सकता है । इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं और इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में डालेंगे । उसको जेल में जाना चाहिए । यह हमारी सरकार का थ्रस्ट है । इस देश की सुरक्षा किसी भी सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए और सुप्रीम होनी चाहिए । सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए । इसलिए, हम राजद्रोह हटाकर देशद्रोह की धारा लाए हैं । इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा ।

मान्यवर, आईपीसी 124 (सी) में शब्द प्रयोग था, ?सरकार के खिलाफ की गई बात?, मेरी बात सभी माननीय सदस्य ध्यान से सुनें, अंग्रेजों ने अपने बनाए हुए कानून में लिखा था, 124 (सी) ?सरकार के खिलाफ की गई बात?, बीएनएस धारा 152, जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग होगा । वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है और भारत शब्द प्रयोग है । आईपीसी में आसन्न या प्रयोजन की बात नहीं की थी । किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की, करना ही काफी है । हमने इसमें देशद्रोह के डेफिनेशन में आशय की बात की है । उसका उद्देश्य क्या है,

उसका आशय क्या है, इसका महत्व है । अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए । अगर उद्देश्य शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए । उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है । अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन से घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां हैं । अगर कोई कहता है कि सशस्त्र विद्रोह, बम-धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए तो मैं इस विचार से इक्तेफाक नहीं रखता हूं । उसको जेल में जाना ही चाहिए और उसको सजा होनी ही चाहिए । इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं है । मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग नये इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हों । हम तो संविधान की स्पिरिट को आगे लेकर चलने वाले लोग हैं । देश के खिलाफ जो कुछ करेगा, उसको जरूर सजा होगी । ऐसा कानून में होना चाहिए । मान्यवर, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रजों को देश से निकालने के लिए राजद्रोह की कलम के तहत अपने जीवन के स्वर्णकाल जेल में काटे, आज नरेन्द्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से उनकी आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में आज न्यायिक प्रोविजन हुआ है ।

मान्यवर, हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं । हमने भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को एड किया है । हम इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में बदलाव कर रहे हैं । मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिक महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे, जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको पुलिस स्टेशन में फेवर किया जाता था । वहां पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है । अब पॉक्सो अप्लाई करें या न करें, बलात्कार करने मात्र से ही पॉक्सो की सभी धाराएं इस न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएंगी और उनको सजा मिलेगी । आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था । क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिकों को बलात्कार के लिए हमने अलग-अलग सजा का निर्धारण किया है । हमने 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया है । उनको फांसी की सजा मिलेगी । गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है । 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में हमने फिर से फांसी की सजा को इसमें रखा है ।

मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनॉमली थी । सहमति से बलात्कार के केस में 15 वर्ष की जो आयु डाली गई थी, हमने उसको बढ़ाकर 18 साल किया है । अगर 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा, तो वह माइनर रेप के दायरे में आ जाएगा ।

मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है । कई जगहों पर कई सारी चीजें छूट गई थीं । लड़के और लड़कियों का व्यापार, जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था । उसमें लड़कों को भी जोड़ दिया गया है । आईपीसी की धारा 366 (ए) में भी नाबालिक लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र करके हमने इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया है । मान्यवर, आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद और एक लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाने के बाद, 75 सालों के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है । इस देश की जनता से हमारा वादा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, लेकिन आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी । मैं कुछ सांसदों की बातों का जवाब बाद में दूंगा । उन्होंने कहा कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थीं, वहां

यूएपीए को नहीं लगाते थे । आतंकवादी कृत्य करके सादे गुनाह की सजा में निकल जाते थे । अब हमने इस मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र करके ऐसे लोगों को जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग-लगभग असंभव कर दिया है । मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है, यहां बताया भी है । मैंने भाषण पढ़े हैं । मुझे तो आश्चर्य हो रहा है । इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं हैं और इस सम्माननीय सदन का कोई व्यक्ति उसका मानव अधिकारों के नाम पर विरोध करे, आतंकवादी ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है । जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जो इसका विक्टिम होता है, मानव के अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिले ।

मैं तो आश्चर्यचकित हो गया । अगर मैं यहां बैठा होता, तो टोकता भी, रोकता भी और प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया जाए । आप एक्सपोज़ हो रहे हैं । मगर मैं यहां नहीं था, मैंने उसको पढ़ा । आप किसका बचाव करते हैं? किस जमाने में जी रहे हैं? ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी का शासन है । यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएंगी । परंतु इसका दुरुपयोग न हो, उसके लिए हमने इसकी व्याख्या भी बड़ी स्पष्ट की है ।

16.00 hrs

इसकी व्याख्या की है कि जो कोई भारत की एकता, अखण्डता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर, और साइड से उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा । उसका विवरण दिया गया है । डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ऐसी घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा । क्या इसमें दुरुपयोग की गुंजायश है? मन में एक भय पड़ा हुआ है । उस भय से यह विरोध जन्म लेता है । मैं तो मानता हूं कि यह भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए । जो आतंकवादी कृत्य करते हैं, उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए । उनके लिए कठोर से कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए । यह नरेन्द्र मोदी सरकार का उचित निर्णय है कि आतंकवाद के लिए हमने इस कानून में जगह दी है ।

मान्यवर, उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे । मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कही पर भी कोई गुंजायश बची है कि इसका दुरुपयोग हो । मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है तो हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे । सबसे ऊपर कोर्ट है । अगर किसी के ग्रीवेंसेज़ हैं तो आतंकवाद को रोकने का प्रोविज़न कोर्ट के ऊपर तो नहीं है । इसमें धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांशा करेगा । अगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं । मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को, जिसे मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और इस सदन से जीरो टॉलरेंस का संदेश जाना चाहिए ।

मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है । कई राज्य और राज्येतर गैंग्स संगठित अपराध करती हैं । इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था । इसके अंदर हमने साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, भूमि हथियाना, हथियारों के व्यापार, डकैती और मानव तस्करी को रखा है । हमने आर्थिक अपराध की व्याख्या भी की है । करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, हवाला व्यवहार, बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और

आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास को आर्थिक अपराध की व्याख्या में पहली बार लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं । मुझे लगता है कि इससे न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा । मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या, जिसको अकस्मात कहते हैं । हमने इसमें दो हिस्से किए हैं । अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकती है । एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, रास्ते में उसका ध्यान भटक गया और कोई रश करके आ गया तो अकस्मात हो गया । अकस्मात होने के बाद अगर वह व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया गया है । हिट एंड रन केस में कोई मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजा का प्रावधान किया है । मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केसेज़ में काफी कमी आएगी । अगर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु होती है तो वह भी गैर इरादतन हत्या में आ जाता है । इसकी भी सजा बढ़ गई । मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा और डॉक्टर्स को दो साल तक की सजा कर दिया है । इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत की थी । हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है ।

मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं । नस्ल, जाति, समुदाय या किसी संख्या के आधार पर एक टोला बनाकर किसी को मार दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है । स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था । चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल स्नैचिंग होते थे और अलग-अलग धाराओं में, अंत में, कानून में गैप का फायदा उठाकर वे छूट जाते हैं । स्नैचिंग के लिए भी हम कानून लेकर आए हैं । गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने दो डिविजन किए हैं । किसी ने किसी के सिर पर लाठी मार दी, वह इंजर्ड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए । परंतु, लाठी मारने के कारण अगर वह ब्रैन डेड हो गया या अपाहिज हो गया तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए । सम्पूर्ण अपाहिजता या ब्रैन डेड के केस में न्यूनतम दस साल के कठोर दंड देने का प्रावधान किया है और इसको सेपरेट किया है । गम्भीर चोट का जो खण्ड 117 है, उसमें सात साल तक की कैद का हमने प्रावधान किया है । इसके अलावा भी हमने ढेर सारे बदलाव किए हैं । मैंने प्रमुख बदलाव आपके सामने रखे हैं ।

मान्यवर, अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करना चाहूंगा । इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा और गरीबों के लिए आर्थिक बाधा भी है । मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनायी है और गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है और न्याय भी मिलता है । परंतु न्याय मिलता ही नहीं है । कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री जी बता रहे थे, जब मैं बिल पेश कर रहा था, कि वर्ष 2003 में कोई एक्सिडेंट हुआ था और साक्ष्य का कार्य वर्ष 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है । सजा कब होगी यह तो अभी किसी को मालूम नहीं है । सालों तक तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है । पुलिस न्यायपालिका को दोषी बताती है । सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी बताती है । पुलिस और न्यायपालिका जब बैठती है तो सरकार को दोषी बताती है । सब एक-दूसरे की पीठ के पीछे कानून का सहारा लेकर ऐसा कर रहे हैं । हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है । मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं, क्योंकि यह समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।

मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडिक कार्रवाई- सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं है । आप एक कम्प्लेंट देते हैं, जिसका संज्ञान वे दस साल बाद भी ले सकते हैं । अब तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी, अगर प्राथमिक जांच हो चुकी है । उसको कम्प्लसरी कर दिया गया है । तीन से सात साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारम्भिक जांच, आरोप सही हैं या गलत, करके एफआईआर करनी होगी । ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारम्भिक जांच कर सकते हैं और छोटी सजा है तो तीन दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर्ड करनी होगी । सबसे पहले न्याय में समय की कटौती यहां होगी । जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को

भेजनी है, इसके लिए भी कोई समय का प्रावधान नहीं था । अब 24 घंटे में, तलाशी रिपोर्ट के बाद, उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हैं ।

मेडिकल प्रैक्टिश्नर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट- मेडिकल हुआ, लेकिन कोई समय मर्यादा नहीं है । जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वह मुक्त होगा, तब देंगे । अब हमने बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी सात दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने निश्चित कर दिया है ।

मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं था । 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु रीइनवेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा करके सालों-सालों तक चार्जशीट लटकायी जाती थी, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते थे । हमने कह दिया है कि 60 से 90 दिन का समय तो रहेगा और 90 दिन के बाद फर्दर 90 दिन तक ही इनवेस्टिगेशन कर पाओगे । अगर 90 दिन के बाद फर्दर इनवेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा । चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, यह हमने प्रोविजन करके ट्रायल जल्दी हो, इसके लिए शुरूआत कर दी है ।

मान्यवर, इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कब शुरू होगी, उसकी भी समय मर्यादा को तय किया गया है । अब हमने मजिस्ट्रेट साहब के साथ बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्रवाई शुरू करनी होगी । इसको लटका नहीं सकते है । हमारे यहां बहुत सारी फरियादें आती हैं, सच्चा-झूठा तो भगवान जाने कि 12 बजे तक कोर्ट चलती है । 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है । अब 14 दिनों के अंदर संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसे समाप्त करके ही जाना पड़ेगा ।

आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है, वह भी सात दिनों के अंदर ही करना पड़ेगा । पहले अगर एक केस में 25 आरोपी होते थे तो एक के बाद एक करके 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल की अपील करते ही जाते थे और 10 सालों तक मुकदमा चलता ही रहता था । अब जिसको भी अपील करनी है, उसे सात दिनों के अंदर ही करनी होगी और सात दिनों के अंदर ही उस पर न्यायधीश को सुनवाई भी करनी होगी । अब ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों के अंदर केस ट्रायल पर आ जाएगा ।

पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था । अब तय कर दिया है । आरोप तय करने के 30 दिनों के अंदर आप अपने गुनाह को स्वीकार कर लेंगे तो सजा कम होगी । प्ली बार्गेनिंग को 30 दिनों के अंदर समाप्त करना पड़ेगा । ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था । अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया को भी कंपलसरी 30 दिनों में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है । अब उसमें आप देरी नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, ट्रायल इन-एबसेंशिया का भी प्रोविजन किया गया है । इस पर कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे मुकदमे हैं । देश को हिला देने वाले मुकदमे हैं, चाहे मुम्बई बम ब्लास्ट का केस हो या कोई और केस हो । वे लोग पाकिस्तान में या किसी और अन्य देशों में शरण लेकर बैठे हैं, जिसकी वजह से ट्रायल नहीं चलती है । अब उनकी यहां आने की जरूरत नहीं है । 90 दिनों के अंदर अगर वे कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा तथा फांसी भी होगी । जिसके कारण हम उनको वहां से लाने की प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर पाएंगे । अगर सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में हो तो स्टेटस बहुत बदलता है । जमानत के लिए भी हमने प्रावधान कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं । पहली बार अपराध करने पर एक-तिहाई सजा

का जो प्रोविजन है, उसके तहत अगर एक-तिहाई अंडर ट्रायल कर लिया तो उसको मुक्ति दे सकते हैं । बाकी सभी मामलों में वन-हाफ किया है, जो गंभीर प्रकृति के हैं जैसे हत्या, डकैती आदि ।

पहले जजमेंट सालों-सालों तक नहीं आता था । अब यह हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिनों के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा । वे इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं । जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है । सजा निर्णय देने के सात दिनों के अंदर ही अपलोड करनी पड़ेगी । उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते हैं । पहले सालों तक दया याचिका करते ही नहीं थे । पहले दया याचिका कोई एनजीओ करता था या दूर-दूर के लोग करते थे । दया तो वही मांग सकता है, जिसको दंड मिला है । दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं है । उच्चतम न्यायालय की अपील खारीज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी । बाद में आपको इसका अधिकार नहीं होगा । राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का प्रावधान भी इसमें हमने तय कर दिया है ।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए हैं । ई-एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है तो महिलाओं को मिलने वाली है । किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध का किसी के सामने वर्णन करना बड़ी संकोच की बात है । आज ई-एफआईआर से हर कोई एफआईआर कर सकता है तथा कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करवा सकती है । उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और दो दिनों के अंदर ही घर पर आकर उसका जवाब लेने की व्यवस्था भी महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत है । नए विधेयक के अंदर ई-एफआईआर का हमने जो जिक्र किया है, उससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं । समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने बहुत तवज्जो देकर कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है ।

हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगहों पर पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है । क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरणों में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है । इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही में निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा । विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी ।

मान्यवर, हम एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए हैं । हमनें एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग का कम्पलसरी प्रोविजन किया है । कोई भी पुलिस घर पर जाकर जब्ती करती है, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो उसकी भी यह हो जाएगी और तलाशी की भी हो जाएगी । इससे किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और बलात्कार के मामले में भी पीड़िता का ब्यान कम्पलसरी करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है । वह लेना ही पड़ेगा । ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जिससे वगदार आदमी आने के बाद, वह बयान को बदलवा नहीं सकता । दूर-दूरस्थ के गांवों में बयान ले लिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने किया है, तो बयान बदल भी दिए जाते हैं । अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी तीन कॉपीज, तीन जगहों पर एक हॉस्पिटल, एक पुलिस थाने और एक न्यायाधीश के यहां 24 घंटे में पहुंचानी है । जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी ।

मान्यवर, इसके साथ-साथ हमने फॉरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है । अगर हम दुनिया भर की अदालतों का विश्लेषण करते हैं, तो हमारे यहां सजा कराने की दर बहुत कम है । अगर इसको बढ़ाना है, तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना होगा । इसलिए इस बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने

के लिए, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए और 90 प्रतिशत कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए, हमने एक प्रावधान किया है कि सात सालों से ज्यादा सजा जिस गुनाह में है, उन सभी में एफएसएल टीम की विजिट को कम्पलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल टीम की विजिट कम्पलसरी होगी ।

मान्यवर कई लोग कहते हैं कि कब होगा, तो मैं इसके बारे में बताता हूं । नरेन्द्र मोदी सरकार टुकड़े-टुकड़े में नहीं चलती है । नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर माननीय प्रधान मंत्री बने, तब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक एनएफएसयू के सात परिसर और दो ट्रेनिंग एकेडमीज नौ राज्यों में खुल चुकी हैं । पांच सालों के बाद, मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर साल 35 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहां से बाहर निकलेंगे, जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे । तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वैन का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं । दिल्ली में, जो सात साल वाला प्रोविजन है, इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं । इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा, जब राज्य में फॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा । हमनें इसमें पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पूरा राज्य - चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है । मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई, तो उस शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं । वह कम्पलसरी हो जाएगा । अगर एक क्षेत्र में हो गया, तो एक क्षेत्र में करेंगे, एक जिले में हो गया, तो जिलों को करेंगे । जब सब समाप्त हो जाएगा, तब पूरे राज्य को नोटिफाइड करेंगे ।

इसके माध्यम से सजा कराने की बहुत बड़ी क्षमता प्रोसीक्यूशन की बढ़ेगी । लगभग दो हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिए हैं और 30 राज्यों तथा संघ क्षेत्रों ने इसका काम भी चालू कर दिया है । हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ भी बना रहे हैं ।

मान्यवर, जीरो एफआईआर के बारे में कई लोग कहते हैं कि जीरो एफआईआर पहले से थी, लेना कम्पलसरी नहीं था । आपको कोई भी व्यक्ति न बोल सकता था । इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी, जिससे इसकी पुष्टि हो जाए । अब विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कम्पलसरी करनी पड़ेगी । यह जीरो नम्बर की एफआईआर विक्टिमों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है, क्योंकि दबंग ध्यान पुलिस स्टेशन का ही रखता है कि मेरे खिलाफ फरियाद लिखवाने गए या नहीं गए? वह ध्यान रखता ही रह जाएगा, किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसको बुलाना पड़ेगा । इसके साथ-साथ प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है । जब कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं, इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी । अगर मेरा रिलेटिव किसी थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस को मुझे इनफॉर्म करना पड़ेगा, किसी को अज्ञात स्वरूप से, अनअथोराइज्ड कब्जा रखकर नहीं रख पाएंगे । पुलिस अधिकारी को 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या डिजिटल माध्यम से देनी होगी । यौन हिंसा के माध्यम से पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करना है । अगर वह उपलब्ध नहीं है, ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो महिला पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में इसको दर्ज किया जाएगा । जहां तक हो सके बयान रिकॉर्ड करते वक्त उसके माता-पिता या अभिभावक को भी उपस्थित रखने का प्रयास किया जाएगा । हमने सरलता लाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए हैं । जैसे समरी ट्रायल में अब तेजी आ जाएगी, पहले दो वर्ष तक थे, अब तीन वर्ष तक कर दिए हैं । कम गंभीर मामलों में अब समरी ट्रायल हो जाएगा तो ट्रायल जल्दी होगी । सिविल सर्वेंट्स के विविध प्रोसीक्यूशंस, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुनाह रजिस्टर्ड होते

थे, उनको मंजूरी की जरूरत होती थी, सालों-सालों तक बाबू मंजूरी देने ही नहीं देते थे । अब अगर 120 दिन में रिजैक्शन नहीं आता है तो उसको मंजूरी मानकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चला लिया जाएगा, अब इस पर कोई बैठ नहीं सकता है । सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी उसका जवाब देने के लिए ट्रांसफर होते रहते हैं, प्रमोशन होते रहते हैं । जब डीजी बनते हैं, तब डीएसपी के जवाब देने जाते हैं । अब उसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फाइल के आधार पर जवाब देगा । उस व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है । अगर कोर्ट को जरूरत लगे तो हमने इसकी ऑनलाइन गवाही लेने का प्रावधान भी कर दिया है । जमानत और बॉन्ड को भी सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है । हमने घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का भी प्रावधान कर दिया है ।

मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं है, भाग जाएगा और सालों-सालों तक केस लंबित रहेंगे । उसकी अनुपस्थिति में केस तो चलेंगे, मगर उसकी सम्पत्ति की कुर्की भी की जाएगी । प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड वाले को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा । पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान कर दिया है, जिससे देरी न हो । उसमें बहनों पर अत्याचार का मामला भी हमने ले लिया है ।

मान्यवर, मैंने सबसे बड़ा जो कहा, trial in absentia ? कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ी आवाज भी उठाई है, ज्यादातर सदस्य तो बाहर हैं इसलिए बहुत सदस्य नहीं उठ पाए, वरना तो सारे ही बोलते । मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुनाह करके जो देश से बाहर भाग गए हैं, उनके प्रति आपके दिल में क्या सिम्पेथी है? आप मुझे बताइये । सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं, कश्मीर में आतंकवाद करके पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं, क्या उनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है ।

आपकी उसमें क्या सिम्पैथी है? अब ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ या न आओ, आपको सज़ा भी होगी और आपकी सम्पत्ति भी जाएगी । यह देश ऐसे नहीं चल सकता है । अगर न्याय ही चाहिए, तो कानून की शरण में आइए । भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय की सुविधा है । न्याय मिलेगा, मगर मालूम है कि न्याय में सज़ा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा । इसको भी हमने यहाँ पर डाला है ।

मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए, अगर वह एक-तिहाई कारावास काट चुका है, तो हमने इसमें जमानत का प्रॉविज़न कर दिया है । जहाँ विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुनाह है, वहाँ आधे पर इसका अधिकार बनाया है । हम नयी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आए हैं । हर राज्य को इसे घोषित करना पड़ेगा । हमने इसके अन्दर घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया है ।

सज़ा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया है । यदि मृत्यु की सज़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती है । अगर आजीवन कारावास है तो सात साल की अवधि तक सजा भोगनी ही पड़ेगी और यदि सात वर्ष या उससे अधिक की सजा है, तो कम से कम तीन साल जेल में रहना पड़ेगा । कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग करके एक साल में ही भले ही कितना भी गंभीर अपराध हो, वह बाहर आ जाए, ऐसा अब नहीं होगा । इस बात को हमने कानून के अन्दर सुनिश्चित कर दिया है । अगर कोई आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय करके सम्पत्ति जमा की है, तो अब उसको भी न्यायालय राज्यसात करेगा और उसको हराजी करके राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा ।

सम्पत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है । हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं । हम लोग अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते-करते आए हैं । हम लोग सैंकड़ों बार पुलिस थाने गये होंगे । आप बाहर जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो, ढ़ेर सारी साइकिलें, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पोज़ पड़े होते हैं और उन टाम्पोज का कई बार हम से ज्यादा आयुष्य होता है । अगर वह वर्ष 1950 में पकड़ा गया है और उसका केस पड़ा रहा तो पूरा पुलिस स्टेशन के परेड का पूरा मैदान ऐसी ही सम्पत्तियों से भरा पड़ा रहता है ।

मान्यवर, हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो सम्पत्तियाँ पड़ी हैं, अदालत के मैजिस्ट्रेट को उनकी विडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके, अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर इनको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट में दी जाएगी । इससे सारे पुलिस स्टेशंस साफ हो जाएंगे । इससे कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है । कब तक वे बीस-बीस साल तक पड़े रहेंगे । वे व्हीकल्स भी किसी के उपयोग के नहीं रहेंगे । यदि वे मालिक को वापस भी मिल जाएं, तो उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा ।

हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किये हैं । इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को हमने दस्तावेज़ की परिभाषा में शामिल कर दिया है । अब किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को दस्तावेज़ माना जाएगा । पेन ड्राइव के अन्दर चार्ज शीट दी जाएगी, पेन ड्राइव के अन्दर कोर्ट को भी चार्ज शीट दी जाएगी, पेन ड्राइव के अन्दर विक्टिम को भी दिया जाएगा और लॉयर्स को भी दिया जाएगा ।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है । इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रेकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानांक जोड़े गये हैं और उसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट के लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है ।

मान्यवर, दस्तावेज़ों की जाँच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करना हमने कम्पल्सरी किया है । अब पहली बार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रेकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा । इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाणपत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है ।

इसके लिए हमने ढेर सारे, 22 थानों के लिए भी, बड़ी एक्सरसाइज़ की है । नैशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्स्पर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्स्पर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम करके, कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श करके, इस पूरी प्रक्रिया को चिह्नित कर दिया गया है ।

मान्यवर, मैं इतना सुनिश्चित कर सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया बन जाएगी । ? (व्यवधान)

मान्यवर, इसके लिए पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है । उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे । जैसे-जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे । अब हमने आईसीजेएस के माध्यम से ढ़ेर सारे पुलिस स्टेशंस, 97 परसेंट पुलिस स्टेशंस को कम्प्यूटराइज्ड करने का काम समाप्त कर दिया है । ? (व्यवधान) अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है । आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल और कोर्ट, इन सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने की कगार पर है ।

इसके माध्यम से ढ़ेर सारी देरी से न्याय मांगने जाने वाले हमारे जो नागरिक हैं, उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा ।

मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेज, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है । आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को इसकी इनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है । इसके माध्यम से एफएसएल यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो-जो नई टेक्नीक आती जाएगी, उसको भी समाहित करने का सुझाव समय-समय पर देती जाएगी । इसको हम समाहित करेंगे ।

मान्यवर, इस चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग-अलग प्रकार के सवाल उठाए हैं । एक का तो मैंने पहले ही जवाब दिया था कि आतंकवादी कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है, तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य को समाहित करने का क्या तर्क है?

मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुनाह रजिस्टर होगा । इसे करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दो कानून अप्लाई नहीं होंगे । कई जगहों पर आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं हैं और आईपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी । इससे वे लोग बचकर निकल जाते थे । अब उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए हैं । ? (व्यवधान) मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें आपत्ति क्या है । आपत्ति सिर्फ संसद में नहीं रखनी चाहिए, इसके आश्य भी बताने चाहिए कि यह आपत्ति दर्ज करके हम किसको बचाना चाहते हैं?

मान्यवर, बीएनएस के खंड 69 में पहचान छुपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई । मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छुपाना चाहती हैं । इसमें कोई और बच नहीं पाएगा, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं ।

मान्यवर, एक सुझाव आया कि दया याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए । मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं । अगर, जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, उसको अपने गुनाह का अहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर उसका कोई अधिकार नहीं है । जिसको गुनाह करके अगर पछतावा नहीं होता है, उसको दया का कोई अधिकार नहीं है । दया का अधिकार उसी का बनता है ? (व्यवधान) हरसिमरत बहन, आप बाद में बोलिएगा । मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं । दया का अधिकार उसी का बनता है, जो अपने कृत्य पर पछतावा करता है । कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मानता, मेरा मन यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कृत्य किया है । क्या उस पर दया की जाए? मैं सहमत नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, बीएनएसएस के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया है । उसमें हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए हैं । उलटा, वे जल्दी छूट जाएंगे, क्योंकि एक-तिहाई सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून में नहीं था । उसके पहले कोर्ट तो जमानत दे ही सकती है ।

दूसरी बात यह आयी कि वीडियोग्राफी का प्रोविजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने पर क्यों नहीं है? हम सबको मालूम है कि पुलिस का बयान आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया

जा सकता है । वह धारा 161 का बयान होता है । कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है और इसीलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है । डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा उचित नहीं है । यह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है । औवैसी जी, खंड 250 और 262 अलग-अलग प्रकार के ट्रायल के लिए हैं । सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा, सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है, इसके लिए खंड 262 है, तो दो अलग-अलग ही हैं । माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था कि क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है । यह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है । टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी । मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया, तो 15 दिन समाप्त हो गए । हमने यह प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी हो गई, आप अस्पताल में चले गए, कोई बात नहीं, अच्छे हो जाओ । अच्छा होने के बाद उन 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा, तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, इस प्रोविजन को भी हमने रखा है, तो इसका जमानत पर भी असर नहीं होगा और कुल दिन भी नहीं बढ़ेंगे ।

डी.के.बसु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है । हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है और हर जिले और थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिसे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा । यह कहा गया कि किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं । ऐसा नहीं है, मैंने आगे बताया है कि कई जगह पर पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पर उस पर वाच रखने की व्यवस्था भी हमने की है । इसके साथ-साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है । मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, तो ऐसे हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया गया है । इसके बाद भर्तृहरि महताब जी ने दो-तीन प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111, इन दोनों को, जब बिल फिर से पेश किया गया है, इसमें बदलाव करके ही, आपके सुझाव भी बिल के बदलाव में समाहित किए गए हैं ।

दूसरा, उन्होंने कहा कि फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है । मैं मानता हूँ कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए, उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है । एक प्रकार से इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और चैक एंड बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है । हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा है, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है । पुलिस स्टेट बन जाएगा । कोई पुलिस स्टेट, हमारा शासन है, तब तक नहीं बनेगा । मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए ये कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए हैं ।

अध्यक्ष जी, मैं तीन आफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं । तीनों कानूनों में ?द्वितीय? शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही प्रकार के नाम के दो बिल एक साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे । ऐसा संसदीय टेक्नीकल, संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है । दूसरा, मैंने डाक्टर को गैर इरादतन हत्या में कम सजा का प्रोविजन किया है । ये तीनों प्रोविजन्स को भी मैं लेकर आया हूं ।

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से कम से कम सौ साल तक जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान हमने इसमें किए हैं । मान्यवर, फोरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता और दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा

भारत बनने जा रहा है, ये ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिह्न समाप्त करके सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है । हमारे संविधान की जो स्पिरिट सबके साथ न्याय की है और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, उसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें सहमति दीजिए । मोदी जी का एक और वादा आज इन कानूनों के माध्यम से देश की जनता को दिया जा रहा है । इसे अपना समर्थन दें ।

माननीय अध्यक्ष **:** श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल **:** अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं । उन्होंने कहा कि पीड़ित से पीड़ित को इस नए कानून से न्याय मिलेगा । मेरी विनम्र विनती है कि एक कौम की सेंटीमेंट्स जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए प्रधान मंत्री जी ने भी पिछले सैशन में कहा ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** यह विषय कानून के तहत नहीं है ।

? (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल **:** अध्यक्ष जी, मर्सी पेटिशन के बारे में है । जिनके माँ-बाप जिंदा नहीं हैं । जिनका परिवार नहीं है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नहीं, नहीं । मुझे याद है, यह विषय आपने कई बार उठाया है । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप कानून के विषय में बात कीजिए । यदि कोई विशेष सुझाव है, तो बात कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नम्बर-29

प्रश्न यह है :

?कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्या, यह तरीका ठीक नहीं है । आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था । आप इस कानून के विषय में नहीं बोल रही हैं, फिर भी मैंने आपको मौका दिया था । आप वरिष्ठ सांसद है । आप बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2 Definitions

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 30 और 31 लोप करें । (2)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 5 Commutation of sentence

माननीय अध्यक्ष **:** श्री रितेश पाण्डेय जी, आप अकेले ही काफी हो । क्या आप संशोधन संख्या 3 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 6 से 63 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 64 Punishment for rape

माननीय अध्यक्ष **:** रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 एवं 5 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 64 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 65 से 102 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 103 Punishment for murder

माननीय अध्यक्ष **:** रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 103 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 103 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 104 और 105 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 106 Causing death by negligence

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 48, पंक्ति 8,-

?जुर्माने के लिए भी दायी होगा? शब्दों के पश्चात अंतःस्थापित करें -

?और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो, कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।	2019 का 30
स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ??रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी? से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान	

आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है ।? (67)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 106, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 106, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 107 से 116 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 117 Voluntarily causing

grevious hurt

माननीय अध्यक्ष **:** रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 117 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 117 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 118 Voluntarily causing hurt

or grievous hurt by

dangerous weapon or

means

माननीय अध्यक्ष **:** रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** क्या आपके प्रस्ताव को एक साथ ले लूं, क्योंकि आपने बहुत अमेंडमेंट्स दिए हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 118 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 118 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 119 से 138 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 139 Kidnapping or maiming

a child for purposes of

begging

माननीय अध्यक्ष **:** रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 139 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 139 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 140 से 196 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause197 Imputations, assertions

predudicial to national

integration

माननीय अध्यक्ष **:** रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 197 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 197 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 198 से 358 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1 Short title, commencement

application

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

?द्वितीय? का लोप करें । (1)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री अमित शाह**:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** विधेयक, यथा संशोधित, पारित हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आइटम नंबर 30

प्रश्न यह है:

?कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2 Definitions

<u>संशोधन किया गया:</u>

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 से 34 का लोप करें । (2)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>खंड 3 से 531 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

पहली अनुसूची

<u>संशोधन किया गया:</u>

पृष्ठ 232, पंक्ति 15, धारा 106(1) के पश्चात अंत:स्थापित करें-

1	2	3	4	5	6
	??रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपेक्षा द्वारा मृत्य ु कारित कराना ।	दो वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।??

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

Clause 1 Short title, extent and

commencement

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

?द्वितीय? का लोप करें । (1)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

श्री अमित शाह **:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष**:** आइटम नंबर 31, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023

प्रश्न यह है :

?कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2 Definitions

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 से 11 का लोप करें । (2)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 से 170 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

Clause 1 Short title, application and

Commencement

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, ?द्वितीय? का लोप करे । (1)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

श्री अमित शाह**:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

_____